1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था, वै विक मन्दी से सफलतापूर्वक उभर चुकी है तथा 2009–10 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.0 प्रति ात आंकी गई है। विकसित दे ों में लगातार मन्दी के बीच भारतीय अर्थ–व्यवस्था में न केवल असाधारण वृद्दि हुई है, बल्कि कुछ मूलभूत ढांचे में भी बहुत प्रगति हुई है जोकि अर्थ–व्यवस्था में मध्यम से बृहद समय में आर्थिक वृद्दि के लिए एक आ ा की किरण है। परन्तु मुद्रा–स्फीति फिर भी कुछ हद तक चिन्ता का विशय है।

1.2 वि व भारत को तेजी से उभरती हुई आर्थिक भाक्ति के रूप में देखता है तथा इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। समस्त वृहद आर्थिक सिद्वांत वि ोशकर मजबूत भुगतान संतुलन व राजस्व एकत्रीकरण के क्षेत्र में बहुत ही स ाक्त एवं व्यवाहारिक है।

1.3 हाल ही के वर्शों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्शीय योजना के 8 प्रति ात के लक्ष्य की तुलना में ग्याहरवीं पंचवर्शीय योजना की औसत वार्शिक वृद्धि का लक्ष्य 9 प्रति ात रखा गया है। जैसे कि भूतकाल में विकासात्मक गति तुरन्त वृद्धि कुछ समय प चात् मंदी की ओर गति ील हो जाती थी, अब अर्थव्यवस्था स्थिर आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर एवं दृढ़ रहेगी।

1.4 नए आधार वर्श 2004–05 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्श 2009–10 में कुल सकल घरेलू उत्पाद 44,93,743 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि 2008–09 में यह 41,62,509 करोड़ रूपये आंका गया था। प्रचलित भावों पर वर्श 2008–09 में 52,82,086 करोड़ रूपये की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्श 2009–10 में लगभग 61,33,230 करोड़ रूपये है जोकि 16.1 प्रति ात की वृद्धि द ाता है। वित्तीय वर्श 2008–09 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था (आधार 2004–05) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 6.8 प्रति ात की तुलना में वर्श 2009–10 में 8.0 प्रति ात की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्श 2009–10 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः यातायात व संचार में 15.0 प्रति ात, व्यक्तिगत सेवाओं के क्षेत्र में 11.8 प्रति ात, वित्त, स्थावर सम्पदा व व्यवसायिक सेवाएं 9.2 प्रति ात तथा विनिर्माण क्षेत्र में 8.8 प्रति ात हुई।

1.5 वित्तीय वर्श 2010–11 में लगभग 8.6 प्रति ात की वृद्धि दर पूर्वानुमान की गई है।

1.6 प्रति व्यक्ति आय वर्श 2008–09 में 40,605 रूपये थी जो वर्श 2009–10 में 14.5 प्रति ात की वृद्धि द ाति हुए यह 46,492 रूपये हो गई। स्थिर (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्श 2008–09 में 31,801 रूपये से बढ़कर वर्श 2009–10 में 33,731 रूपये हो गई जो कि 6.1 प्रति ात की वृद्धि द ाती है।

1.7 मुद्रा स्फीति रोकना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2010 में मुद्रा–स्फीति की दर 8.4 प्रति ात रही जोकि दिसम्बर, 2009 में 7.3 प्रति ात के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्वि दिसम्बर,2010 में 9.5 प्रति ात रही जबकि यह दिसम्बर,2009 में 15.0 प्रति ात थी।

हिमाचल प्रदे ा **की आर्थिक स्थिति**

1.8 हिमाचल प्रदे ा दे ा व पहाड़ी क्षेत्र के विकास में अग्रणी अर्थ–व्यवस्था तथा कृशि, फल उत्पादन के परिक्रमण और साथ में विद्युत और पर्यटन के क्षेत्र के निवे ा में अधिमानित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। वि ााल आर्थिक परिस्थितियां तथा अनुकूल प्र ाासन द्वारा अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदे ा एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रदे ा की अर्थ–व्यवस्था समानान्तर रूप से विकसित हो रही है। प्रचलित वर्श में 9.0 प्रति ात की विकास दर आने की संभावना है जोकि राश्ट्रीय वृद्वि के लगभग 8.6 प्रति ात की वृद्वि की तुलना से वेहतर है।

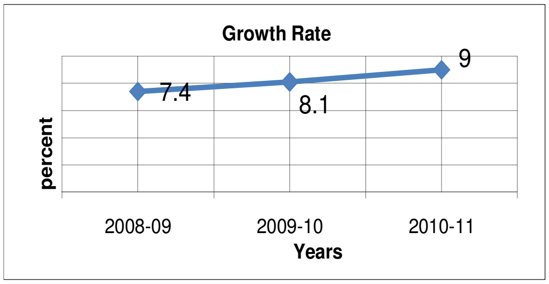

1.9 वर्श 2008–09 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर 33,192 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्श 2009–10 में 35,888 करोड़ रूपये हो जाने से इस वर्श की आर्थिक विकास दर 8.1 प्रति ात रही जबकि यह दर पिछले वर्श 7.4 प्रति ात थी। प्रचलित भावों पर समस्त घरेलू उत्पाद वर्श 2008–09 में 38,571 करोड़ रूपये की तुलना में वर्तमान वर्श में 43,281 करोड़ रूपये आंका गया है। यह 12.2 प्रति ात की वृद्वि द ााता है।

1.10 वर्श 2008–09 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 46,019 रूपये से बढ़कर 2009–10 अनुमानों के अनुसार 50,365 रूपये हो गई जो कि 9.4 प्रति ात की वृद्धि द ााती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण गौण क्षेत्रों की 12. 2 प्रति ात तथा यातायात व व्यापार क्षेत्र की 10.7 प्रति ात, 12.5 प्रति ात सेवा क्षेत्र की विकास दर है जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 5.7 प्रति ात की नकारात्मक वृद्वि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्श 2008–09 में 12. 27 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2009–10 में 10.17 लाख मीट्रिक टन रहा और 2010–11 में उत्पादन बढ़कर 15.80 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में 39.2 प्रति ात की गिरावट आई जबकि फल उत्पादन वर्श 2008–09 के 6.28 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2009–10 में 3.82 लाख मीट्रिक टन तथा 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक 9.60 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1
मुख्य सूचक

सूचक	2008–09	2009–10	2008–09	2009–10
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्श से प्रति ात परिवर्तन	
1	2	3	4	5
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)				
प्रचलित भावों पर	38571	43281	13.6	12.2
स्थिर भावों पर	33192	35888	7.4	8.1
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	12.27	10.17	(–) 14.8	(–) 17.1
फलोत्पादन (लाख टन)	6.28	3.82	(–) 11.9	(–) 39.2
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)*	4505	5066	8.3	12.4
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	2075	1804	11.3	(–) 13.1
थोक भाव सूचकांक	233.9	242.7	8.4	3.8
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	138	151	8.7	9.4

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.11 वर्श 2010 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदे ा की विकास दर वर्श 2010–11 में लगभग 9.0 प्रति ात होने की संभावना है।

1.12 प्रदे ा की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृशि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के द ाक में वि ोश उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकां ातः स्थिर ही रही। इस द ाक में औसत वार्शिक विकास दर 5.7 प्रति ात रही जोकि राश्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृशि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृशि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति ात योगदान जो वर्श 1950–51 में 57.9 प्रति ात था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रति ात, 1990–91 में 26.5 प्रति ात और 2009–10 में 14.5 प्रति ात रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रति ात योगदान 1950–51 में क्रम ाः 1.1 व 5.9 प्रति ात से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रति ात, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रति ात और 2009–10 में 11.7 तथा 17.7 प्रति ात हो गया। भोश क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रति ात की तुलना में 2009–10 में 56.1 प्रति ात का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृशि क्षेत्र के घट रहे अं ादान के बावजूद भी प्रदे ा अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृशि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवे ा, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका वि ोश प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में

हमारा कृशि उत्पादन अभी भी अधिकां ातः सामयिक वर्शा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य सम ीतोश्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदे ा का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, म ारूम, भाहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्श 2010–11 में (दिसम्बर,2010 तक) 9.60 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2010 तक 4,017 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2010 तक 9.72 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदे ा मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्श 2009–10 में 12.06 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्श 2008–09 में 10. 90 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 10.6 प्रति ात की वृद्धि द ााता है। वर्श 2010–11 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 12.50 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभाव ाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुशण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिि चत करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदे ा की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें भारी लागत वाले कार्य और उन नए क्षेत्रों में व्यावसायिक परियोजनाओं की भाुरूआत करना भी सम्मिलित है जहां निजि क्षेत्र अभी प्रारम्भ में कार्य करने से हिचकिचा रहा हैं। राज्य में प्राकृतिक,साहसिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए दो नई महत्वाकांक्षी योजनाएं **“हर घर कुछ कहता है” तथा “हर गांव की कहानी”** आरम्भ की गई है। प्रदे ा के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **“होम स्टे”** योजना कार्यान्वित की है। वि ोश प्रचार अभियान के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्शों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पश्ट है:–

सारणी 1.2
आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्श	भारतीय	विदे ाी	कुल
1	2	3	4
2004	63.45	2.04	65.49
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66

1.19 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्र ाासन में प्रवीणता व पारद ि ाता लाने के उद्दे य से सरकार ने "एस.यू.जी.यू.एम", अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस), सामुदायिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा सैंटर, ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, कृशि संसाधन, सूचना तंत्र, 'हिम स्वान', प्रणालियां प्रदे ा में भ्ाुरू की हैं।

1.20 हिमाचल प्रदे ा राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदे ा भारतवर्श में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयासों में एक आद ा राज्य उभरा है। हिमाचल प्रदे ा सरकार ने एक सामुदायिक, मूल्याकंन, जागरूकता, पक्ष समर्थन कार्यवाही अभियान (CLAP) तथा आर्यभट्ट अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (AGISAC) व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम भ्ाुरू किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व उचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.21 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदे ा का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्श 2010–11 में अप्रैल से दिसम्बर,2010 तक 5.1 प्रति ात बढा जबकि राश्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.8 प्रति ात रहा। यह द ााता है कि सरकार का मूल्य वृद्वि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.22 11वीं पंचवर्शीय योजना का प्रारूप 13,778.00 करोड़ रूपये रखा गया है जबकि वर्श 2011–12 की योजना के लिए 3,300.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जोकि वर्श 2010–11 से 10.0 प्रति ात अधिक है। 11वीं पंचवर्शीय योजना (2007–12) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न हैः–

क. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रूपये)	प्रति ात भाग	प्राथ–मिकता
1	2	3	4	5
1	कृशि एवं संबंधित गतिविधियां	1,470.08	10.67	III
2	ग्रामीण विकास	355.62	2.58	VIII
3	वि ोश क्षेत्र	20.47	0.15	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,220.62	8.86	IV
5	विद्युत	1,122.14	8.14	V
6.	उद्योग एवं खनिज	177.68	1.29	IX
7	यातायात एवं संचार	2,142.33	15.55	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	2.92	0.02	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	798.59	5.80	VI
10	सामाजिक सेवाएं	6,060.29	43.98	I
11	सामान्य सेवाएं	407.26	2.96	VII

कुल	13,778.00	100.0

1.23 भारत निर्माण का मुख्य उद्दे य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाश द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.24 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन ि ाकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदे ा सरकार दे ा में पहला प्रदे ा है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन ि ाकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.25 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है । सरकार की प्राथमिकता हमे ाा ि ाक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और सड़क संरचना रही है। एकताबद्व प्रयासों से लोक सेवा में दक्षता व गुणवता, वि ोशता ि ाक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सेवाओं में सुधार किया गया। सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- प्रदे ा में 300 करोड़ रूपये लागत की दूध गंगा योजना भाुरू की गई जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन गतिविधियों के लिए 5 लाख रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके अन्तर्गत ऋण पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 25 प्रति ात तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन–जाति के किसानों को 33.33 प्रति ात उपदान का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री आरोग्य प ाुधन योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प ाु चिकित्सा के उद्दे य से प्रत्येक पंचायत में नया प ाु चिकित्सा औशधालय खोला जाएगा।
- ग्यारवीं पंचवर्शीय योजना में कृशि क्षेत्र में अधिक व भाीघ्र विकास के लिए नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह द्वारा खेती करने के लिए कृशि विभाग ने परियोजना बनाई है।
- किसानों को लाभान्वित करने के लिए मार्किट फीस को 2 प्रति ात से घटाकर 1 प्रति ात कर दिया गया है।
- प्रदे ा सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना भाुरू की गई। कुल बीमित रा ि ा पर देय प्रीमियम 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- छोटे तथा सीमान्त किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत् प्रीमियम पर अनुदान को 10 प्रति ात से बढ़ाकर 50 प्रति ात कर दिया।
- पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना के अंतर्गत 2.59 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पोलीगृह खेती के अंतर्गत

लाया गया। इस योजना के अंतर्गत 353 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

- किसानों को लाभान्वित करने के लिए अपनी मण्डी योजना भुारू की गई।
- फल उत्पादन को सक्षम बनाने हेतु राज्य में एप्पल रीप्लॉटे ान प्रोजैक्ट आरम्भ किया गया तथा एंटी हेल गन तथा रडार केन्द्र भी ि ामला जिला में स्थापित की गई।
- भेड़ पालक समृद्धि योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों को 1.00 लाख रूपये का ऋण दिया जा रहा है जिसमें 33,000 रूपये की अनुदान राि ा है।
- वर्श 2010–11 में राज्य के सभी रा ान कार्ड धारकों के लिए वि ोश उपदान योजना भुारू की गई।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्श 2010–11 में 58,493 रूपये अनुमानित की गई जबकि वर्श 2009–10 में 50,365 रूपये थी जो वर्श 2008–09 की तुलना में 9.4 प्रति ात अधिक रही।
- प्रदे ा में उपलब्ध 23,000 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 6,672 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है। वर्श 2009–10 में 1,804 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- हिमाचल प्रदे ा के मूल वासियों को 5 मैगावाट तक परियोजनाओं को चलाने व लगाने में वरीयता प्रदान की गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र वर्श 2009–10 में 11.0 प्रति ात का राज्य आय में योगदान करता है तथा प्रदे ा में औद्योगिक पैकेज जारी रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
- राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे प्रदे ा में 1 अप्रैल,2008 से लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत् इस वर्श 120.05 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 3,29,215 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 5,793 घरों का निर्माण कम गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए किया गया।
- अटल आवास योजना के अंतर्गत सहायता राि ा 38,500 रूपये से बढ़ाकर 48,500 रूपये प्रति लाभान्वित परिवार कर दी गई। योजना के अंतर्गत 3,996 नए घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- गुरू रवि दास योजना के अन्तर्गत वार्डों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है तथा सहायता राि ा 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी है।
- सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था पैं ान, राश्ट्रीय वृद्धावस्था पैं ान व विधवा पैं ान 300 रूपये से बढ़ाकर

330 रूपये की गई है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक वार्शिक आय को 9,000 रूपये व 15,000 रूपये कर दिया गया है।

- 15,234 अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों को पैं ान योजना के अधीन लाया गया है।
- महिलाओं को प्रदे ा के पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में 50 प्रति ात आरक्षण दिया गया।
- अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्दे य से पंचायत प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई।
- राज्य में पंचायत महिला भाक्ति अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सहायता कक्ष तथा टोल–फ्री हेल्प लाईन स्थापित की गई।
- सर्व ि ाक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक ि ाक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर वि ोश ध्यान दिया जा रहा है।
- प्रदे ा में लड़कियों को वि वविद्यालय स्तर तक जिसमें तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित है, निः ुल्क ि ाक्षा प्रदान की जा रही है।
- मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत 233.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा केवल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को ही प्रवे ा प्रदान किया जाएगा।
- कन्या ि ा ु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्दे य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना भाुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म पर 5,100 रूपये की अनुदान रा ि ा कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्श की आयु पर दिए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता रा ि ा 11,001 रूपये के हिसाब से 351 कन्याओं के भाुभ विवाह पर प्रदान की गई।
- आम जनता को उनके घर–द्वार पर समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनि िचत करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान का कार्यान्वयन किया गया।
- राज्य में अटल स्वास्थ्य सेवा योजना आरम्भ की गई।
- 65 वर्श तथा उससे अधिक आयु के वरिश्ठ नागरिकों को निः ुल्क नकली दांत उपलब्ध करवाने के लिए वर्श 2010–11 में मुस्कान योजना भाुरू की गई।
- जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय नगर नवीनीकरण मि ान के अंतर्गत ि ामला नगर में 75 बसों को भाामिल किया गया।
- हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 69 रूट परमिट दिए गए।

- बागवानी मि ान के तहत बागवानी उपज की प्रगति हेतु अत्याधिक लोगों को एक मजबूत आर्थिक मंच प्रदान किया गया।
- हिमाचल प्रदे ा राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राश्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हिमाचल प्रदे ा दे ा का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे अधिक कार्यालयों को स्वान से जोड़ा है।
- प्रदे ा की जनता को पारद र्ी, स्वच्छ, भीाघ्र तथा कम लागत पर विभिन्न प्रभावी सेवाएं जैसे सरकार से नागरिक, व्यापार से नागरिक, नागरिक से नागरिक, उपलब्ध करवाने के लिए जन सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- राज्य में कर्मचारियों को वेतन एरियर की दो कि तें दी गईं।
- प्रदे ा पर्यटन की समृद्व सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए हैली टैक्सी सेवा तथा हिमाचल हाट भाुरू किए गए।
- इडिंया टुडे पत्रिका द्वारा वर्श 2010 में करवाए गए स्टेट आफ स्टेटस सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदे ा को ओवर आल परफारमेंस के लिए वेस्ट विग स्टेट पाया गया। प्रदे ा (i)ि ाक्षा, (ii)पर्यावरण, (iii) निवे ा, (iv) मैक्रो इकोनमी, (v) आवासीय विकास सूचकों में प्रथम स्थान पर आंका गया तथा इस सर्वेक्षण में कृशि, भाासन, अधोसंरचना विकास तथा

उपभोक्ता बाजार में श्रेश्ठ राज्य के रूप में आंका गया।
- एक अन्य सर्वक्षण में हिमाचल प्रदे ा को नीतिगत पहल तथा कृशि विकास में बेहतर कार्य करने के लिए ''स्टेट एग्रीकल्चर लीडर ीप अवार्ड 2010'' प्रदान किया गया।
- 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतू वि ोश रूप से महिला स ाक्तिकरण तथा रोजगार सृजन करवाने में हिमाचल प्रदे ा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- समाचार चैनलों द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदे ा को ''बैस्ट ट्रेवल डैस्टिने ान'' तथा ि ामला को ''बैस्ट मॉउटेन हिल डैस्टिने ान'' पाया गया है। आउटलुक पत्रिका द्वारा हिमाचल प्रदे ा को ''फैवरिट एडबेंचर डैस्टिने ान'' पुरस्कार भी दिया गया है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेल्पमैंट फाइनांस कम्पनी सिमित द्वारा तैयार किए गए सूचकांक में हिमाचल प्रदे ा को ''अत्यधिक विकसित राज्य'' का दर्जा दिया गया है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(करोड़ रूपयों में)

मद	2007–08 (वा.)	2008–09 (वा.)	2009–10 (सं.)	2010–11 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**9141**	**9308**	**10536**	**11588**
2. कर राजस्व	2752	3080	3463	4590
3. कर रहित राजस्व	1822	1756	1787	1779
4. सहाय अनुदान	4567	4472	5286	5219
5. राजस्व व्यय	**8292**	**9438**	**10691**	**12093**
क. ब्याज भुगतान	1703	1893	1983	2232
6. राजस्व घाटा (1–5)	**849**	(–) **130**	(–) **155**	(–) **505**
7. पूंजी प्राप्तियां	**2673**	**3192**	**2736**	**3058**
क. उधार वसूलियां	26	21	25	26
ख. अन्य प्राप्तियां	798	922	443	759
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	1849	2249	2268	2273
8. पूंजी व्यय	**2364**	**3054**	**3080**	**2985**
9. कुल व्यय	**10656**	12492	**13772**	**15078**
क. योजना व्यय	2525	2883	3294	3132
ख. गैर योजना व्यय	8131	9609	10478	11946
सकल घरेलू उत्पाद से प्रति ात				
1. राजस्व प्राप्तियां	**26.91**	**24.13**	**24.34**	**22.10**
2. कर राजस्व	8.10	7.98	8.00	8.75
3. कर रहित राजस्व	5.36	4.55	4.13	3.39
4. सहाय अनुदान	13.45	11.59	12.21	9.95
5. राजस्व व्यय	**24.41**	**24.47**	**24.70**	**23.07**
क. ब्याज भुगतान	5.01	4.91	4.58	4.26
6. राजस्व घाटा	**2.50**	**0.34**	**0.36**	**0.96**
7. पूंजी प्राप्तियां	**7.87**	**8.28**	**6.32**	**5.83**
क. उधार वसूलियां	0.08	0.05	0.06	0.05
ख. अन्य प्राप्तियां	2.35	2.39	1.02	1.45
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	5.44	5.83	5.24	4.34
8. पूंजी व्यय	**6.96**	**7.92**	**7.12**	**5.69**
9. कुल व्यय	**31.38**	**32.39**	**31.82**	**28.76**
क. योजना व्यय	7.43	7.47	7.61	5.97
ख. गैर योजना व्यय	23.94	24.91	24.21	22.79

टिप्पणीः वर्श 2007–08, 2008–09, 2009–10(द्रुत) तथा 2010–11 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्श 2009–10 में प्रदे ा का सकल घरेलू उत्पाद 35,888 करोड़ रूपये आंका गया जबकि वर्श 2008–09 में यह 33,192 करोड़ रूपये था। वर्श 2009–10 में प्रदे ा के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधारः2004–2005) पर 8.1 प्रति ात रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्श 2009–10 में पिछले वर्श 2008–09 के 38,571 करोड़ रूपये की तुलना में 43,281 करोड़ रूपये आंका गया है जो कि 12.2 प्रति ात की वृद्धि द ााता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृशि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्श 2009–10 में खाद्यान्न उत्पादन वर्श 2008–09 के 12.27 लाख मी0टन से घटकर 10.17 लाख मी0 टन अपेक्षित है। वर्श 2008–09 में सेब उत्पादन 5.10 लाख मी0 टन की तुलना में वर्श 2009–10 में घटकर 2.80 लाख मी0 टन हुआ।

2.3 हिमाचल प्रदे ा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृशि पर ही निर्भर है। कृशि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदे ा की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्श 2009–10 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 14.47 प्रति ात योगदान कृशि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्श 2010–11 में राश्ट्रीय स्तर के 8.6 प्रति ात वृद्वि की तुलना में 9.0 प्रति ात रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्शों में प्रदे ा व राश्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में द ााई गई हैः–

सारणी 2.1

(प्रति ात)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
2008–09(सं ाोधित)	7.4	6.8
2009–10(द्रुत)	8.1	8.0
2010–11 (अग्रिम)	9.0	8.6

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्श 2009–10 (नई श्रंखला आधार वर्श 2004–05) के अनुसार प्रदे ा में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 50,365 रूपये है जोकि वर्श 2008–09 में 46,019 रूपये की तुलना में 9.4 प्रति ात की वृद्धि द ााती है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्श 2008–09 में प्रति व्यक्ति आय 39,242 रूपये आंकी गई थी जो कि वर्श 2009–10 में 3.7 प्रति ात की वृद्धि को द ााते हुए 40,690 रूपये हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय वि लेशण के अनुसार वर्श 2009–10 में प्रदे ा की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 20.74 प्रति ात रहा। गौण क्षेत्रों का 39.65 प्रति ात, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 17.70 प्रति ात, परिवहन संचार एवं व्यापार का 14.67 प्रति ात तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 7.24 प्रति ात रहा।

2.8 प्रदे ा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस द ाक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृशि क्षेत्र जिसमें उद्यान व प ाुपालन भी सम्मिलित है का प्रति ात योगदान वर्श 1990–91 में 26.5 प्रति ात से घट कर वर्श 2009–10 में 14.47 प्रति ात रह गया। फिर भी प्रदे ा की अर्थव्यस्था में कृशि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृशि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रति ात से घट कर 2009–10 में 20.74 प्रति ात रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदे ा की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है में वर्श 1990–91 के प चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रति ात योगदान वर्श 1990–91 में 26.5 प्रति ात से बढ़कर वर्श 2009–10 में 39.65 प्रति ात हो गया जो कि प्रदे ा औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पश्ट रूझान को द ााता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्श 1990–91 में 4.7 प्रति ात से बढ़कर वर्श 2009–10 में 8.2 प्रति ात हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्श 2009–10 में 39.61 प्रति ात रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्श 2009–10 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.1 प्रति ात रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2009–10 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. कशि एवं अन्य	4,582	-11.2
2. वन	1,939	5.7
3. मत्सय	42	0.4
4.खनन तथा उत्खनन	145	92.8
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**6,708**	**-5.7**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृशि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्श 2009–10 में 5.7 प्रति ात की नकारात्मक वृद्धि रही। मौसम के अनुकूल न रहने के कारण कृशि उत्पादन पिछले वर्श की अपेक्षा घटने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में नकारात्मक वृद्धि आई।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2009–10 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	3,866	7.8
2. निर्माण	8,353	14.8
3. विद्युत, गैस	3,099	11.0

तथा जल आपूर्ति		
कुल गौण क्षेत्र	**15,319**	**12.2**

2.12 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्श 2009–10 में 12.2 प्रति ात की वृद्धि हुई जोकि राश्ट्रीय स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इस विशय को द ार्ती है कि अर्थ–व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से गौण क्षेत्र की ओर अग्रसर है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2009-10 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1.परिवहन, संचार व व्यापार	5,387	10.8
2.वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	2,887	11.4
3. सामुदायिक संवायें	5,587	12.5
कुल सेवा क्षेत्र	**13,861**	**11.6**

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्श 2009–10 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर 10.8 प्रति ात रही। इस क्षेत्र का परिवहन से सम्बन्धित भाग 14.7 प्रति ात की वृद्धि को द ार्ता है जो राश्ट्रीय स्तर से अधिक है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्श 2009–10 मे 11.4 प्रति ात रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्श 2009–10 में 12.5 प्रति ात है।

सम्भावनाएं–2010–11

2.16 दिसम्बर,2010 तक प्रदे ा की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्श 2010–11 में विकास दर 9.0 **प्रति ात** आने की संभावना है, जबकि राश्ट्रीय स्तर पर यह दर लगभग 8.6 **प्रति ात** है। प्रदे ा ने गत दो वर्शों में विकास की दर 7.4 प्रति ात व 8.1 प्रति ात प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग 52,426 करोड़ रूपये होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2009–10 में 50,365 रूपये की तुलना में वर्श 2010–11 में 58,493 रूपये आंकी गई है जोकि 16.1 की वृद्धि द ार्ती है।

2.18 हिमाचल प्रदे ा में आर्थिक विकास के वि लेशण से प्रतीत होता है कि प्रदे ा की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में द ार्या गया हैः–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्शीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्शीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्शीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्शिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्शीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्शीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्शिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्शीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्शीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्शिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्शिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्शीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्शीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्शीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्शीय योजना 2007–2008	(+) 8.6	(+) 9.0
2008–2009	(+) 7.4	(+) 6.8
2009–2010(द्रुत)	(+) 8.1	(+) 8.0
2010–2011(अग्रिम)	(+) 9.0	(+) 8.6

लोक वित्त

2.19 प्र ाासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्श 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 11,588 करोड़ रूपये है जोकि वर्श 2009–10 में 10,536 करोड़ रूपये थी जो 9.98 प्रति ात की बढौतरी वर्श 2010–11 में वर्श 2009–10 की तुलना में द ााती है।

2.20 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्श 2008–09 में 2,242 करोड रूपये तथा वर्श 2009–10 में 2,603 करोड़ रूपये की तुलना में वर्श 2010–11 में (बजट अनुमान) 2,955 करोड़ रूपये आंकी गई जोकि वर्श 2010–11 की आय से 13.52 प्रति ात अधिक है।

2.21 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें ब्याज प्राप्ति, परिवहन तथा अन्य प्र ाासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय
सम्मिलित हैं, वर्श 2010–11 (बजट अनुमान) में 1,779 करोड़ रूपये आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 15.35 प्रति ात था।

2.22 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्श 2010–11 (बजट अनुमान) में 1,635 करोड़ रूपये आंका गया है।

2.23 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्श 2010–11 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय 1,741 करोड़
रूपये आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 37.93 प्रति ात है। वर्श 2009–10 में व
वर्श 2008–09 में यह क्रम ाः 43.60 व 40.45 प्रति ात थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्श 2010–11 में राज्य उत्पादन भाुल्क से प्राप्त आय 549 करोड़ रूपये आंकी गई है।

2.24 कुल सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व घाटे की प्रति ातता वर्श 2008–09 व 2009–10 में क्रम ाः (–) 0.34 व (–) 0. 36 प्रति ात है।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बैक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही राश्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण आपूर्ति को पूरा करने का उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं।

3.2 सितम्बर,2010 तक बैंक भााखाओं की संख्या 1,439 थी । इस समय हिमाचल प्रदे ा में 28 वाणिज्यिक बैंकों की 879 भााखाएं जिसमें 652 भााखाएं ग्रामीण और 227 भााखाएं भाहरी/अर्ध– ाहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अभी तक 379 ए.टी.एम. म ीने प्रदे ा के विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई हैं। राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को संयोजक बैंक के रूप में 140 भााखाओं के जाल के साथ उत्तरदायित्व सौंपा है। अन्य बड़े बैंकों में पंजाब नै ानल बैंक (पी.एन.बी.) की 248 भााखाएं, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.) की 185 भााखाएं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) की 84 भााखाएं और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की 41 भााखाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बड़े मजबूत जाल के साथ 4 कोआपरेटिव बैंक 407 भााखाओं के साथ और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 153 भााखाओं के साथ कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदे ा राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का भीार्श बैंक है। हिमाचल प्रदे ा में 6 जिलों ि ामला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, तथा चम्बा में इसकी 175 भााखाएं हैं इनमें एक भााखा दिल्ली भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जबकि कांगड़ा, केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उना तथा लाहौल–स्पिति में 163 भााखाएं हैं तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक की केवल सोलन जिलें में 20 भााखाएं हैं।

सि़तम्बर,2010 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी 3.1 में द ार्या गया है तथा उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

अग्रिम एवं जमा राशि

3.4 सितम्बर,2010 के अंत तक राज्य में सभी कार्यरत बैंकों में कुल जमा रा ि 36,184 करोड़ रूपये के साथ 18.48 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की गई। सितम्बर,2010 के अंत तक साल दर साल का उधार 16,736 करोड़ रूपए दर्ज किया गया जोकि पिछले वर्श सितम्बर,2009 के मुकाबले में 16.04 प्रति ात अधिक थी। संयोजक बैंक ने वाहिय ऋण के आंकड़े एकत्रित किए हैं जिसका राज्य में इस्तेमाल हुआ है जोकि 7,222 करोड़ रूपए हैं सितम्बर,2010 तक थोरेन्ट कमेटी के सुझाव

के आधार पर जमा एवं अग्रिम अनुपात 70.34 प्रति ात रहा।

सारणी 3.1

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(करोड़ रूपये)

मद	सितम्बर,2009	सितम्बर,2010	वर्श के दौरान परिवर्तन
1. जमा राि ा (पी.पी.डी.)			
ग्रामीण	18394.36	23014.28	4619.92
अर्ध भाहरी	12146.62	13169.43	1022.81
कुल	**30540.98**	**36183.71**	**5642.73**
2. अग्रिम (ओ/एस)			
ग्रामीण	7793.77	10417.22	2623.45
अर्ध भाहरी	6628.92	13540.38*	6911.46
कुल	**14422.69**	**23957.60**	**9534.91**
3. जमा उधार अनुपात (प्रति ात में)			
ग्रामीण	42.37	45.26	2.89
अर्ध भाहरी	54.57	102.82	48.25
कुल	**48.49**	**47.03**	(-) **1.46**
4. बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवे ा	805.28	379.82	(-) 425.46
5. निवे ा जमा उधार अनुपात में (आईसीडी) प्रति ात में)	49.86	47.30	(-) 2.56
6. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	9242.47	10717.06	1474.59
(i) कृशि	3182.14	3291.03	108.89
(ii) एम.एस.एम.ई.	2781.88	4743.81	1961.93
(iii) ओ.पी.एस.	3278.45	2682.22	(-) 596.23
7. गरीबों को अग्रिम	2370.72	2966.78	596.06
8. ड़ी. आर. आई. अग्रिम	7.92	5.73	(-) 2.19
9. अल्प संख्यकों को ऋण	194.58	427.00	232.42
10.अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	5180.32	6019.02	838.70
11.महिलाओं के लिए ऋण	873.99	737.27	(-) 136.72
12.अनुसूचित जातियों को अग्रिम	831.45	1367.51	536.06
13..अनुसूचित जन–जातियों को अग्रिम	305.18	359.67	54.49
14.सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम	578.24	722.23	143.99
15. भााखाओं की संख्या	1373	1439	66

*इसमें बाहरी ऋण भाामिल हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र में उधार

3.5 कुल प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकों द्वारा सितम्बर,2009 तक दिए गए ऋण 9,242 करोड़ के मुकाबले यह राि ा सितम्बर,2010 में 16.00 प्रति ात की वृद्वि दर्ज करते हुए 10,717 करोड़ रूपये हो गई। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक क्षेत्र में उधार की भागीदारी 64 प्रति ात से भी अधिक दर्ज की गई जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित राश्ट्रीय मानक के आधार पर भागीदारी 40 प्रति ात है। बैंकों द्वारा 1,620 करोड़ रूपये के नए ऋण चालू राजस्व वर्श में सितम्बर,2010 तक दिए गए हैं और अच्छी उपलब्धी द ााता है। क्षेत्रवार उपलब्धि निम्न सारणी में द ाई गई हैः–

सारणी 3.2

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	वार्षिक वचनबद्धता 2010–11	वास्तविक उपलब्धि सितम्बर, 10 तक	सितम्बर,2010 के लक्ष्य की प्रति ात उपलब्धि
1	2	3	4
1. कृशि	1942.55	450.00	105.30
2. एम.एस.एम.ई.	1237.62	404.90	148.71
3. अन्य प्राथमिक क्षेत्र	1798.77	331.94	83.88
4. गैर प्राथमिक क्षेत्र	934.59	433.55	210.86
कुल योगः	**5913.53**	**1620.39**	**124.55**

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यकमों के अन्तर्गत बैंकों का योगदान

क. प्रधानमंत्री रोजगार कार्यकम

3.6 यह योजना तीन नोडल संस्थाओं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, के.वी.आई.सी. तथा डी.आई.सी. द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। सितम्बर,2010 तक वार्शिक लक्ष्य 694 ईकाईयों के विपरीत बैंकों द्वारा 777 ऋण आवेदकों की जगह 326 ऋण आवेदकों के ऋण स्वीकृत किए गए और 246 को ऋण वितरण किया गया जोकि 47 प्रति ात की उपलब्धी द ााता है जो ऋण स्वीकृत किए गए भौतिक लक्ष्य के उपर हैं तथा 971.78 रूपये की राि ा को आंवटित किया गया।

ख. स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

3.7 यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सितम्बर, 2010 तक 25.72 करोड़ रूपये के नि चत किए गए ऋणों के बदले में राज्य के बैंकों ने 14.07 करोड़ रूपये के ऋण आंवटित किए। जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिधान है। व्यक्तिगत स्वरोजगार लाभकारी को 6.73 करोड़ रूपये और स्वरोजगार समूहों को 11.33 करोड़ रूपये की राि ा आंवटित की गई और लक्ष्य की प्रति ातता 55 प्रति ात रही। स्वरोजगारी व व्यक्तिगत् को 1,198 करोड़ रूपये की कुल ऋण राि ा बैंकों द्वारा

स्वीकृत की गई हैं व 3.71 करोड़ रूपये की राशि उपदान के रूप में व्यक्तिगत् व स्वरोजगारियों को स्वीकृत की गई।

ग. स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.–2010–11)

3.8 भारत सरकार ने 1.4.2009 से एस.जे.एस.आर.वाई. योजना का प्रारूप पांच मुख्य अवयवों को कार्यान्वित करने के लिए बदला है। इनमें से केवल दो अवयव शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम ही बैंक वित्त से जुड़ेगें। बैंको द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 14 ऋण मामलों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2010 तक 12 ऋण मामलों को 4.91 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

घ. शहरी निर्धनों के लिए आवासीय ब्याज पर उपदान योजना (आई.एस. एच.यू.पी.)

3.9 भारत सरकार के आवासीय और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय द्वारा देश के शहरी निर्धनों के लिए ब्याज पर उपदान की शहरी आवासीय कमी को दूर करने के लिए योजना प्रारम्भ की। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ब्याज उपदान 5 प्रतिशत वार्शिक 1 लाख रूपये की राशि पर कम आय वर्ग को 1.60 लाख रूपये की राशि पर शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण या नया घर खरीदने पर दी जाएगी। वर्श (2008–12) 4 बर्शों की अवधि में 3.10 लाख अतिरिक्त मकानों का संग्रह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग के वृतखण्ड में होने की आशा है। यह स्कीम प्राथमिक ऋण संस्थाओं द्वारा मुहैया करवाना प्रस्तावित है। जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आवासीय वित्तीय कम्पनियां। राश्ट्रीय आवासीय बोर्ड और हुडको को प्रशासनिक और उपदान देने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

योजना का संक्षिप्त विवरण

- **योग्यताः** जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग से संबंध रखता हो और उसका जमीन का प्लॉट हो या मकान चिन्हित कर जिसे वह खरीदना चाहता हो। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रूपये और कम आय वर्ग की आय रूपये 5001 से 10,000 तक होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर व कम आय वर्ग वाले उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जातीय, विकलांग या महिलाएं लाभार्थी हो।
- **पहचानः** लाभार्थी की पहचान राज्य सरकार/ स्थानीय शहरी निकाय द्वारा ली जाएगी।
- **ऋण की राशिः** उपदान ऋण अधिकतम 1 लाख रूपये का होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान का एरिया 25 वर्ग मीटर और 1.60 लाख रूपये से कम आय वर्ग के लिए 40 वर्ग मीटर का एरिया कम से कम होना चाहिए (ब्याज उपदान केवल 1 लाख रूपये तक मान्य है)
- **ब्याज की दर :** न्यूनतम ब्याज दर से ज्यादा ब्याज बैंकों द्वारा नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत् यदि ऋण की राशि 2

लाख रूपये होगी। ऐसे ऋणों पर पहले कोई भी रकम देय नहीं होगी।

- **ऋण की अवधिः** 15 से 20 वर्ष तक
- **स्कीम का समयः** योजना 2012 में बंद हो जाएगी। 11वीं पंचवर्शीय येाजना के अंतिम वर्श में जो ऋण वर्श के अंत में लिए जाएंगे उनकी वापसी की समय सीमा भी 20 वर्श होगी।
- **ज्मानतः** घर की इकाई को प्राथमिक जमानत के आधार पर गिरवी रखना तथा एक लाख रूपये के ऋण तक कोई गारंटी नहीं होगी।
- **उपदानः** ब्याज उपदान 5 प्रति ात वार्शिक आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग को पूरे समय तक ऋण पर दी जाएगी। मकान का निर्माण या नया घर खरीदने के लिए मुहैया करवाया जाएगा। ब्याज उपदान केवल 1 लाख रूपये की रा ि ातक दिया जाएगा। केवल आर्थिक रूप से कमजोर व कम आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए होगा। राश्ट्रीय आवासीय ब्यूरो व हुडको केन्द्रीय नोडल एजेंसियां होगी जोकि उपदान के आंवटन और इसकी प्रगति की देखरेख भी करेंगी। अभी तक कोई भौतिक लक्ष्य बैंकों को नहीं दिए गए हैं।

ड. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनाः—

3.10 इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2010 तक छोटे ग्रामीण कारीगरों तथा स्वंय रोजगार व्यक्तियों को 1,312 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड दिए गए जबकि इनका लक्ष्य वर्श 2010—11 तक 4500 कार्ड बनाना है। यह योजना बड़ी नजदीकी से नाबार्ड की देखरेख में है।

च. सूक्ष्म वित्त

3.11 बैंकों ने राज्य में 55,342 स्वंय सहायता समूह गठित किए जिनमें से 50,767 स्वंय सहायता समूह को ऋण के लिए बैंकों से सम्बद्ध कर लिया गया है । बैंकों ने 323.16 करोड़ रूपये के ऋण इन समूहों को स्वीकृत किए हैं।

छ. किसान क्रेडिट कार्ड

3.12 राज्य में बैंकों ने सभी योग्य/ स्वैच्छिक किसानों को इस वि ोश कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें से सितम्बर, 2010 तक 4,14,197 किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए तथा 1,204.17 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए। बैंक किसानों की पास बुक भी स्वीकार कर रहा है जोकि हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा किसान पास बुक 2000 के कानूनी पत्र के रूप में ऋण देने की योजना के अधीन बनाई गई है।

ज. महिला उद्यमियो को ऋण सुविधा

3.13 30सितम्बर,2010 तक बैंकों ने महिला उद्यमियों को 737.27 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। सितम्बर,2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 5 प्रति ात अनुबंध के अनुसार बैंकों के वित्तीय ऋण की महिलाओं के लिए हिस्सेदारी 4.41 प्रति ात दर्ज की गई।

झ. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन—जातियों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

3.14 बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता सितम्बर,2009 की तुलना में सितम्बर 2010

तक हिमाचल प्रदे ा में बैंकों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के लोगों को लाभान्वित करने के लिए 1,728 करोड़ रूपये की रा ा प्रदान की गई जोकि पिछले वर्श सितम्बर,2009 की तुलना में 52 प्रति ात अधिक रही। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को बैंक ने 1368 करोड़ रूपये का ऋण तथा अनुसूचित जन–जाति के लाभार्थियों को 3.60 करोड़ रूपये की बकाया अग्रिम रा ा प्रदान की गई।

ड़ अल्प संख्यकों को ऋण

3.15 सितम्बर 2010 तक अल्पसंख्यकों को कुल ऋण 427 करोड़ रूपये के दिए जोकि सितम्बर 2009 की तुलना से 120 प्रति ात अधिक है। निर्धारित 15 प्रति ात लक्ष्य को सितम्बर तक प्राप्ति करने के लिए बैंक प्रयासरत हैं।

ट विभिन्न ब्याज दर की योजना के अन्तर्गत् ऋण विस्तार(डी.आर.आई.)

3.16 सितम्बर 2010 के लक्ष्य को 1 प्रति ात की दर से पूरा करने का राज्य के बैंक डी.आर.आई. अग्रिम में केवल 0.03 प्रति ात का लक्ष्य ही प्राप्त कर सकी है। पिछड़े हुए सामाजिक वर्गों को कम ब्याज दर पर निधि देने के लिए सरकार के वि ोश प्रयास जारी हैं।

ठ. हि0प्र0 में शत–प्रतिशत वित्तीय/ऋण समावेश की प्रगति

3.17 बैंक राज्य में वित्तीय/ ऋण समावे ा की 100 प्रति ात उपलब्धि की ओर अग्रसर है। बैंकों द्वारा सितम्बर,2010 तक लगभग 72 प्रति ात परिवारों को विभिन्न ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत लाया गया। आ ाा है कि मार्च,2012 तक पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

ड. वित्तीय समावेश योजना 2010–12 को लागू करना

3.18 इस योजना के अंतर्गत् 48 बिना बैंकों वाले गांव जिनकी जनसंख्या 2,000 से उपर है प्रदे ा में बैंकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों की रूपरेखा और विभिन्न तरह के आई.सी.टी. मॉडल व बी.सीज के आधार पर चिन्हित किए गए। अब तक 7 गांवों में बैंक की भााखाएं खोली हैं और 16 गांव को बैंकों से 2 किलोमीटर की दूरी के आधार पर जोड़ा गया है। अब आई.सी.टी. मॉडल आधार पर बी.सी. मॉडल भोश 25 गांवों में मार्च 2012 तक लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान

3.19 भारत सरकार से प्राप्त निर्दे ाों के अनुसार बैंकों ने 10 ग्रामीण स्वरोजगार प्रि ाक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान जिला मुख्यालयों पर चालू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त सात वित्तीय साक्षरता केन्द्र हमीरपुर, उना, कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू, किन्नौर और बिलासपुर में भाुरू हैं।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन का बैंकों द्वारा बांटना

3.20 राज्य स्तरीय बैंक कमेटी के निर्णय के तहत यूको बैंक और पी.एन.बी. बैंक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सभी जिलों में बायो–मीट्रिक कार्डों के जारी करने के प ्चात् घर–द्वार पर सामाजिक सुरक्षा पैं ान देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में जिला उना को मॉडल के रूप में एस.बी.आई. द्वारा भाुरू किया गया है।

नाबार्ड द्वारा दूध गंगा योजना की पूंजी योजना को लागू करना

3.21 इस योजना ने राज्य में गति पकड़ ली है और इसकी प्रगति की रिर्पोट जिला स्तर पर देखरेख डिप्टी कमि नर की अध्यक्षता में गठित की गई है। आंकड़ों के हिसाब से जोकि एल.डी.एम. द्वारा दिया गया है। सितम्बर,2010 तक 1,822 ऋण के आवेदन डेरी परियोजना के अन्तर्गत् बैंकों से प्राप्त हुए जिसमें से 1,454 ऋण के आवेदन 22.35 करोड़ रूपये की रा‍ि ा के स्वीकृत किए गए और 1,062 ऋण 15.62 करोड़ रूपये की रा‍ि ा के ऋण आंवटित किए गए। 128 ऋण के आवेदन रदद् किए गए और 240 प्रस्ताव बैंकों के पास लंम्बित हैं।

पंडित दीन दयाल कृषि बागवान समृद्वि योजना भाग । व ॥ का कार्यान्वयन करना

3.22 एल.डी.एम. द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 103 ऋण प्रस्ताव इस योजना के अन्तर्गत् प्राप्त हुए जिसमें से 88 मामले 1.73 करोड़ की रा‍ि ा के स्वीकृत किए गए और 52 मामले 1.12 करोड़ रूपये के सितम्बर,2010 तक आंवटित किए गए।

नाबार्ड

3.23 राश्ट्रीय कृशि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्शों में पौध–रोपण एवं बागवानी, ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृशि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृशि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण तरीकों का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य मे पर्याप्त सहयोग दिया है । नाबार्ड के अधिक से अधिक व कि्रयात्मक सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित उधार के साथ उपदान की योजनाएं जैसे डेरी उ्मिता विकास योजना (डी.ई.डी.197) श्रेणीकरण और मानकीरण जन–जातीय विकास निधि जुगाली करने वाले छोटे प ा ु खरगो ा का एकीकृत विकास फलों की पैदावार के लिए वातानुकुलित गोदामों का निर्माण/ उन्नयन, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृशि व्यापार केन्द्र इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण सुविधा संरचना

3.24 भारत सरकार द्वारा वर्श 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमो को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को भाुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से संबंधित वि ोश सरंचना ढांचे के विकास हेतु जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

3.25 आर.आई.डी.एफ. योजना के लागू होने से 31 दिसम्बर,2010 तक सरकार को विभिन्न क्षेत्र में 4,475 परियोजनाओं जैसे पौली हाउस, सिंचाई, सड़क, व पुल, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण व प्राथमिक पाठभााला के

कमरों के निर्माण हेतु 2982.28 करोड़ रूपये की राभिा स्वीकृत की गई है।

3.26 चालू वित्त वर्श में 31 दिसम्बर,2010 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास निधि के अन्तर्गत 290.93 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। वर्श 2010—11 के दौरान प्रदेभा सरकार को 240.26 करोड़ रूपये वितरित किए गए जिससे सरकार को अब तक का कुल वितरण 1,915.45 करोड़ रूपये हो गया है ।

3.27 स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन / पूर्ण होने के उपरान्त 72,001 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई, 20,007 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा, 147 हैक्टेयर भूमि को पोली हाउस के अंतर्गत लाया जाएगा, 6,682 कि. मी. वाहन योग्य सड़कें, 17,523 मी. लम्बे पुलों का निर्माण व 6,219 हैक्टेयर भूमि को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। पीने का पानी 2183817 लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राथमिक पाठभाालाओं में 2,921 कमरों का निर्माण व वरिश्ठ माध्यमिक पाठभाालाओं में 64 विज्ञान प्रयोगभाालाओं का निर्माण किया जाएगा। 25 नए सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र व 397 प ु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

पुनः वित्त सहायता

3.28 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृशि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृशि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा 31दिसम्बर,2010 तक प्रदेभा में कार्यरत विभिन्न बैंकों को 391.98 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता वर्श 2010—11 के दौरान दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय गग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए इस वर्श 198 करोड़ रूपये की ऋण सीमा स्वीकृत की है जिसके तहत 31 दिसम्बर,2010 तक इन बैंकों द्वारा 117.87 करोड़ रूपये का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है।

लघु ऋण

3.29 स्वंय सहायता समूह (एस. एच. जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेभा में एक सभाक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च भिाखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विभोश योगदान रहा है। इस समय 30 सितम्बर, 2010 तक प्रदेभा में 55,342 स्वंय सहायता समूह कार्यरत हैं जिनकों समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं किसान क्लब व बैंकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। सितम्बर,2010 तक प्रदेभा में 50,767 स्वंय सहायता समूह को 1,134 बैकों के साथ लघु ऋण गतिविधियों के साथ जोड़ा गया। कुल 40 किसान क्लब स्वंय सहायता उत्साहजनक हित संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड ने लघु एवं सीमान्त कृशक, पट्टेदार कृशक, साझेदार कृशक एवं वे कृशक जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं, को ऋण उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त देयता समूह के नाम से एक योजना प्रारम्भ की है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.30 नाबार्ड द्वारा 31 दिसम्बर,2010 तक राज्य में 1,266 कृशक

क्लब बना दिए गए हैं तथा सभी कार्यरत हैं। नाबार्ड रयुटर मार्किट लाइट कार्यक्रम के तहत एक योजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसके अन्तर्गत् एस.एम. एस. के द्वारा मौसम संबंधी भविश्यवाणी, फसल के बारे में राय, उस स्थान पर उपलब्ध स्पोट वीकृत मार्किट प्राइज से कृशकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सिरमौर जिले में कृशक क्लबों का संगठन बनाया गया हैं नाबार्ड वाटर ौड विकास परियोजना के तहत तीन वाटर ौड विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कृशकों को नई तकनीक तथा खेती के नए तरीकों की जानकारी देने के लिए स्कीम फॉर टैक्नोलाजी (कैट) के अन्तर्गत् भ्रमण एवं प्रायोगिक प्रि ाक्षण दिया जा रहा है ताकि वे उसे अपना सके। इसके अन्तर्गत् पौली हाउस तकनीक, जैविक खेती, बायोखाद, वर्मी कम्पोस्ट, सुगंधीय तथा औशधिया पौधों की खेती, म ारूम की पैदावार पर व्यवहारिक तथा प्रायोगिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ऐसे भ्रमण कुछ चुनिंदा अनुसंधान केन्द्रों, कृशि विज्ञान केन्द्रों एवं कृशि वि वविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। वर्श 2009–10 में ऐसे 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इस वर्श के अंत तक 20 भ्रमणों का लक्ष्य है। नाबार्ड द्वारा हमीरपुर, मण्डी, चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में धान एवं गेंहू की खेती के गहनीकरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू जिले में मधुमक्खी पालन की परियोजना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.31 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृशि क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। वर्श 2010–11 के दौरान नाबार्ड ने 31दिसम्बर, 2010 तक वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृशि क्षेत्र के विकास के लिए 336.43 करोड़ रूपये नाबार्ड ने टूरिजम क्लस्टर के विकास के लिए संरचना की जरूरतों को सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता तथा ऋण की जरूरतों पर विचार कर रहा है। ग्रामीण टुरिज्म एवं एग्रो टुरिज्म से संबंधित सभी गतिविधिया नाबार्ड की गैर कृशि क्षेत्र के अन्तर्गत् पुनर्वित प्राप्त कर सकेगी। नाबार्ड स्वरोजगार ऋण कार्ड योजना (एस.सी.सी) को भी ग्रामीण हथकरधा एवं लघु अद्यमियों के हित के लिए समर्थन देगा जिससे व कार्य ील पूंजी तथा अवरूद्व पूंजी दोनों के लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण का प्रावधान कर सके। अभी हाल ही में नाबार्ड ने पर्यटन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उनकी ऋण आव यकता को पूरा करने के लिए पर्यटन समूहों को विकसित करने का निर्णय लिया है। सभी गतिविधियां जो ग्राामीण पर्यटन का हिस्सा है नाबार्ड के अंतर्गत पुनः वित्तीय सहायता की हकदार हैं। नाबार्ड ने स्वरोजगार ऋण कार्ड योजना ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य लघु उद्यमियों के लिए चलाई है जिसके लिए पर्याप्त ऋण कार्य ील पूंजी का प्रावधान है।

3.32 ग्रामीण गैर कृशि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए

पुनर्वित उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड कौ ाल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही साथ प्रि ाक्षण सह–उत्पादन केन्द्र स्थापित करने, मास्टर ि ाल्पकार के प्रि ाक्षण तथा इसी प्रकार के दूसरे संस्थानों की जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रि ाक्षण देते हैं ताकि यदि उनके अन्दर क्षमता है जो रोजगार उपलब्ध हो अथवा आय सृजक कार्यक्रम भाुरू कर सकें। चालू वर्श नाबार्ड में गैर–सरकारी संगठनों को 24 कौ ाल विकास कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे कि 600 ग्रामीण महिलाओं का विकास संभव हो पाया। सोलन स्थित आई.एस.ई.डी. दाड़लाघाट को भी रूपये 7.46 लाख की वित्तीय सहायता, 300 ग्रामीण युवाओं को प्रि ाक्षण देने के लिए उपलब्ध करवाई गई। असंगठित ग्रामीण उत्पादों के लिए विपणन अवसरों को विकसित करने के लिए नाबार्ड सरल ग्रामीण बाजार और हाट के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2009–10 में और चालू वर्श में नाबार्ड ने 5 रूरल हाट तथा 18 ग्रामीण दुकानें प्रदे ा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोजित किए है। 30 से अधिक स्वंय सहायता समूहों को विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रर्द ानी/ मेलों/ फेयर आदि में अपने उत्पादों के विपणन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। नाबार्ड ने महिला आधारित सर्वधानात्मक कार्यक्रम जैसे अरविंद, महिमा, देवता, मदर युनिट, कॉमन फेसेल्टी सैंटर इत्यादि भी भाुरू किए हैं जिससे कि महिला उद्यमी का कौ ाल विकास संभव हो सके।

योजना जो सुधा नाम से प्रचलित है, नाबार्ड द्वारा हस्तकरधा बुनकरों में कौ ाल एवं डिजाईन विकास के लिए चालू की गई है। नाबार्ड ने ग्रामीण गरीबों के लिए नाबार्ड–एस.डी.सी. ग्रामीण नवोन्मशी निधि का निर्माण किया है। इस निधि से नवोन्मशी तथा ऐसे कार्यक्रम जो प्रचलित नहीं हैं तथा प्रायोगिक रूप से भाुरू किए जा सकते हैं चाहे वह किसी कृशि क्षेत्र में हों या गैर कृशि क्षेत्र में अथवा सुक्ष्म वित के क्षेत्र में हों लेकिन वे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं, को सहायता दी जाएगी।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.33 वर्श 2009–10 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह 4,456.06 करोड़ रूपये तक पहुंच गया जोकि वर्श 2008–09 से 20.92 प्रति ात अधिक है नाबार्ड की पी.एल.सी. के आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए 4,978.94 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितम्बर,2010 तक 2,483.47 लाख रूपये (49.9 प्रति ात) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। जहां तक वित्तीय समावे ा की बात है, 1जनवरी,2007 तक 100 प्रति ात वित्तीय समावे ा प्राप्त करके प्रदे ा ने दे ा में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने जून,2009 को 100 प्रति ात ऋण समावे ान प्राप्त कर लिया ।

4. आबकारी एवं कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदे ा में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्श 2009–10 के दौरान कुल 2,274.75 करोड रूपये राजस्व संग्रहण में से वैट संग्रह 1,488.16 करोड रूपये था जो कि कुल राजस्व का 65.42 प्रति ात बनता है। आबकारी नियम के तहत 500.72 करोड का संग्रहण किया गया, जो कुल संग्रहित राजस्व का 22.01 प्रति ात है, भोश 12.57 प्रति ात हि.प्र. पी.जी.टी. अधिनियम, हि0 प्र0 विलासिता अधिनियम, हिमाचल प्रदे ा सी.जी.सी.आर. अधिनियम, हिमाचल प्रदे ा मनोरंजन कर अधिनियम और हिमाचल प्रदे ा टोल टैक्स अधिनियम से किया गया। चालू वर्श 2010–11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक 2,177.49 करोड रूपये का राजस्व जुटाया गया जो पिछले वर्श की तुलना में 31.91 प्रति ात अधिक है तथा इसी तरह वैट के अन्तर्गत 38.74 प्रति ात राजस्व वृद्वि दर्ज की गई। चालू वर्श में सरकार द्वारा तय किए गए 2900 करोड रूपये राजस्व लक्ष्य से अधिक की उम्मीद है।

4.2 वर्श के दौरान अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय करते हुए हिमाचल प्रदे ा लोकल एरिया एक्ट–2010 भुारू करके आने वाले माल पर प्रवे ा कर का प्रावधान किया है जिससे नवम्बर–2010 तक 62.92 करोड राजस्व प्राप्त होने का एहसास हो गया है। वैट की दर, धान, चावल, गेहूँ, आटा, मैदा, बेसन, दालें, वनस्पति तेल, वनस्पति, रसोई गैस तथा तिलहनों को छोड कर 4 प्रति ात से बढाकर 5 प्रति ात की गई। अतिरिक्त राजस्व जुटाने हेतु वैट की मानक दर

पंजाब के बराबर 12.50 प्रति ात से बढाकर 13.75 प्रति ात की गई है। चालू वर्श दिसम्बर, 2010 तक लगभग 75 प्रति ात रजिस्टर्ड डीलरों के टिन नम्बर जारी किए गए तथा प्रयास किये जा रहे हैं कि मार्च 2011 तक सभी रजिस्टर्ड डीलरों को टिन नम्बर जारी कर दिए जाएँ। विभाग ने अनुसूची के तहत औद्योगिक आदानों की प्रविश्टि को युक्तिसंगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है जिससे राज्य से बाहर खरीददारी से बचा जा सके। सी व डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए एक वि ोश टी.डी.एस. योजना तथा ढाबों, कैंटीन तथा अन्य खाना खाने के स्थानों की सुविधा के लिए सरकार ने एकमु त योजना तैयार की है।

4.3 हिमाचल प्रदे ा पी.जी.टी. अधिनियम (ए.जी.टी.) (सड़क द्वारा कुछ सामान पर)"के तहत थोक डीलरों के प्राधिकार को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा बैरियर पर भीढ कम करने के लिए नियमों / अधिनियमों में सं ाोधन का प्रावधान किया है। वैट–XXVI-A के पहले घोशण पत्र की सुविधा मुख्य बैरियरों में बढा दी गई है जिससे यातायात का मुक्त प्रवाह सुनि चत हो सके।

चालू वर्श के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत राजस्व 600 करोड रूपये प्राप्त होने की उम्मीद हैं तस्करी पर अंकु ा लगाने के लिए काफी हद तक पैट बोतलों को कांच की बोतलों में तबदील कर दिया गया है। चिपकने वाला आबकारी लेवल /होलोग्राम की

प्रक्रिया कार्यान्वयन के अन्तिम चरण में है जिसके लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी है।

सेवाओं का कम्पयूटरीकरणः

विभाग का कम्पयूटरीकरण कार्य तेज गति से चल रहा है। फरवरी, 2011 तक डाटा केन्द्र बन कर पूर्ण हो जाएगा जिससे विभाग के प्रमुख स्थान व बडे–बैरियर ऑन–लाइन हो जाएंगे। विभाग का पहले से ही एक स्वतन्त्र वेब–पोर्टल है जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के व्यापारियों/डीलरों के लिए समर्पित किया गया है। औद्योगिक और व्यापारिक समुदायों को दे ा के किसी भी स्थान से करों की अदायगी करने के लिए इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे ही डाटा केन्द्र फरवरी,2011 से कार्य करना भुारू कर देगा ई–रिटर्न और ई–घोशणाओं (वैट-XXVI-A) –के दाखिल की सुविधा आरम्भ हो जाएगी।

कम्पयूटरीकरण से लीकेज में कमी आएगी तथा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से व्यापारियों व व्यापार समुदायों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होगी। कम्पयूटरीकरण से उपलब्ध सेवाएं निम्न प्रकार से होगीः–

- ऑन लाईन पंजीकरण सुविधा,
- ई–रिटर्न और ई भुगतान के दाखिले के लिए सुविधा,
- ई–घोशणाओं के प्रस्तुत करने के लिए सुविधा,
- सी एफ व एच ऑन लाईन–सुविधा घोशणा पत्र प्रदान करने के लिए,
- विभिन्न एम.आई.एस. भविश्य की राजस्व योजना के लिए विभाग को सुविधा प्रदान करने के लिए,
- ऑन–लाईन सुविधा से बैरियरों पर मुक्त यातायात प्रवाह में मदद मिलेगी।

कम्पयूटरीकरण परियोजना के पूर्ण होने व आई.टी. के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ 2011–12 में राजस्व अर्जन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।

जी.एस.टी के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति पर पहुंचने के लिए अधिकार प्राप्त समिति में कुछ प्रगति हुई है। अधिकार प्राप्त समिति के सामने निम्नलिखित क्षेत्रों पर राज्य के विचारों को उठाया गयाः–

- राज्य की वित्तीय स्वायतता भारतीय संघ की संघीय संरचना के तहत अति महत्वपूर्ण है, अतः जी.एस.टी के कार्यान्वयन के लिए राज्य की वित्तीय स्वायतता पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
- जी.एस.टी का समान रूप से कार्यान्वयन के लिए राज्य में आई.टी. संरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- केन्द्र और राज्य के दोहरे नियंत्रण से बचना चाहिए। दोनों स्तरों पर नियमित रूप से समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना मुि कल होगा। दोहरे नियंत्रण

अंतर–राज्य टैक्स क्रेडिट दावों से सम्बन्धित विवादों एवं मुकदमों में वृद्धि होगी।

- डीलरों को एकल एजेंसी यानि राज्यों को रिर्पोट करनी चाहिए जिससे जी.एस.टी चुनने में व्यापारी समुदायों से आ रहे प्रतिरोध में कमी आएगी।
- केन्द्र के पास राज्यों में सी. जी.एस.टी. के अन्तर्गत टैक्स उगाही के लिए पर्याप्त जन– ाक्ति व बुनियादी ढांचे नहीं हैं। अतः सी.जी.एस.टी. के अन्तर्गत् टैक्स उगाही में राज्यों को भी अनुमति देनी चाहिए तथा इस सेवा के लिए राज्यों को पांच प्रति ात बतौर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- जैसा कि बहुत बड़ी संख्या में वि ोश पैकेज के तहत औद्योगिक युनिट स्थापित किए गए/किए जा रहे हैं को ोश असमाप्त जी.एस.टी के अन्तर्गत भाामिल करने आव यक प्रावधान किया जाना चाहिए।

2000–2001 के बाद से विभाग की राजस्व प्राप्ति नीचे दी गई तालिका से स्पश्ट हो जाएगी।

राजस्व प्राप्ति भीर्श–वार वृद्धि

(करोड़ रूपये)

वर्श	राज्य उत्पाद	बिक्री कर	पी.जी.टी.	ओ.टी.डी.	कुल
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	273.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-04	280.30	436.34	33.96	85.00	835.60
2004-05	299.90	542.37	38.32	97.83	978.42
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-08	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11 11/2010 तक	350.20	1400.94	65.93	173.13	1990.20

5. भाव संचलन

क. भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्रमुखता सूची में एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परे ाान करती है। मुद्रा स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राश्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्श 2009 को 132.9 से बढ़कर दिसम्बर,2010 माह में 144.1(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 8.43 प्रतिभात दर्भाता है। माहवार थोक मूल्य सूचकांक वर्श 2010–11 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्भाई गई है:–

सारणी 5.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 1993–94=100

मास	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10*	2010–11*	मुद्रा–स्फीति दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	180.9	191.7	199.0	211.5	228.5	124.6	138.3	11.0
मई	182.1	192.1	201.3	212.3	231.1	125.5	138.8	10.6
जून	185.2	193.2	203.1	212.3	237.4	126.4	139.4	10.3
जुलाई	186.6	194.6	204.0	213.6	240.0	127.8	140.6	10.0
अगस्त	188.4	195.3	205.3	213.8	241.2	129.3	140.7	8.8
सितम्बर	189.4	197.2	207.8	215.1	241.5	129.9	141.5	8.9
अक्तूबर	188.9	197.8	208.7	215.2	239.0	130.5	142.4	9.1
नवम्बर	190.2	198.2	209.1	215.9	234.2	132.4	142.3(अ)	7.5
दिसम्बर	188.8	197.2	208.4	216.4	229.7	132.9	144.1(अ)	8.4
जनवरी	186.6	196.3	208.8	218.1	228.9	134.8	...	...
फरवरी	188.8	196.4	208.9	219.9	227.6	134.8	...	...
मार्च	189.4	196.8	209.8	222.5	228.2	135.8	...	...
औसत	**187.2**	**195.6**	**206.2**	**215.6**	**234.0**	**130.4**	**...**	**...**

अ = अस्थाई   *** आधार वर्श 2004–05**

5.2 हिमाचल प्रदेभा में भाव की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेभा में भाव पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवभयक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,558 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ.आई.वी.आई.एम.एस.(खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली) लागू कर रहा है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेभा में आवभयक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 2001=100) राश्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। अप्रैल,2010 से दिसम्बर,2010 तक हिमाचल उपभोक्ता राश्ट्रीय मुल्य वृद्धि सूचकांक में राश्ट्रीय उपभोक्ता सूचकांक की 8.8 प्रति ात की तुलना में प्रदे ा की वृद्धि केवल 5.1 प्रति ात आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवभयक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेभा सरकार ने कई आदेभाों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्श के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवभयक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100)

माह	2004–05	2005–06	2006–07*	2007–08*	2008–09*	2009–10*	2010–11	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	481	505	118	126	133	141	158	12.1
मई	481	502	117	125	132	142	158	11.3
जून	485	501	120	125	134	144	158	9.7
जुलाई	491	509	120	126	136	149	163	9.4
अगस्त	496	512	121	126	137	150	164	9.3
सितम्बर	497	519	122	127	140	151	165	9.3
अक्तूबर	500	525	124	127	141	152	165	8.6
नवम्बर	498	527	124	127	141	155	165	6.5
दिसम्बर	491	521	124	126	139	156	166	6.4
जनवरी	497	521	125	127	139	156	...	...
फरवरी	498	521	124	128	140	156	...	...
मार्च	499	530	125	130	140	157	...	...
औसत	**493**	**516**	**122**	**127**	**138**	**151**	...	**...**

*** आधार वर्श 2001=100 आधार को जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.53 है।**

सारणी 5.3
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार 1982=100)

माह	2004–05	2005–06	2006–07*	2007–08*	2008–09*	2009–10*	2010–11*	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	504	529	120	128	138	150	170	13.3
मई	508	527	121	129	139	151	172	13.9
जून	512	529	123	130	140	153	174	13.7
जुलाई	517	538	124	132	143	160	178	11.3
अगस्त	522	540	124	133	145	162	178	9.9
सितम्बर	523	542	125	133	146	163	179	9.8
अक्तूबर	526	548	127	134	148	165	181	9.7
नवम्बर	525	553	127	134	148	168	182	8.3
दिसम्बर	521	550	127	134	147	169	185	9.5
जनवरी	526	551	127	134	148	172	...	...
फरवरी	525	551	128	135	148	170	...	...
मार्च	525	551	127	137	148	170	...	...
औसत	**520**	**542**	**125**	**133**	**145**	**163**	...	**...**

* आधार वर्श 2001=100 आधार को जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.63 है।

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने की सरकार की नीति का एक विभोश घटक उचित मूल्य की 4,558 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी तथा मिटटी के तेल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिभिचत कराना है । खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है (i) ए.पी.एल. गरीबी रेखा से उपर (ii) बी.पी.एल. गरीबी रेखा से नीचे (iii) अन्त्तोदय (अतिनिर्धन) (iv) अन्नपूर्णा (निःसहाय वृद्धों के लिए) जिन्हें वृद्वा पैं ान नहीं मिलती।

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदे ा में 16,11,410 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अंतर्गत 73,75,053 व्यक्तियों को 4,558 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है जिनमें सहकारी सभाओं के अंतर्गत 3,011, पंचायतों द्वारा 38, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 133, व्यक्तिगत 1,372 तथा महिला मण्डल द्वारा 4 उचित मूल्य की दुकाने चलाई जा रही है।

6.3 वर्श 2010–11 में अप्रैल,2010 से दिसम्बर,2010 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

सारणी 6.1

क्र.सं.	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2010 तक
1.	गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	1,30,901
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	68,535
3.	गेहूं (बी.पी..एल.)	मी..टन	52,166
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	40,693
5.	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी..टन	35,679
6.	चावल (ए.ए.वाई.)	मी..टन	26,672
7.	चावल अन्पूर्णा	मी..टन	194
8.	दोपहर का भोजन	मी..टन	14,937
9.	लेवी चीनी	मी..टन	40,088
10.	मिट्टी का तेल	कि.ली.	...
11.	पैट्रोल	कि.ली.	1,59,388
12.	डीजल	कि.ली.	2,37,574
13.	एल.पी.जी.	संख्या	67,86,719
14.	नमक	मी..टन	9,435
15.	दाल चना	मी..टन	10,702
16.	दाल उड़द	मी..टन	10,809
17.	काला चना	मी..टन	10,702
18.	सरसों का तेल	कि.ली.	10,920
19.	रिंफाईण्ड तेल	कि.ली.	10,379

6.4 हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा प्रदे ा के सभी रा ान कार्डों पर उपभोक्ताओं को वि ोश अनुदान पर दालों व खाद्य तेल का वितरण वर्श 2010–11 में निम्न प्रकार से किया जा रहा है:–

सारणी 6.2

क. सं	वस्तु	मूल्य	स्केल (मात्रा)
1	2	3	4
1	काला चना	20.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार प्रतिमाह
2.	उड़द	35.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह
3	दाल चना	25.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार प्रतिमाह
4	सरसों का तेल	45.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक लीटर तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार प्रतिमाह
5	रिंफाईण्ड तेल	40.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक लीटर प्रति परिवार प्रतिमाह
6	आयोडीन नमक	4.00 रूपये प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह

सारणी 6.3

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भण्डारण

क.सं.	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2010 तक
1	2	3	4
1.	गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	6,772
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	1,723
3.	गेहूं (बी.पी..एल.)	मी..टन	1,984
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	1,004
5	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी.टन	2,533
6.	चावल(ए.ए.वाई.)	मी..टन	1,025
7.	चावल अन्नपूर्णा	मी..टन	5
8.	लेवी चीनी	मी..टन	1,671
9.	मिट्टी का तेल	कि.ली.	1,621
10.	एल.पी.जी.	संख्या	1,71,569
11.	स्टीम कोयला	मी..टन	0
12.	नमक	मी..टन	389
13.	दाल चना	मी..टन	442
14.	दाल उड़द	मी..टन	453
15.	काला चना	मी..टन	366
16.	सरसों का तेल	कि.ली.	444
17	रिफाईण्ड तेल	कि.ली.	370

6.5 अन्य कार्य / उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रालियम उत्पादन

इस समय प्रदे ा में 36 मिट्टी तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 293 पैट्रोल पम्प तथा 122 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

नागरिक आपूर्ति

6.6 हिमाचल प्रदे ा नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के तौर पर राज्य में कार्यरत है। निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्र्तगत नियन्त्रित खाद्य एवं अन्य आव यक वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण का कार्य कर रहा है।

वर्तमान में निगम लेवी चीनी, चावल, गेहूं और गेहूं का आटा, डीजल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां राज्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर 115 थोक भण्डारों, 124 उचित मूल्यों की दुकानों, 50 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 33 दवाईयों की दुकानों की मदद से मुहैया करता रहा है।

निगम मीड–डे–मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को चावल व अन्य आव यक वस्तुएं संबंधित जिलाधी ाों के आंवटन के अनुसार मुहैया करवा रहा है। इस वित वर्श में दिसम्बर,2010 तक निगम ने इस योजना के अन्तर्गत 14,939 मी0टन चावल मुहैया करवाए हैं जबकि पिछले वर्श इसी समय अवधि के लिए 15,455 मी0टन के मुहैया करवाए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा पोशित योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित वि ोश वस्तुएं (दालें/ खाद्य तेल/नमक) भी निगम द्वारा मुहैया करवाई गई। वर्तमान वित वर्श के दौरान दिसम्बर,2010 तक इस योजना के अंतर्गत 19,303.62 लाख रूपये की विभिन्न वस्तुएं प्रापण व वितरण की गई जबकि पिछले वर्श इसी समय अवधि के लिए 19877.90 लाख रूपये की वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण किया गया था।

उपर वर्णित के इलावा निगम ने उन वस्तुओं का जोकि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी.ए. भीट और एस.एन.पी. के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का भी थोक गोदामों व दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण किया।

इसके साथ–साथ खुले बाजार की कीमतों का नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान वित्त वर्श में दिसम्बर,2010 तक निगम ने विभिन्न नियंत्रण से बाहर की वस्तुओं का प्रापण एवं

वितरण जिनका मूल्य 20,216.31 लाख रूपये है पिछले वर्श इसी अवधि के लिए 17,661.34 लाख रूपये की वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण किया गया था।

नए बिक्री केन्द्र भाुरू/ अनुमोदित

6.7 जनता की भलाई के लिए निगम ने 2010–11 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों को भाुरू/ अनुमोदन किया गया।

क सं	विक्रय केन्द्र का नाम	जिला
1	थोक विक्रय भंडार, भाहपुर	कांगड़ा
2	एल.पी.जी. एजेंसी, चिढगांव (ीघ्र कार्यान्वित की जाएगी)	ि ामला
3	एल.पी.जी.एजेंसी,बद्दी (ीघ्र कार्यान्वित की जाएगी)	सोलन
4	दवाई विक्रय केन्द्र, जोगिन्द्रनगर	मण्डी
5	दवाई की दुकान,ज्वालामुखी	कांगड़ा

उपरवर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी निकट भविश्य में कुल्लू एवं नादौन में भाुरू कर दी जाएगी। जुब्बल व नादौन में नई दवाईयों की एजेंसी भाुरू करने का प्रस्ताव भी निगम के पास विचाराधीन है।

सरकारी आपूर्ति

6.8 हिमाचल प्रदे ा खाद्य आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाईयों, सीमेंट सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति के लिए प्रापण का प्रबंध कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्श 2010–11 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगीः–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों	90.00 करोड़ रू0
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग	11.28 करोड़ रू0
3	जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग	105.50 करोड़ रू0

6.9 वर्तमान वित्त वर्श 2010–11 (जून 2010 से) सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत सीमेंट जोकि पंचायतों में विकास के कार्यों में प्रयोग होगा के प्रापण व वितरण का कार्य भी निगम को सौंप दिया गया है। दिसम्बर,2010 तक निगम ने पंचायतों के लिए 10,46,789 बैग सीमेंट के प्रापण व वितरण का प्रबंध किया।

राज्य में जन–जातीय एंवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.10 निगम वे सभी जरूरी उपभोग वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थ (मिटटी तेल व एल.पी.जी. को मिलाकर) उन सभी जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में

उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है जहां पर निजी व्यवसायी कम लाभ के कारण आगे नही आते हैं। वर्श 2010–11 में जरूरी वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थों की आपूर्ति उन सभी जन–जातीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्रों में सरकार के कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करवाई गई।

कृषि

7.1 कृशि हिमाचल प्रदे ा के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदे ा की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदे ा में कुल कामगारों में से 70 प्रति ात श्रमिकों को कृशि से ही रोजगार उपलब्ध होता है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 17 प्रति ात कृशि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है । प्रदे ा के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदे ा में औसतन जोत 1.0 हैक्टेयर है। कृशि गणना 2005–06 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पश्ट है कि कुल जोतों में से 87.14 प्रति ात जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 12.54 प्रति ात अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.32 प्रति ात जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1

भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	6.37 (68.28%)	2.58 (26.65%)	0.4
1.0–2.0	लघु	1.76 (18.87%)	2.45 (25.31%)	1.4
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.88 (9.44%)	2.40 (24.79%)	2.7
4.0–10.0	मध्यम	0.29 (3.11%)	1.65 (17.05%)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.3%)	0.60 (6.20%)	20.0
जोड़		**9.33**	**9.68**	**1.0**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रति ात क्षेत्र वर्शा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमा ा राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृशि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोश्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप सम ाीतोश्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- भुाश्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व भीत मरूस्थल।

प्रदे ा की कृशि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृशि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृशि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्शा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्शा

बरसात में ही होती है तथा भोश बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,435 मी.मी. वर्शा होती है। सबसे अधिक वर्शा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2010

7.5 कृशि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदे I में वर्श 2010 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में किन्नौर तथा कुल्लू में अत्याधिक मण्डी, ि ामला, सिरमौर, सोलन और उना जिलों में सामान्य तथा बिलासपुर, हमीरपरु में कम और चम्बा, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्शा हुई। इस वर्श हिमाचल प्रदेभा में मौनसून मौसम में सामान्य वर्शा की तुलना में 10 प्रति ात अधिक वर्शा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पि चम मौनसून मौसम में वर्शा की स्थिति को दर्भाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा
(जून–सितम्बर 2010)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रति ातता
बिलासपुर	857	899	–42	–5
चम्बा	812	880	–68	–8
हमीरपुर	1040	1093	–53	–5
कांगड़ा	1372	1567	–195	–12
किन्नौर	547	184	363	198
कुल्लु	1142	570	572	100
लाहौल–स्पिति	364	456	–92	–20
मण्डी	1217	1140	77	7
ि ामला	1000	719	281	39
सिरमौर	1764	1403	361	26
सोलन	1160	1038	122	12
उना	977	834	143	17

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्शा के आंकड़े
(1.10.2010 से 31.12.2010)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रति ातता
बिलासपुर	116	79	37	47
चम्बा	65	134	–69	–52
ळमीरपुर	94	81	13	16
कांगड़ा	83	109	–26	–24
किन्नौर	84	104	–20	–19
कुल्लु	136	70	66	94
लाहौल–स्पिति	84	159	–75	–47
मण्डी	92	85	7	9
ि ामला	88	74	14	19
सिरमौर	71	97	–26	–27
सोलन	114	101	13	13
उना	100	70	30	43

टिप्पणीः

सामान्य –19 प्रति ात से +19 प्रति ात
अधिक 20 प्रति भात से अधिक
न्यून –20 प्रति भात से –59 प्रति भात
अपर्याप्त–60 प्रति ात से –99 प्रति ात

फसल उत्पादन 2009–10

7.6 हिमाचल प्रदे I की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृशि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्श 2009–10 में कृशि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 17 प्रति ात योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्शीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी

हुई कृशि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रद र्शन व जानकारी द्वारा वि शेश महत्व दिया गया है। वर्श 2009–10 कृशि के लिए अनुत्पादक होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्श 2008–09 के 12.27 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्श 2009–10 में 10.17 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना है। वर्श 2008–09 के 1.03 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्श 2009–10 में आलू उत्पादन 1.84 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्श 2008–09 के 10.90 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्श 2009–10 में 12.06 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2010–11 के अनुमान

7.7 वर्श 2010–11 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 15.80 लाख मीट्रिक टन होने की आ शा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पि चम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.5 प्रति शत क्षेत्र वर्शा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2010 में उत्पादन लक्ष्य जोकि 9.37 लाख मी. टन के विपरीत 8.71 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में भ्रुरू होती है। बीजाई तथा फसल सीजन के दौरान अनुकूल वर्शा होने की बजह से रवी सीजन में खाद्यान्न तथा सब्जियों को अच्छी पैदावार होने की संभावना है। राज्य में वर्श 2007–08, 2008–09 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, 2009–10 का संभावित तथा वर्श 2010–11 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्श 2011–12 के लक्ष्य सारणी 7.4 में द र्शाए गए हैः–

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसले	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11 (अनुमानित उपलब्धियां)	2011–12 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
चावल	121.45	118.28	105.90	113.54	140.00
मक्की	682.61	676.64	543.19	740.64	785.00
रागी	2.49	2.44	2.21	2.97	4.50
अनाज	5.46	4.29	1.85	3.76	7.50
गेंहू	562.01	381.18	327.14	670.04	690.00
जौं	30.68	20.45	16.25	34.14	41.00
चना	1.37	0.29	0.37	0.77	4.50
दालें	34.59	23.22	20.29	13.83	17.50
कुल खाद्यान्न	**1440.66**	**1226.79**	**1017.20**	**1579.69**	**1700.00**
2.वाण्ज्यिक फसले					
आलू	155.26	103.63	184.43	185.00	180.00
सब्जियां	1040.49	1090.33	1206.24	1250.00	1300.00
अदरक (शुश्क)	2.55	1.88	3.12	6.00	7.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृशि योग्य भूमि का प्र न है सारे दे ा की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्दे य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आव यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्श 2009–10 में 784.02 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदे ा में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को द ााता है जोकि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्श	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
1	2	3	4
2005–06	792.69	1068.68	1.35
2006–07	806.10	1476.47	1.83
2007–08	811.98	1440.66	1.77
2008–09	789.01	1226.79	1.55
2009–10	784.02	1017.20	1.29
2010–11(अनुमानित उपलब्धि)	796.29	1579.69	1.98
2011–12(लक्ष्य)	797.50	1700.00	2.13

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यकम (एच.वाई.वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्शों में लाया गया क्षेत्र तथा 2011–12 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्श	मक्की	धान	गेहूं
1	2	3	4
2005–06	273.14	70.94	346.15
2006–07	280.61	72.65	349.60
2007–08	280.31	73.51	332.09
2008–09	280.51	74.61	325.22
2009–10	296.50	76.00	328.00
2010–11(संभावित)	300.34	78.25	358.50
2011–12(लक्ष्य)	295.00	75.00	358.00

प्रदे ा में बीज उत्पादन के 25 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदे ा में 14 आलू विकास केन्द्र, 3 सब्जी विकास केन्द्र, तथा 2 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यकम

7.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्दे य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रति ात कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रति ात उपदान

दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में द ाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्श	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
1	2	3
2004–05	368.00	161
2005–06	400.00	134
2006–07	450.00	134
2007–08	440.00	135
2008–09	435.00	135
2009–10	442.00	169
2010–11(संभावित)	438.00	141
2011–12(लक्ष्य)	440.00	140

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोग ाला में इनका वि लेशण किया जाता है। सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोग ालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोग ालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्श 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोग ालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोग ाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं और वर्श 2010–11 वि लेशण में 1 लाख 25 हजार मिट्टी के नमूनों की जांच किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा सभी योग्य किसानों के स्वास्थ्य मिट्टी कार्ड प्रदान किए जाएंगें जोकि किसानों की मिट्टी में कितनी पोशकता और उर्वरकता की उनके खेतों में जरूरत है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रि ाक्षण, प्रद िन, मेले/ गोश्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। वर्श 2011–12 के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान 10x6x1.5फीट वर्मी पिट तैयार करने तथा 250 रूपये 2 किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए 3750/– 50 प्रति ात अनुदान पर दिए जाते। 2010–11 के अंत तक 34,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के भुारू होने से मार्च,2010 तक राज्य में 43,073 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रति ात अकेले हिमाचल प्रदे ा में ही होता है। वर्श 2009–10 में राज्य में 200 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 160 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्श 2010–11 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2010 तक 244 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। वर्श 2011–12 के दौरान 300 बायोगैस संयंत्र लगाने प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें द ाक के

अन्त में तथा 60वें द ाक के भाुरू में हिमाचल प्रदे ा मे उर्वरक के प्रद र्नि भाुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्श 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्श 2009–10 में 53,239 टन हो गया। सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की ढुलाई के लिए 100 प्रति ात उपदान देती है। राज्य सरकार, कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर 200 रूपये प्रति मीट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12:32:16, 10:26:26 डी.ए.पी. के अनुपात व मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 15:15:15 के अनुपात पर 500 रूपये प्रति मीट्रिक टन उपदान देती है। उर्वरक उपभोग निम्न सारणी 7.8 में द ार्याया गया है।

सारणी 7.8
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्श	नाईट्रोजिनियस (एन.)	फोसफेटिक (पी.)	पोटास (के.)	कुल (एन. पी. के.)
1	2	3	4	5
2005–06	30375	9736	7862	47973
2006–07	30794	10225	7962	48981
2007–08	32338	8908	8708	49954
2008–09	35462	10703	11198	57363
2009–10	31319	10901	11018	53239
2010–11(संभावित)	35100	8700	6200	50000
2011–12(लक्ष्य)	35100	8700	6200	50000

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुि कल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जोकि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को वि ोशकर फसलों मे जोकि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृशि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्दे य है। राज्य स्तरीय बैकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल वि ोश ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह वर्शों में बहुत ही सफल रही है। 1,373 से भी अधिक बैंक भााखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2010 तक 4,14,197 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना भाुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर,,2010 तक 1,204.17 करोड़ रूपये के ऋण दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में द ार्ाई गई है।

सारणी 7.9
किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति

क्र. सं.	बैंक	सितम्बर, 2010 तक जारी रू0 (करोड़)	सितम्बर,2010 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए
1	2	3	4
1	वाणिज्यिक बैंक	712, 66	1,56,141
2	कोओपरेटिव बैंक	388.11	1,97,764
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	103.40	60,292
	कुल	**1,204.17**	**4,14,197**

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्श 1999–2000 के रबी मौसम से 'राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना' भाुरू की। भाुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृश्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्श 2007–08 से रवी पर अनुदान 10 से 50 प्रति ात तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आव यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृशि वीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किभतों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर भाामिल किया गया है। रवी फसल 2010–11 के दौरान यह योजना प्रगति पर है। सभी बैंक भााखाओं द्वारा 31 मार्च,2011 तक ऋणी किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव मान्य होगें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा व उना में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) का वर्श 2010–11 में प्रबंध किया गया है।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृशि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृशि विपणन तथा कृशि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेभा कृशि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेभा विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेभा 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्वेभय कृशक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृशि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2

प्रतिभात से 1 प्रतिभात की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृशि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिि चत करना है। हिमाचल प्रदे ा कृशि उपज मार्किट अधिनियम को आद ्रा अधिनियम में दर्ज किया गया जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृशि, एवं एक बिन्दु पर प्रवे ा भुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड बिना किसी योजना सहायता के स्वयं अपनी निधी से सभी कार्यकलापों को चला रही है।

चाय विकास

7.20 चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15.00 लाख कि0 ग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृशि औजारों पर 50 प्रति ात अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्शों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रद र्ान और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृशि औजार/ म ाीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई म ाीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे इंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृशि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाश संख्या 1800—180—1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है।

कृषि विकास के लिए सूक्ष्म प्रबन्धन दृष्टिकोणः—

7.22 विगत में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समरूप से संगठित किया गया था और बहुत से मामलों में स्थिति प्रदेभा की स्थिति के अनुकूल नहीं थी। राज्य सरकार ने इन मुभिकलातों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुछ लचीलापन लाने हेतू त्वरित कृशि विकास में नए प्रयोगात्मक दृश्टिकोण हेतू भारत सरकार के समक्ष रखा। इस दृश्टिकोण के आधार पर राज्य सरकार ने जो कार्य योजना प्रस्तुत की उस के हिसाब से राज्य को वर्श 2000—01 तक 90 प्रति ात केन्द्रीय सहायता (80 प्रति ात अनुदान तथा 20 प्रति ात ऋण) रूप में मिलेगें तथा 10 प्रति ात हिस्सा राज्य योजना का होगा। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता अनाज की फसलों की बेहतरी, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पानी के संग्रहण के टैंकों का निर्माण, बेमौसमी सब्जियों के विकास, मसाले, उच्च गुणवता वाले बीजों का उन्नयन, एकीकृत पोशण प्रबन्धन एवं सीधे तौर पर कृशि से जुडी महिलाओं के बीच सामान्जस्य स्थापित करने को दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 वर्श 2010—11 के दौरान 482 व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजनाएं, 60 जल हारवैस्टिंग योजनाएं कार्यान्वित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 5.75 करोड़ रूपये की अनुमानित रा ा से 40 वाटर ौड विकास योजनाएं जिनके अंतर्गत 4,700 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं से भू एवं जल

संरक्षण तथा फार्म स्तर में रोजगार अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

पंडित दीन–दयाल किसान बागवान समृद्वि योजना

7.24 ग्यारवीं पंचवर्शीय योजना में अधिक व जल्दी विकास सहित कृशि क्षेत्र में बजट आ वासन व चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने के लिए कृशि विभाग ने नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्वेश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्श आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ.–XIV के आधार पर 154.92 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं जिसे इस वित्तीय वर्श 2008–09 से शुरू करके चार वर्शों में लागू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा आर. आई.डी.एफ.–XIV के अर्न्तगत 198.09 करोड़ रूपए स्वीकृत किए। यह परियोजना 2008–09 से आगामी चार वर्शों में लागू की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत 17,312 स्पिंकलर/ ड्रीप सिंचाई स्कीमें स्थापित की जाएगी। लगभग 2.59 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पोली गृह खेती तथा 2,700 हैक्टेयर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत लाया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृशि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राश्ट्रीय कृशि विकास योजना प्रारम्भ की है। ग्यारवीं योजना के दौरान आर.के.वी.वाई. 4 प्रति ात की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृशि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्दे य निम्न प्रकार से हैंः–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृशि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवे ा हो।
2. राज्यों को कृशि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृशि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृशि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनि चत करना।
4. राज्यों द्वारा कृशि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनि चत करना।
5. सरकार द्वारा हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के फासले को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृशि और संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण प्राप्ति होना।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न अवयवों को कृशि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृशि विकास के लिए वर्श 2010–11 में 94.85 करोड़ रूपये की राि ा प्रदान की है जिसमें बागवानी, प ाु–पालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी भाामिल है।

उद्यान

7.26 हिमाचल प्रदे ा की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाउ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि सम ीतोश्ण तथा उश्ण कटीबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान्न उत्पादन जैसे फूल, म ारूम, भाहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

7.27 प्रदे ा की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ द ाकों में भूमि उपयोग अब कृशि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है । वर्श 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्श 2009–10 में 2,08,154 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 3.82 लाख टन हुआ तथा वर्श 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक कुल फल उत्पादन 9.61 लाख टन आंका गया है। 2010–11 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2010 तक 4,017 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 9.72 लाख पौधें वितरित किए गए।

7.28 हिमाचल प्रदे ा में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 48 प्रति ात है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 81 प्रति ात है। वर्श 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्श 2009–10 में 99,564 हैक्टेयर हो गया।

7.29 सेब के अतिरिक्त सम ीतोशण फलों के अंतर्गत वर्श 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2009–10 में 26,875 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2009–10 में 11,037 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोशण दे ीय फलों का क्षेत्र वर्श 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2009–10 में क्रम ाः 22,050 हैक्टेयर तथा 48,628 हैक्टेयर हो गया । अन्य फलों के उत्पादन में पिछलें वर्शों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया ।

7.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन मे आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। वि व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदे ा मे सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पे ा आ रही है। गत कुछ वर्शों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्शित किया है। प्रदे ा के वि ााल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृशि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आव यकता है।

7.31 फलो–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्दे य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवे ा करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा लीची विकास कार्यक्रम, स्ट्राबेरी

कार्यक्रम, औशधीय एवं सुगन्धित पौध कार्यक्रम एवं छोटी अवधि के अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

7.32 हाल ही में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की खेती के लिए कृशि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन वर्शों तथा चालू वित्त वर्श के दिसम्बर,2010 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में द र्ााए गए है।

सारणी 7.10
फल उत्पादन

(हजार टन)

मद	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11 (31दिसम्बर 2010 तक)
1	2	3	4	5
सेब	592.58	510.16	280.11	892.11
अन्य सम ाीतोश्ण फल	53.91	39.93	37.08	25.44
सूखे मेवे	2.92	3.55	2.81	2.44
नीबू प्रजाति	24.67	26.01	28.14	5.14
अन्य उपोश्णीय फल	38.76	48.43	34.1	35.39
कुल	**712.84**	**628.08**	**382.24**	**960.52**

7.33 फल उत्पादकों को उनके फलों का पैक करने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाए गए है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रगतिनगर जिला शिमला में स्थापित कार्टन फैक्टरी को लीज पर दे दिया जाए तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एच.पी.एम.सी., ए.आई.सी., हिमफैड़ और किनफैड (केवल किन्नौर जिला के लिए) बागवानों को परेशण (कन्साइनमैंट) के आधार पर बिना किसी उपदान के कार्टन की आपूर्ति करेगें। इसके अतिरिक्त फल उत्पादक अपने स्तर पर भी राज्य तथा राज्य से बाहर से भी कार्टन इत्यादि खरीदते हैं। पापुलर युकोलेपटस के वृक्षों के लगभग 3.50 लाख बक्से भी उत्पादकों द्वारा राज्य से बाहर से लाए गए।

7.34 बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 271 हैक्टेयर क्षेत्र को फूलों की खेती के अंतर्गत 31.12.2010 तक लाया गया। प्रदे ा में 48 फूल उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है। वर्श 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय म ारूम विकास परियोजनाओं में 360.00 मीट्रिक टन पास्चूराईजड़ खाद तैयार कर म ारूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 2,572.30 मीट्रिक टन म ारूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्श 2010–11 में 31 दिसम्बर,2010 तक 1,600 मीट्रिक टन भाहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 194.76 मीट्रिक टन भाहद का उत्पादन हुआ।

7.35 हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा सेब एवम् आम फल फसल हेतू मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्श 2009–10 में लागू करने हेतू स्वीकृति प्रदान की गई है। सेब हेतू यह योजना ि ामला जिला के पांच विकास खण्डों ठियोग, जुब्बल, रोहड़ू, चिड़गांव तथा जिला कुल्लू के आनी विकास खण्ड में प्रायौगिक तौर पर लागू की गई है। वर्श 2010–11 में अन्य नौ सेब उत्पादक विकास

खण्ड ि ामला जिला के रामपुर, चौपाल, मण्डी जिला के करसोग, जंजैहली, कुल्लू जिला के बंजार, नग्गर, किन्नौर जिला का निचार तथा चम्बा जिला के तीसा, सलूनी भी इस योजना में भाामिल किए गए हैं। इसी तरह आम फल फसल हेतू यह योजना जिला कांगड़ा के चार विकास खण्डों इन्दौरा, नूरपुर, नगरोटा–सूरियां और फतेहपुर में लागू की गई है। वर्श 2010–11 में अन्य पांच आम फल फसल उत्पादक विकास खण्ड जिला हमीरपुर के नादौन, जिला बिलासपुर का सदर विकास खण्ड, जिला उना के अम्ब तथा जिला सिरमौर का पौंवटा साहिब विकास खण्ड इस योजना के अन्तर्गत् लाया गया है। इस बीमा योजना का कार्यन्वयन एग्रीकल्चर इं योरैंस कम्पनी ऑफ इण्डिया द्वारा किया जाना है जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है। मौसम आधारित बीमा योजना में देय प्रीमियम को कुल बीमित रा ि ा का 11.5 प्रति ात+10.30 प्रति ात सेवा कर प्रति वृक्ष की दर से वसूल किया जाएगा। कुल बीमित रा ि ा पर देय प्रीमियम को कृशक, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा क्रम ाः 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। यह योजना बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण धारक कृशकों के लिए अनिवार्य तथा अन्य कृशकों के लिए वैकल्पिक है।

7.36 फलोद्यान के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग लाने हेतु प्रदेभा में 115.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता से उद्यान विकास के लिए उद्यान तकनीकी मिभान को भाुरू किया गया ताकि उत्पादन, उत्पादनोपरान्त प्रबन्धन उपभोग और उद्यान विकास हेतु निर्मित निवेभा सरंचना से अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धी और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक उत्पाद मूल्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर पर्यावरण गहनता का विकास आर्थिक रूप से कुभाल रोजगार का वांछित विभाजन, पौधारोपण का विकास और पारम्परिक बुद्धिमता तथा तकनीकी ज्ञान का नवीनतम तकनीकी व ज्ञान जैसे जैव प्रौद्यौगिकी, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा अकाभीय तकनीकी का समिश्रण की तरफ पर्याप्त व समयानुसार और निरन्तर ध्यान दिया जा सके तथा उन कार्यक्रमों के चतुर्मुखी व व्यापक तालमेल से उद्यान क्षेत्र का विकास किया जा सके। इस परियोजना के अर्न्तगत् वर्श 2010–11 के दौरान भारत सरकार द्वारा उद्यान तकनीकी मि ान योजना के अंतर्गत 29.50 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी 5 करोड़ की एक किस्त भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

एच.पी.एम.सी.

7.37 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्दे य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.38 वर्श 2010–11 में 31 दिसम्बर,2010 तक एच.पी.एम.सी. ने 1,109.98 लाख रूपये के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी. एम.सी. ने केवल 65,624.82 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की जिसमें से 10,167 मीट्रिक टन एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किए गए जिसमें से 794.90 मीट्रिक टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। इस वर्श

निगम ने बढ़िया किस्म के सेब 435.38 लाख रूपये के खरीदकर सारे दे ा में बेचे। कार्पोरे ान इस वर्श आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्श खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम द्वारा 15.00 मी.टन नींबु प्रजाति के फलों की खरीद की गई। खरीदे गए फलों में से 7.00 मीट्रिक टन को बाजार में बेचा गया तथा 8.00 मीट्रिक टन का प्रंसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को इंडियन एयरलाईन, रेलवे, उत्तरी कमान हैडक्वाटर उधमपुर, मै. पारले तथा पंताजली योग पीठ हरिद्वार के लिए भेज रही है। 31.12. 2010 तक एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए 348.43 लाख रूपये के उत्पाद भेजे हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई. टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए 31.12.2010 तक मु0 308.83 लाख रूपये के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31.12.2010 तक 410.61 लाख रूपये के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदे ा के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदे ा सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 5 भीतल भण्डार गृहों से 301.87 लाख रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। एच.पी.एम.सी. के रिकांग पिओ, जड़ोल–टिक्कर, गुम्मा, ओड़ी तथा पतलीकूहल स्थित सेब पैंकिग गृहों के नवीनीकरण हेतु भारत सरकार के ए.पी.ई.डी.ए. से भात प्रति ात सहायता के रूप में 797.30 लाख रूपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार सब्जी उत्पादकों की सुविधा हेतु जिला हमीरपुर के नादौन में पहला आधुनिक सब्जी पैंकिग गृह स्थापित करने के लिए भारत सरकार के ए.पी.ई.डी.ए. से भात प्रति ात सहायता के रूप में 353.42 लाख रूपये प्राप्त हुए।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 प ुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदे ा में प ुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। प ु अधिकतर उस चारे में घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अव ोशों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार प ु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अव ोश प्रदान करते हैं जोकि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आव यक भाक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदे ा में प ुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में वि ोश सहायक है। वर्ष 2009–10 में 8.36 लाख टन दूध, 1,615 टन उन, 100.00 मिलियन अंडे, 3,600 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2010–11 में क्रम ाः 9.05 लाख टन दूध, 1,670 टन उन, 107.00 मिलियन अंडे तथा 3,650 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को द ार्ती है।

सारणी 8.1

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
1	2	3
2009–10	8.36	377
2010–11	9.05	400

8.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में प ु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में प ुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) प ु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) प ु आहार व चारा विकास
(vi) प ु स्वास्थ्य सम्बन्धी ि ाक्षा तथा
(vii) प ु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।
(viii) अन्य योजनएं

8.4 वर्श 31.12.2010 तक प ु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय प ु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 45 उप–मण्डलीय प ु चिकित्सालय, 284 प ु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय प ु औशधालय, तथा 1,761 प ु औशधालय एवम् 6 प ु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त प ु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं तथा प ुओं के आवागमन पर नज़र रखते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आरोग्य प ुधन योजना के अन्तर्गत 186 प ु औशधालय खोले गए हैं।

8.5 राज्य में भेड़ व उन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (ि ामला) सरोल (चम्बा) नगवाई मण्डी, ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। वर्श 2009–10 में इन फार्मों में 1,967 भेड़े पाली गई और 187 नर मेंढ़े भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदे ा में भाुद्व नस्ल के मेंढ़ों

सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर भाुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व उन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्श 2010–11 के दौरान 16.70 लाख किलोग्राम उन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगो ाों के प्रजनन के लिए खरगो ा प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगो ा फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदे ा में डेरी विकास, प ाुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्शों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, वि ोशकर उन क्षेत्रों में जोकि भाहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, वि ोश महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण प ाुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे प ाु संस्थान तथा दुग्ध फैडरे ान में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्श 2009–10 में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1,965 प ाु संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्श 2009–10 में 7.60 लाख गायों के व 1.72 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया है। वर्श 2010–11 के लिए 8.00 लाख गायों और 2.50 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों का होने की संभावना है। 2009–10 में 1.51 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल.एन.2 गैस उत्पादित की गई और 2010–11 में 1.85 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्श 2010–11 में 1,965 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 6. 00 लाख गायें व 1.40 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रॉस ब्रीड गायों को पालने की वरीयता दी जाती है क्योंकि (सकंरित) गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें भाुश्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

8.7 प ाु–पालन विभाग द्वारा वर्श 2007–08 में अठारहवीं प ाु गणना करवाई गई और इसके आंकड़ों को राज्य के मुख्यालय में अंतिम रूप दिया गया है। इस वर्श 2010–11 तक भीघ्र नतीजे आने की संभावना है। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्श 2010–11 में 2.90 लाख चूजों का वितरण हैच प्रजनन होने की संभावना है तथा 500 कुक्कट पालकों को प्रि ाक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित परिवारों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित परिवारों के लिए 200 चूजे बांटे जाते हैं। यह स्कीम 100 प्रति ात अनुदान पर चलाई जा रही है। वर्श 2009–10 में 350 ईकाईयां स्थापित की गई व 2010–11 में 350 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्श 2009–10 में इस प्रक्षेत्र में 42 घोड़े–घोड़ियों

को रखा गया है। इसी स्थल पर याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्श 2009–10 में 47 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्श 2010–11 में 12.00 लाख चारा जड़ों व 0.45 लाख चारा पौंधों का वितरण तथा 1,00,000 किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

दूध गंगा योजना

8.8

दुध गंगा योजना प्रदे ा में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- अधिकतम 10 दुधारू प ु खरीदने के लिए पांच लाख रूपये का ऋण जिसमें लाभार्थी का 10 प्रति ात हिस्सा भी भाामिल होगा गौ ााला निर्माण हेतु दिया जाएगा।
- दूध निकालने की म ीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतू 18 लाख रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ।
- दूध के दे ी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतू 24 लाख रूपये तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के प ुपालकों को ऋण पर 25 प्रति ात अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.3 प्रति ात अनुदान दिया जाएगा ।
- इन सभी प्रकार के ऋणों में 10 प्रति ात रा ि का भुगतान व्यक्ति वि ोश या समूह द्वारा व 90 प्रति ात रा ि का भुगतान नाबार्ड व राश्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदा किया जाएगा ।

पशुधन बीमा योजना

8.9

- यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में सन् 2006 में भाुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर , ि ामला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्धेश्य प ुधन मालिकों को उच्च किस्म के प ु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों को इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 6.50 प्रति ात रखा जाता है जिसका 50 प्रति ात सरकार व 50 प्रति ात भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

पशु एवं भैंस विकास राश्ट्रीय परियोजना

8.10

प ु एवं भैंस विकास राश्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा भातप्रति ात केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य प ु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए भात–प्रति ात प्राप्ति के लिए 12.75 करोड़ रूपये राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य को 11.24 करोड़ राज्य स्वीकृत किए गए हैं । परियोजना का उद्धे य प ुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है :–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना ।

2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना ।
4. प्रि ाक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना ।
5. कम्पयूटरीकरण ।

कुक्कट क्षेत्र में केन्द्रीय संचालित स्कीमें

8.11 हिमाचल प्रदे ा में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए वि ोशकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदे ा सरकार निम्न योजनाएं चला रही है :–

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन :–

- आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्टे्न किस्म के जोकि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं ।
- एक यूनिट 50 से 100 चूजे होते हैं, एक चूजे की कीमत 20 रूपये होती है ।
- ये चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में खोले जाते हैं जोकि केन्द्रीय संचालित स्कीम राज्य को कुक्कट पालन सहायता के अन्तर्गत है ।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.12 पड़ौसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौश्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण प ु विभिन्न प ु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को **एस्कार्ड स्कीम** के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है । जिसमें 75 प्रति ात भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रति ात भाग राज्य सरकार का है ।

जिन रोगों के लिए मुफत टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं ।

भेड़पालक समृद्धि योजना

8.13

- इस योजना के अन्तर्गत भेड़/बकरी पालकों को 40 भेड़ बकरी तथा दो नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू 1.00 लाख का ऋण जिसमें से 33,000 अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। भेड़–बकरी पालक का भागधन (Marginal Money) इस योजना में 10,000 होगा ।
- भेड़ बकरी प्रजनन इकाई हेतू 500 भेड़/बकरी तथा 25 नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू 25.00 लाख का ऋण जिसमें से 8.33 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। भेड़ बकरी पालक का भागधन इस योजना में 6.25 लाख रूपये होगा ।
- खरगो ा पालकों को अंगोरा इकाई स्थापित करने हेतू 2.25 लाख के ऋण पर 75 हजार का अनुदान उपलब्ध होगा ।
- योजना के प्रथम चरण में **जिला** चम्बा, कांगड़ा व मण्डी के भेड़ बकरी पालकों तथा जिला ि ामला व कुल्लू के खरगो ा पालकों को राश्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य

सहकारी कृशि व ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा । प्रदान किए जाने वाले ऋण को 9 वर्शों की अवधि में आसान कि तों में वापिस किया जाना है जिसमें पहले दो वर्शों में कोई कि त देय नहीं होगी ।

भेड़पालक बीमा योजना

8.14 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में भुारू की गई है। इस स्कीम में प्रीमियम 330 रूपये प्रति वर्श प ुपालक से लिया जाएगा जिसका 100:150:80 के अनुसार में जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया का होगा ।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु 60,000/– रूपये
- दुर्घटना से मृत्यु 1,50,000/– रूपये
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता 1,50,000/– रूपये
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता 1,50,000/– रूपये
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता 75,000/–रूपये

इसके अलावा इस योजना में भाामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुफत लाभ जिसे Add on benefit कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए 1200 प्रतिमाह वजीफा मिलता है ।

दूध पर आधारित उद्योग

8.15 हिमाचल प्रदे ा दुग्ध फैडरे ान राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध फैडरे ान ने 721 समितियां गठित की हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 31,293 है जिसमें 120 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डैरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध फैडरे ान इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध फैडरे ान 21 दुग्ध ठण्डा करने के केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 70,000 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। इस वर्श मिल्कफैड रोजाना औसतन 55,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध फैडरे ान प्रतिदिन लगभग 30,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, चण्डीगढ़ एवं सैनिक युनिट डग ाई, ि ामला, पालमपुर और योल भाामिल हैं।" इसके अतिरिक्त हिमफैड– दूध को मोडल डेरी करनाल भेज रही है। दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

8.16 हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोश्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, प ु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है।

8.17 हिमाचल प्रदे ा सरकार ने 1.05.2010 से दुग्ध के मूल्य में 1 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि करके 38,000 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है। हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड ने 28.00 करोड़

रूपये 2009–10 और 2010–11 में लगभग 34 से 36 करोड़ रूपये राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतू उत्पादकों को दिए जाएंगे।

विकासात्मक प्रयत्न

8.18 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदे ा, दुग्ध प्रसंघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- आर.एस.वी.वाई. योजना के अंतर्गत सिरमौर जिले के नाहन में एक नया दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है लगाया जा चुका है।
- आर.के.वी.वाई. परियोजना के अंतर्गत झलेरा, जिला उना में एक नए दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है लगाया जा चुका है।
- एकीकृत डेरी विकास परियोजना (आई.डी.डी.पी) के अंतर्गत रामपुर जिला ि ामला में एक नया दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन है 255 लाख रूपये की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित है।
- जिला मण्डी में धर्मपुर, गींउ में एक नया 2000 लीटर की क्षमता का दुग्ध अभि ीतन केन्द्र 40.00 लाख रूपये की लागत से मार्च, 2010 में स्थापित कर दिया गया है।
- जिला हमीरपुर, भौरन्ज के समीप एक नया प ाु आहार का प्लान्ट 70.00 लाख रूपये की लागत से लगाया जा रहा है जिसके लिए भूमि सरकार द्वारा दे दी गई है।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदे ा में लगभग 1,400 लोगों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

नया नवीकरण

8.19 कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन भाुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्श 2009–10 में 18,545.60 क्विंटल और 2010–11 में 11,195 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति कर दी गई है तथा 5,736 क्विंटल तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदे ा दुग्ध प्रसंघ इन खण्डों को 1,900 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर कल्याण विभाग के ब्लॉक्स को दिया है। 858 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर मार्च,2011 तक बनाकर भेज दिया जाएगा।

- वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदे ा दुग्ध प्रसंघ ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी हैं जिनमें से आर.के.वी.वाई. है।
- परियोजना सात जिलों के लिए 693.68 लाख रूपये की राि ा की स्वीकृति मांगी है।
- अन्य परियोजना स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम जोकि कुल्लू तथा उना जिलों के लिए है के लिए भी 179.77 लाख रूपये की राि ा की

परियोजना भारत सरकार को

- हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड अपने परचून बिक्री केन्द्र मनाली में खोलने के लिए सफल रहा है।

- दुग्ध केन्द्र पांवटा साहिब, मनाली, जलाड़ी, जिला उना और जलेरी, हमीरपुर में खोले हैं और इन केन्द्रों में दुग्ध व दुग्ध से बने पदार्थों की परचून बिक्री भी भाुरू कर दी जाएगी।

8.20 हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि भाहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदे ा मिल्कफैड यह नि िचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 68 बड़े दुग्ध भीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदि िता लाने के लिए फैडरे ान ने 29 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं और 20 नई स्वःचलित दुग्ध संचय ईकाईयां इस वर्श के अंत तक लगाने की योजना है।

उन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ समिति

8.21 उन संघ का मुख्य उद्दे य हिमाचल प्रदे ा में उनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा उन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के भाोशण से मुक्त करना है।

उन संघ अपने उपरोक्त उद्दे यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा उन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्वीकृति के लिए भेजी है। स्तर पर म ीन ि ायरिंग, भेड़ उन की धुलाई (स्कावरिंग), और उन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कल्पन आयातित स्वचालित म ीनों द्वारा करवाई जाती है।

वर्श 2010–11 में 31.12.2010 तक 1588.40 क्विंटल भेड़ उन तथा अंगोरा उन की खरीद की गई है जिसका मूल्य 74.34 लाख रूपये है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदे ा के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्श में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। उन उत्पादकों / स्थानीय दस्तकार/बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संघ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वूलन एकस्पो का भी आयोजन करता है। उन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन उनी बाजार में किया जा रहा है। उन संघ का वर्श 2011–12 के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित व्यय–लाख रूपये में
1	भेड़ उन खरीद–240000 कि. ग्राम	100.00
2	अंगोरा उन खरीद–500 कि.ग्रा.	03.00
3	भेड़ कल्पन–80,000 कि.ग्राम	–
4	डन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग – 50000 कि.ग्राम	–

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.22 हिमाचल प्रदे ा भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का

जाल प्रदान किया गया है जोकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू क मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदे ा में प्रवे ा कर जाती है। राज्य में बारामासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महा ीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महात्वकांक्षी "इन्डो–नार्वेजन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदे ा के दो बडे जला य गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदे ा में लगभग 6,393 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जला यों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं वर्श 2010–11 के दौरान दिसम्बर,2010 तक प्रदे ा के विभिन्न जला यों में 4,963.78 मीट्रिक टन मच्छली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 2,652.31 लाख रूपये है किया गया। हिमाचल प्रदेभा के जलाभायों को गोबिन्द सागर में देभाभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाभायों में दिसम्बर,2010 तक 755.09 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 431.78 लाख रूपये आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाभय को वर्श के दौरान दिसम्बर,2010 तक राज्य में फार्मों से 13.19 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से 69. 39 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.3 में द ार्या गया है।

सारणी 8.3

टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्श	उत्पादन (टन)	राजस्व (लाख रूपये)
1	2	3
2006–07	16.57	52.21
2007–08	14.98	67.96
2008–09	14.00	69.11
2009–10	15.20	74.67
2010–11 (दिसम्बर,10 तक)	13.19	69.39

8.23 मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जला यों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2009–10 में 217.51 लाख था तथा 2010–11 में 144.05 लाख फार्म बीज का उत्पादन हुआ है। (दिसम्बर,10 तक) पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में भीतल जलचर पालन को वि ोश महत्व दिया जा रहा है। "राश्ट्रीय कृशि विकास योजना" 31 लाख रूपये की योजना स्वीकृत हुई है जोकि निम्न हैं:–

1.	जला ाय मछुआरों के लिए उपकरण कय	29.00 लाख
2.	कार्प मछली का बीज कय	1.00 लाख
3.	कार्प फार्म निर्माण	1.00 लाख
	कुल	**31.00 लाख**

8.24 विभाग द्वारा जला य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की द ाा में संतप्त परिवार को 1,00,000 रूपये तथा अपंगता की स्थिति में 50,000 रूपये बीमा रा ा के तौर पर

प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिभात प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतू अं ादायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अं ादान के बराबर राि ा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जला ाय माहीगीरों को दो किस्तों में वितरित किया जाता है। जला ायों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतू विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे द ार्या गया है :–

क. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राि ा
1	2	3
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना	1 लाख (मृत्यु उपरांत) 0.50 लाख (अपंगता पर)
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	1,025 रू0 (दो किश्तों में)

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेश योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 197 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जला ाय मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदे ा, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाश्य के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है

8.25 विभाग द्वारा वर्श 2010–11 में माह दिसम्बर,2010 तक प्राप्त उपलब्धियों, माह मार्च,2011 तक प्रस्तावित एवं वर्श 2011–12 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

विवरण	**दिसम्बर,2010 तक की उपलब्धियां**	**मार्च,2011 तक की सम्भावित उपलब्धियां**	**सम्भावित निर्धारित लक्ष्य 2011–12**
मत्स्य उत्पादन (टन)	4963.78	7675.00	7675.00
कार्प बीज उत्पादन (मिलियन)	144.05	245.00	245.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन)	13.19	14.20	14.20
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	43.55	75.00	75.00
रोजगार सृजन (संख्या)	197	340	383

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदे ा में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.5 प्रति ात अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदे ा सरकार की वन नीति का मूल उद्धे य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज सांझी वन योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आतें हैं दिसम्बर,2010 तक 869.043 लाख रूपये की लागत से 13,503 हैक्टेयर क्षेत्र इस वन योजना के अंतर्गत लाया गया और 31.3.2011 तक इस कार्य हेतू 766.96 लाख रूपये व्यय किए जाने अपेक्षित हैं। वर्श 2010–11 के दौरान सांझा वन संजीवनी वन के तहत 30 लाख औशधीय पौधे लगाए गए तथा वित्तीय वर्श 2011–12 के लिए इस योजना के अन्तर्गत् 60 लाख औशधीय पौधों का पौधरोपण अनुमोदित है।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

9.3 हिमाचल प्रदे ा विभिन्न प्रकार के प ाु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्धे य आखेट स्थलों एवं राश्ट्रीय पार्को मे ंसुधार लाना है ताकि विभिन्न लुप्त होने वाले प ाु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्श 2010–11 में 433.97 लाख रूपये दिए गए जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 283.44 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं और भोश धनराि ा 31.3.2011 तक व्यय की जाएगी। अगले वित्तीय वर्श 2011–12 के लिए 352.00 लाख रूपये (राज्य योजना) का प्रावधान प्रस्तावित हैं।

वन सुरक्षा

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है । इसलिए यह आव यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकें तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि भामन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आव यकता है। इसके लिए वर्श 2010–11 के लिए 41.34 लाख रूपये दिए गए हैं जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 18.08 लाख रूपये की राि ा व्यय की जा चुकी है तथा बकाया राि ा 31.3.2011 तक व्यय की जानी अपेक्षित हैं। वर्श 2011–12 के लिए 35.00 लाख रूपय प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त वर्श के दौरान 10 वन थाना पूर्ण रूप से कार्यपरक हो गए हैं तथा 7 वन थाने संवेदन ाील क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की योजना है।

स्वान नदी परियोजना

9.5 स्वान नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना CAT-I जापान सरकार की

सहायता से ODA Loan Package के अन्तर्गत वर्श 2006–07 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की लागत 85 प्रति ात लोन तथा 15 प्रति ात राज्य हिस्सा के रूप में निर्धारित की गई है। वर्श 2009–10 के दौरान 2,137.57 लाख रूपये का प्रावधान था जिसका वर्श के दौरान पूर्ण व्यय कर लिया गया है। वित्तीय वर्श 2010–11 के दौरान 3,000.00 लाख रूपये निर्धारित की गई थी जिसमें से माह दिसम्बर,2010 तक 1,808.03 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं तथा बकाया रा‍ि ा वित्तीय वर्श के दौरान व्यय की जानी अपेक्षित है। अगले वित्तीय वर्श 2011–12 के लिए 3,500.00 लाख रूपये की रा‍ि ा प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 मध्य हिमालय वाटर भौड परियोजना प्रदे ा में 1.10.2005 से भुारू की गई यह योजना 6 वर्शों के लिए है जिस की कुल लागत 365 करोड़ है। परियोजना की लागत वि व बैंक एंव राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एंव परियोजना की लागत का 10 प्रति ात हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। यह परियोजना एकीकृत वाटर भौड परियोजना(हिल्ज) जो कण्डी परियोजना के नाम से जानी जाती थी जिसका समापन 30.9.2005 को हो चुका है उस का दूसरा मिलता रूप है। इस परियोजना के अन्तर्गत 600 से 1,800 मीटर उंचाई के 10 जिलों में 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों के क्षेत्र आएगें। इस परियोजना के मुख्य उद्धे य निम्न हैं:–

- **प्राकृतिक संसाधन के खर्चो की प्रक्रिया को बदलना।**
- **प्राकृतिक सम्पदा की संभावी उर्वरक्ता को बढाना।**
- **गांव के लोगों की आय को बढाना।**

वर्श 2009–10 के दौरान इस कार्य के लिए 4,977.17 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए थे जो मार्च,2010 तक व्यय किए जा चुके हैं। वर्श 2010–11 के लिए 6,000.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 3,031.89 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं 31.3.2011 तक भोश रा‍ि ा व्यय की जानी अपेक्षित हैं। वर्श 2011–12 के लिए 5,500.00 लाख रूपये प्रस्तावित हैं।

ईको–टूरिज्मः

9.7 ईको–टूरिज्म के तहत वर्श 2009–10 में पोटरहिल ि ामला, नारकण्डा, ग्रेट हिमालयन नै ानल पार्क और डल्हौजी के वन क्षेत्र के चारों ओर नए स्थल के विकास के लिए नए सर्किटस स्थापित किए गए जिसके लिए 1.817 करोड़ रूपये की धनरा‍ि ा इस वित्तीय वर्श में स्वीकृत की गई। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईको टूरिज्म सर्किट बनाने हेतु जिला कुल्लू, ि ामला, किन्नौर तथा बिलासपुर के लिए 3.68 करोड़ रूपये की लागत वाले ईको–टूरिज्म प्रोजेक्ट स्वीकृत किए। निजी लोगों की भागीदारी के अंतर्गत् 10 प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमति दी गई जिसमें 3 वन विश्राम गृह व 7 टेंटिग हाउस भाामिल हैं, इसमें से 5 की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इसके अतिरिक्त 28.45 लाख रूपये 5 ईको–सर्किटस के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्श के लिए टी.एफ.सी. के अंतर्गत् आवंटित किए गए। वर्श 2010–11 के लिए भारत सरकार से कोई भी धन–रा‍ि ा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

पर्यावरण

9.8 हिमालयी क्षेत्र अद्वितीय भौगोलिक तथा भू–विज्ञान पद्वति का एक अनुपम/ अपूर्व सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अस्तित्व स्थापित करता है। पृथ्वी की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला होने के कारण यह हिमालयी श्रेणी अभी विकसित हो रही है तथा इसे भू–आकृति विज्ञान तथा भूवैज्ञानिक के दृश्टिगत पूर्ण रूप से अभी स्थापित होना है। अतः किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय असंतुलन से न केवल इस क्षेत्र में अपितु साथ लगते मैदानी इलाकों पर भयावह असर पड़ेगा। यह क्षेत्र अपनी बहुमूल्य तथा अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि स्वच्छ जल, वन, जैव–विविधता तथा पर्यटन संभाव्य के कारण परिस्थितिकीय तौर पर अति संवेदन ीील रूप में वि ोश रूप से जाना जाता है। आज जब सामाजिक वैज्ञानिक स्तर पर माना जाने लगा है कि जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्र का परिवे ा, पद्वति पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। अतः इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूल संयोजित साधन अपनाये जाने की आव यकता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदे ा त्वरित आर्थिक विकास की राह में गति ीील है। राज्य सरकार चिरस्थायी विकास के साथ–साथ पर्यावरण प्रबन्धन की परिमाणिता को सुधारने, अति संवेदन ीील जैव विविधता, परितंत्र के संरक्षण के लिए प्रतिबद्व है। राज्य सरकार का सुनिि चत उद्दे य हिमाचल प्रदे ा की जनता के कल्याण को उत्तम स्तर पर लाना तथा प्रदे ा में सामाजिक व आर्थिक समृद्वि सम्पादित करना है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण तथा कार्बन तटस्थता हेतू "सामुदायिक मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षसमर्थन, कार्यावाही" अभियान

9.9 हिमाचल प्रदे ा सरकार ने गत 25 सितम्बर,2009 में पंचायत स्तर पर केन्द्रित एक "सामुदायिक मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षसमर्थन, कार्यावाही" अभियान/ कार्यक्रम का ाुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय संचालक समितियों का गठन कर लिया गया है तथा प्रारम्भिक प्रायोजित अभ्यास के लिए निर्धारित मूल्यांकन पद्वति पैमाने पर कार्बन पदचिन्ह का मूल्यांकन हमीरपुर, बिलासपुर तथा मण्डी जिलों की छह पंचायतों में पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग दस जिलों में गैर सरकारी संगठनों के चयन का कार्य पूरा हो चुका है।

वर्तमान में "अभिमुखन तथा मूल्यांकन" अभ्यास के लिए तीन जिलों उना, सोलन तथा सिरमौर की छह और पंचायतों अर्थात प्रत्येक जिले में दो पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।

आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना

9.10 राज्य में योजना और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानिक और भू– स्थानिक प्रौद्योगिकी के सुविधाजनक सदुपयोग हेतु राज्य में "आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र" (AgiSAG) की स्थापना के लिए पहल की गई है। यह केन्द्र दे ा में सर्वोंतम संस्थाओं एवं उदाहरणों को ध्यान

में रखते हुए और वि ोशकर भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान केन्द्र (BISAG) जो गांधीनगर, गुजरात में स्थापित है, के सहयोग से राज्य में स्थानिक और भू– स्थानिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। यह केन्द्र राज्य में प्रधान प्राकृतिक संसाधन एवं सम्पदा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और राज्य में विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्य को भी सुविधाजनक बनाएगा।

राज्य सरकार उक्त केन्द्र की स्थापना तथा तकनीकी और प्रबंधन वि ोशज्ञता के प्रवाह के लिए गुजरात स्थित भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान केन्द्र (BISAG) के साथ राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिशद के तहत एक तकनीकी समझौता ज्ञापन दर्ज करेगी।

प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन

9.11 राज्य सरकार 2 अक्तूबर,2009 गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से पोलीथीन से बने थैलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तथा "पोलीथीन हटाओं–पर्यावरण बचाओं" अभियान का भुभारंभ धर्म ााला से 21–26 दिसम्बर,2009 को किया गया। अभियान के प्रथम चरण का उद्दे य मुख्य रूप से राज्य में पोलीथीन प्रबंधन के लिए जन साधारण की भागीदारी तथा लोगों को जागरूक करना था। इसके उपरान्त राज्य में "पोलीथीन हटाओं–पर्यावरण बचाओं" के द्वितीय चरण को 22 से 26 अप्रैल 2010 तक चलाया गया जिसका उद्दे य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतू सततता लाना था तथा इसके निशपादन हेतू राज्य में संस्थागत तंत्र के विकास पर केन्द्रित था। इसी तरह "पोलीथीन हटाओं–पर्यावरण बचाओं" के तृतीय चरण को 25 सितम्बर से 2 अक्तूबर,2010 तक चलाया गया जिसका उद्दे य अनुवीक्षण तथा विनियमन (Monitoring and Regulation) को सुदृढ़ करना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 311 टन प्लास्टिक कचरे का एकत्रित किया गया है जिसका उपयोग लगभग 300 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतू किया जाएगा।

इस प्रयास को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 सितम्बर,2010 स्कूली बच्चों की क्षमता के दोहन हेतु "पर्यावरण अनुश्रवण योजना" का भुभारंभ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत पोलीथीन थैलों के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा गैर जीवनाि ात कचरे के इधर–उधर फेलाने आदि पर सरकारी रोक के आदे ाों की दक्षता बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों की क्षमता को उपयोग में लाया जा रहा है।

राज्य में 25 सितम्बर, 2010 को ही एक और "पर्यावरण लेखा परीक्षा योजना" का भुभारंभ किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य के स्कूली बच्चों को स्कूलों के पर्यावरणीय लेखा परीक्षण के लिए प्रि ाक्षण दिया जा रहा है जिसमें जल, वायु, भूमि, उर्जा तथा कचरा प्रबंधन आदि क्षेत्र भाामिल हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों को मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदे ा को और "लोक प्र ाासन में प्रधानमंत्री उत्कृश्ट्ता पुरस्कार" के लिए भी चयनित किया गया है।

9.12 पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य की परिस्थितिकी एवं संवेदन ीलता को ध्यान में रखते हुए, राज्य में 200 अमेरिकी मिलियन डालर रा ि (लगभग 900 करोड़ रूपये) की एक योजना "विकास नीति ऋण : हिमाचल प्रदे । में पर्यावरणीय सतत् विकास" के रूप में तैयार की गई है और यह प्रस्ताव भारत सरकार की सैद्धांतिक अनुमति के प चात वि व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए प्रेशित कर दिया गया है।

इस योजना में पर्यावरणीय सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए संस्थागत ढांचे की संरचना, उत्तम निर्णय लेने हेतु ज्ञान के आधार को सुदृढ़ करने, अल्प जल स्त्रोत प्रबंधन के हेतु नदी बेसिन प्रबंधन तकनीकी स्तर को सुदृढ़ करने, अल्प कार्बन अर्थ–व्यवस्था, पर्यावरण प्रदूशण तथा जल प्रबंधन हेतु अक्षय और वैकल्पिक उर्जा के स्त्रोतों के माध्यम से उर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निवे । प्रस्तावित है।

वर्तमान में यह प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यावरण तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नीतिगत अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय सहायता के लिए वि व बैंक के पास सक्रिय स्तर पर विचाराधीन है।

10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम/युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर प्रदे ा में सभी 45,367 बस्तियों को मार्च,2008 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्श 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा दोबारा मार्च,2005 में अंतिम रूप दिया गया जिसके आधार पर प्रदे ा में कुल 51,848 बस्तियां चिन्हित हुई हैं जिनमें से 45,367 बस्तियां जो पुराने सर्वेक्षण के अनुसार थी भी सम्मिलित हैं। सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित बस्तियों में पूर्ण रूप से 20,112, आंि ाक रूप से 22,347 तथा 9,389 पेयजल रहित बस्तियां पाई गईं।

राश्ट्रीय पेयजल आपूर्ति/ बस्तियों की मैपिंग के अनुसार नए निर्दे ाों के आधार

पर जो 1.4.2009 को लागू हुए के अनुसार कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई तथा 1.4.2009 की वास्तु स्थिति के अनुसार 19,473 बस्तियों में से (7,632 बस्तियां जिनकी जनसंख्या व्याप्ति >0+<100+11,841 बस्तियां भून्य जनसंख्या व्याप्ति वाली) ऐसी हैं जहां पर पेयजल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बस्तियों की जगह मापदण्ड जनसंख्या पर आधारित है।

वर्श 2010–11 में भारत सरकार के दि ाानिर्दे ाों के उपरान्त बस्तियों का पूनः आकलन किया गया जिसके अनुसाार 01–04–2010 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई हैः–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें भात–प्रति ात जनसंख्या को सम्मिलित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0+<100 सम्मिलित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या भून्य है को सम्मिलित किया गया	कुल कॉलम 3+4
1	**2**	**3**	**4**	**5**
53,205	36,418	16,692	95	16,787

वर्श 2010–11 में 3,000 बस्तियों को राज्य भाग के रूप में एवं 2,000 बस्तियों को केंद्रीय भाग के रूप में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग कम ाः 20,862.00 लाख

रूपये एवं 13,371.00 लाख रूपये रखा गया। इनमें से राज्य भाग के रूप में 9,151.74 लाख रूपये (नवम्बर,2010 तक) केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 2,120 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

हैंण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्धारा प्रदे ा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल के कमी के चलते हैंण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2010 तक प्रदे ा में कुल 20,658 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चूके हैं। वर्श 2010–11 में प्रदे ा में कुल 2,500 हैंण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर,2010 तक कुल 1,687 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चूके हैं।

जलमनी कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी ग्रमीण स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतू Simple Stand Alone Drinking Water Purification System लगाए जा रहे हैं। अब तक केन्द्र से कुल 749.05 लाख रूपये प्रदे ा सरकार को आंबटित किए गए हैं जिसके अन्तर्गत कुल 2,961 स्कूलों को कवर किया जायेगा। दिसम्बर,2010 तक कुल 464 यूनिट लगाये जा चुके हैं तथा 1,575 यूनिटस का कार्य आंबटित किया जा चूका है जिसे मार्च,2011 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

भाहरी पेयजल कार्यक्रम

10.4 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 49 भाहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एंव जनस्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 43 भाहरों की खर्च करके 770 बस्तियां कवर की गई तथा 7,780.35 लाख रूपये (नवम्बर,2010 तक)

पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा भोश 6 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्श में श्री नैना देवी जी, सुन्दरनगर तथा बिलासपुर भाहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन कार्य का लक्ष्य रखा गया है। वर्श 2011 में कुल 1,400.00 लाख रूपये योजनाओं के सम्बर्धन कार्य के कार्य लिये रखे गये हैं जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2010 तक कुल 189.11 लाख रूप्ये खर्च किये जा चूके हैं।

मल प्रवाह

10.5 प्रदे ा में 22 भाहरों में मल निकासी सुविधा का कार्य प्रगति पर है। मल प्रवाह सुविधा के लिए वर्श 2010–11 में 3,800.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 182.06 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं। इस वर्श 2010–11 के दौरान 2 मल प्रवाह योजनाएं सुजानपुर तथा सरकाघाट के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।

सिंचाई

10.6 कृशि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का वि ोश महत्व है। कृशि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्शा बहुत कम तथा अनियमित होती है । कृशि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलें तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर वि ोश प्राथमिकता दी जा रही है ।

10.7 हिमाचल प्रदे ा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर भुाद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा भोश 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है।

10.8 राज्य में कांगडा जिलें में भााहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में संभावित सिंचाई की जाएगी।

10.9 राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 4 मध्यम परियोजनाओं में अब तक राज्य में 11,236 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया। ये परियोजनाएं हैः– गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर) बल्ह घाटी परियोजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर) भभौर साहिब चरण–। (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) और भभौर साहिब चरण–।। (सी.सी.ए. 2640 हैक्टेयर)

10.10 निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन सारणी 10.1 में दिया गया हैः–

सारणी 10.1

निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सीसीए सृजित

(लाख हैक्टेयर)

मद	क्षेत्र
1	2
कुल भौगालिक क्षेत्र	55.67
भुाद्ध बोया गया क्षेत्र	5.83
अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं	
(क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	0.50
(ख) लघु सिंचाई	2.85
सृजित सीसीए	
31.3.2002 तक	1.97
31.3.2003 तक	1.99
31.3.2004 तक	2.02
31.3.2005 तक	2.04
31.3.2006 तक	2.07
31.3.2007 तक	2.12
31.3.2008 तक	2.17
31.3.2009 तक	2.22
31.3.2010 तक	2.36
31.12.2010 तक	2.39

नोटः ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी.ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो, मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं, 2,000 हैक्टेयर के अंतर्गत आती है।

वर्श 2010–11 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.11 वर्श 2010–11 में 6,200 लाख रूपये के प्रावधान से 3,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। दिसम्बर,2010 तक 2,739.02 लाख रूपये व्यय किए गए तथा दिसम्बर,2010 तक 784.55 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई ।

लघु सिंचाई

10.12 वर्श 2010–11 में राज्य क्षेत्र मे 14,148.00 लाख रूपये का प्रावधान 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है । दिसम्बर,2010 तक 4,214.54 लाख रूपये व्यय किये जा चुके थे तथा दिसम्बर,2010 तक 2,365 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

कमांड विकास कार्यक्रम

10.13 वर्श 2010–11 के दौरान 200.00 लाख रूपये जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अंतर्गत 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबन्दी का प्रावधान था। दिसम्बर,2010 तक 77 हैक्टेयर क्षेत्र फील्ड चैनल व 77 हैक्टेयर क्षेत्र को बाराबन्दी के अंतर्गत लाया गया।

बाढ़ नियन्त्रण

10.14 वर्श 2010–11 में 1,260 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए 10,500 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। दिसम्बर,2010 तक 5,281.28 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे तथा दिसम्बर,2010 तक 1,047 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।

वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

क्र. सं	क्षेत्र	वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (हैक्टेयर)	वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तावित बजट (लाखों रू0 में)
1	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	4000	10997
2	लघु सिंचाई	3000	16533
3	कंमाड विकास कार्यक्रम		
	फिल्ड चैनल	750	500
	बाराबन्दी	750	
4	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	2000	9900

11. उद्योग एवं खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदे ा ने पिछले कुछ वर्शों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाईसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप राज्य में निवे ा प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदे ा मे नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

11.2 इस समय 31.12.2010 तक प्रदे ा में 460 मध्यम व बड़े तथा लगभग 37,476 लघु पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत है जिनमें लगभग 12,712.05 करोड़ रूपये का पूंजी निवे ा है और यह उद्योग लगभग 2.50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें हैं। नये एवं पहले से स्थापित उद्योगों को समस्त सहायता प्रदान करने के उद्दे य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की औद्योगिक परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण प्रदे ा में स्थापित होने वाले सभी मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं को समस्त सहायता प्रदान करता है तथा यदि किसी उद्योगपति को कोई कठिनाईं हो तो उसे पारदर् िता और कु ालता के आधार पर दूर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी,2003 के वि ोश प्रोत्साहन पैकेज के बाद 7,050 लघु उद्योगों 264 मध्यम एंव भारी उद्योग इकाइयों (292 विस्तार के लिए) स्थाई पंजीकरण किया गया जिनमें 10,103.74 करोड़ रूपये का पूंजी निवे ा हुआ एवं 95,615 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

11.3 उद्योगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्दे य से राज्य मे 40 औद्योगिक बस्तियों तथा 15 औद्योगिक एस्टेटस की स्थापना की गई है। राज्य में औद्योगिक आधार भूत ढांचा के सुधार के लिए 1,135.61 लाख रूपये व्यय किए गए। राज्य सरकार ने एक भूमि बैंक की स्थापना की है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी एवं निजी भूमि लगभग 7,817.01 बीघा चिहिन्त की गई है। उद्योगों के लिए और भूमि चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं।

11.4 भारत सरकार ने 31.3.2008 से चल रही ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं का विलय करके ग्रामीण व भाहरी क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म प्रतिश्ठानों के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एवं नए ऋण अनुदान कार्यक्रम को चालु करने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जोकि सूक्ष्म, छोटे व मध्यम प्रतिश्ठान द्वारा कार्यन्वित की जाती है। राज्य स्तर पर यह योजना (के. बी.आई.सी) निदे ालय द्वारा, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र और बैंकों द्वारा निम्न उद्दे यों के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

उद्दे य

1. दे । के भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यक्रम/ प्रोजेक्ट/ सूक्ष्म प्रतिश्ठान स्थापति करके रोजगार के अवसर प्रदान करना।

2. ग्रामीण तथा भाहरी बेरोजगार युवकों तथा परम्परागत कारीगरीं को इकटठा कर उचित स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

3. ग्रामीण युवकों के भाहरी क्षेत्रों के प्रवास को रोकने के लिए परम्परागत कारीगरों को लगातार तथा उचित अवसर प्रदान करना।

4. भाहरी तथा ग्रामीण रोजगार उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए कारीगरों की मजदूरी दर को बढ़ाने के लिए।

वित्तीय सहायता की भौतिकी एवं राशि की मात्रा
प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत्

क्र. सं.	लाभार्थीं की श्रेणीं	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना मूल्य से)	परियोजना मूल्य से अनुदान की दर	
			ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	सामान्य श्रेणी	10 %	25 %	15 %
2.	वि ोश (अ0जा0/ अ0ज0जा0/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ स्त्री/ भूतपूर्व सैनिक/ विकलांग/ एन.ई.आर. / पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्र आदि)	05 %	35 %	25 %

नोटः–

1. कुल परियोजना/ ईकाई लागत मूल्य उत्पादन क्षेत्र में 25 लाख रूपये तक

2. व्यापार/ सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये और

3. बकाया रा ा कुल परियोजना की लागत की भोश रा ा बैंको द्वारा अवधि ऋण के रूप में दी जाएगी।

लाभार्थी की योग्यता के लिए भार्तें:

1. लाभार्थी की आयु 18 बर्श से उपर ।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं होगी।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में 10 लाख रूपये से ज्यादा की लागत के प्रोजेक्टों को स्थापित करने के लिए लाभार्थी की भौक्षणिक योग्यता कम से कम आंठवी पास होनी चाहिए।
4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केवल नए प्रोजेक्टों को ही सहायता प्रदान की जाएगी।
5. स्वंय सहायता समूह से संबंध रखने वाले (बी.पी.एल. जिन्होंने किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ न उठाया हो) भी इस कार्यकम्र के पात्र होगें।
6. वे संस्थान जो समिति पंजीकरण एक्ट 1,860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
7. उत्पादन सहकारी समितियां और धमार्थ ट्रस्ट।
8. जो ईकाइयां (पी.एम.आर.वाई, आर.ई.जी.पी.) या कोई भी अन्य योजना जोकि भारत सरकार या राज्य सरकार की हो या ऐसी ईकाइयां जिन्होंने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान रा ि प्राप्त की हो इसके पात्र नहीं हैं।

विभाग को 278 मामलों का लक्ष्य दिया गया जिसके लिए 691 मामले विभिन्न बैंकों में वित्तीय लाभ के लिए अभी तक भेजे गए हैं।

रे ाम उद्योग

11.5 रे ाम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लगभग 900 परिवारों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रे ाम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं। वर्श 2010–11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक 137.31 मीट्रिक टन ककून का उत्पादन किया गया जिससे कच्चा रे ाम 17.25 मी0टन0 बनाया गया जिससे रे ाम उत्पादन करने वालों को दिसम्बर,2010 तक 423 लाख रूपये राज्य में रे ाम के उत्पाद से आय हुई।

कला एवं प्रद ानी

11.6 राज्य में औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के दृश्टिगत प्रदे ा द्वारा राज्य, राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेंलों, त्यौहारों व प्रद ानियों मे भाग लिया है। चालू वर्श के दौरान प्रदे ा ने नई दिल्ली में आयोजित 30वें भारतीय अन्तर्राश्ट्रीय व्यापार मेला, 2010 में कुल्लू के द ाहरा मेले व रामपुर के लवी मेले व विभिन्न राज्य स्तरीय मेलों मे ंअपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रद ान किया।

हथकरघा एवं हस्त ाल्प (सामुहिक योजना)

11.7 सामूहिक योजना के अंतर्गत, दूसरे चरण में कांगड़ा और गोहर (मण्डी) के 564 हथरकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया। 28.61 लाख रूपये रा ा की दूसरी कि त हिमाचल प्रदे ा राज्य

हथकरघा एवं हस्ति ाल्प उद्योग (हिमबुनकर) कुल्लू को दी गई तथा पहले चरण के अन्तर्गत रामपुर, रिकांग–पिओ के 600 बुनकरों को लाभान्वित किया गया जिसमें 41.425 लाख रूपये चलाने वाले उद्योगों को दिए। 2010–11 साल के दौरान तीन नई योजनाएं हिमाचल प्रदे ा राज्य हथकरघा एवं हस्ति ाल्प द्वारा चलाई गई जिसमें जंजैहली (मण्डी) तथा ज्वाली (कांगड़ा) और तीसा (चम्बा) के हथकरघा बुनकरों को 59.45 लाख रूपये की योजना दी गई जिससे 1,500 हथकरघा बुनकरों को लाभ हुआ।

सामुहिक योजना के अन्तर्गत पहले चरण में 40 छोटे समूहों के 580 बुनकर ि ामला, मण्डी, कांगड़ा, कुल्लू और चम्बा जिला को लाभान्वित किया गया जिसमें 1.33 करोड़ रूपये राज्य तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से प्राप्त हुए। इस वर्श के दौरान 20 नए प्रोजेक्ट कांगड़ा, कुल्लू, ि ामला और किन्नौर के 385 बुनकरों के स्वंय सेवी समूह, प्राथमिक बुनकर समूह, ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर पर बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया।

बाजार प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत 18.14 लाख रूपये राज्य भाग के रूप में प्रदान करके कुल्लू और मण्डी के 16 प्राथमिक बुनकरों को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने 105.16 लाख रूपये 61 हथकरघा एजेंसियों को दिए जिससे 16,350 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना

11.8 31.12.2010 तक, 2,735 बुनकरों ने इस योजना के अधीन अपना नाम दर्ज करवाया। 18 बुनकरों की मृत्यु दावे के रूप में 12.90 लाख रूपये दिए गए और 4.62 लाख रूपये बुनकरों के बच्चों को छात्रवृति के रूप में 1,051 मामले में दिए गए और 9000 हथकरधा बुनकरों को इस वित्त वर्श के दौरान 31.3.2011 तक लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य समूह बीमा योजना

11.9 इस योजना के अन्तर्गत 10,000 बुनकरों को चयनित करने के लिए आवेदन किया है। बीते वर्श के दौरान 2,970 बुनकरों को चिकित्सा दावों के रूप में रूपये 34.80 लाख दिए गए।

बाजार प्रगति योजना

11.10 हथकरघा बाजार में अपनी प्रगति के लिए, भारत सरकार ने 30 जिला स्तरीय कार्यक्रम, हिमाचल प्रदे ा राज्य हथकरघा एवं बुनकर, सहकारी सभाएं और हिमबुनकर एवं कुल्लू ने विक्रय एवं प्रद ानी अलग–अलग भागों में लगाई।

11.11 इसके अलावा राज्य सरकार ने 191.84 लाख रूपये हिमाचल प्रदे ा हथकरघा सभा को अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किए।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता योजना

11.12 निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्दे य से 'राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना' भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदे ा में

कार्यान्वयन की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति का गठन किया गया है व हि. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है। राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति द्वारा इस वर्श के दौरान 2 नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया। जिन पर कुल 406.48 लाख रूपये व्यय होंगें। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य को 570.00 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

खनन

11.13 खनिज प्रदे ा के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आव यक पदार्थ है यहां प्रचूरता में प्राप्त है। चार सीमेंट प्लांट बिलासपुर जिला में बरमाणा (दो ईकाइयां), सोलन जिला में क ालोग तथा सिरमौर जिला में राजवन पहले से ही कार्यरत्त है। सुन्दरनगर जिला मण्डी एवं बागा–बलग जिला सोलन सीमेंट प्लाट में हाल ही में उत्पादन भारू कर दिया गया है। अन्य बड़े सीमेंट प्लांट ि ामला जिला में गुम्मा रुहाना, मण्डी जिला में अलसींडी मै0 हरी ा सीमेंट प्लांट (ग्रासिम) सुन्दरनगर, जिला मण्डी इंडिया सीमेंट लि0 लाफार्ज इंडिया लि0 के साथ राज्य सरकार ने एम ओ यू हस्ताक्षरित कर दिया है। बरोह सिन्ड, जिला चम्बा के लिए सरकार ने बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए मै0 जे.पी. इण्डस्ट्रीज के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी निम्नलिखित कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन कर सकें। यह लाईसैंस निम्न कम्पनियों को दिए गए। मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बड्डू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा कराइली–कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला ि ामला, हि0प्र0। मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, गांव/मौजा घाना, चलयान वसयाणा बरसानु, मंगु करारा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.9.2010 में 25 वर्ग किलोमीटर के स्थान में मौजा, सुग्रठी, ठागंर, कूड़ा खेडा, पौली खेरा काडल और वडेरा जो जिला ि ामला (हिमाचल प्रदे ा) में लाइसैंस के लिए संभावित है जबकि चुनी हुई कम्पनी में चूने के पत्थर के मात्रा और स्तर अन्य खनिज के साथ विस्तृत रूप में विवरण जानकारी प्राप्त की है। यह क्षेत्र पहले इन्दोरामा सीमेंट कम्पनी लिमिटिड की सहायतार्थ था। 12.12.2006 से तीन साल के लिए कोई भी विस्तृत निरीक्षण नहीं किया गया और यह अनुबंध 22.1.2010 तक समाप्त हो गया। इस संदर्भ में अधिसूचना तारीख 13.9.2010 को दी गई कि इन कम्पनियों ने लाइसैंस के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं।

1. मै0 ए.सी.सी, मुम्बई।
2. मै0 रिलांइस कोमीटे ान प्राईवेट लिमिटिड, महाराश्ट्र।
3. मै0 लाफर्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटिड, मुम्बई।
4. मै0 जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटिड, नई दिल्ली
5. मै0 अंबुजा सीमेंट लिमिटिड, मुम्बई।

अन्य खनिज जिनका प्रदे ा में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे भोल बेराईट ससिल्का रेत, चटटानी नमक कोरजाईट और भवन सामग्री जैसे कि सेडसटोन रेत व बजरी और भवन पत्थर,

खनिजों के विकास तथा विनिमय को करने के लिए भूगर्भीय ईकाई भू–तकनीकी अन्वेशण निरीक्षण विभिन्न मार्गों को मिलाना, पुल की जगह का अन्वेशण, और भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

11.14 वर्श के अन्तर्गत् 85 करोड़ रूपये की राि ा रायल्टी के रूप में खनिजों से प्राप्त हुई तथा 2010–11 मं 64.14 करोड़ रूपये रायल्टी दी गई। कुल राजस्व 90.00 करोड़ रूपये आंका गया।

i) नए खनन के पट्टे प्रदान करना:– विभाग द्वारा 2010–11 तक 1 मुख्य खनिज व 93 गौण खनिजों को नए पटटे पर दिया गया।

ii) भू–तकनीकी अन्वेशण:– वर्श 2010–11 के दौरान प्रदे ा में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े–बड़े भवनों, भू–स्खलन इत्यादि की नींव सम्बन्धित क्षेत्रों में भौमिकीय अध्ययन उपरान्त 27 भू–तकनीकी अन्वेशण रिर्पोटस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2001 जनगणना के अनुसार प्रदे ा की कुल जनसंख्या में 32.31 प्रति ात मुख्य कामगार, 16.92 प्रति ात सीमांत कामगार तथा भोश 50.77 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 65.33 प्रति ात का तकार, 3.15 प्रति ात कृशि श्रमिक, 1.75 प्रति ात गृह उद्योग इत्यादि तथा 29.77 प्रति ात अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 वि वविद्यालयों रोजगार सूचना एवं मार्गद िन केन्द्र और 55 उप रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदे ालय में एक वि ोश रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदे ालय में तथा मण्डी, ि ामला व धर्म ााला में व्यवसायिक इकाईयां पूरे प्रदे ा में आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदे ा सरकार से प्रदे ा में विदे ी रोजगार के इच्छुक कामगारों के प्राईवेट एजेंटों द्वारा भाोशण को रोकने के लिए श्रम व रोजगार निदे ालय में फोरन एम्पलायमेंट एवं मैनपावर ब्यूरों की स्थापना भी की।

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम

12.2 वर्श 1960 से रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । प्रदे ा में 30.06.2009 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,65,537 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,15,599 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 3,858 व निजी क्षेत्र में कुल 1,233 नियोक्ता हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गद िन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदे ालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गद िन केन्द्र तथा भोश तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय ि ामला, मण्डी व धर्म ााला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो वि वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गद िन ब्यूरो पालमपुर व ि ामला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गद िन प्रदान किया जाता है। प्रदे ा में कई प्रतिश्ठानों में व्यावसायिक मार्ग–द िन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। 1.4.2010 से 30.11.2010 तक सभी क्षेत्रीय/ जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा 135 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.3 हिमाचल प्रदे ा के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कु ाल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दि ाा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमे ाा की तरह वर्श 2010–11 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्श 2010–11 के दौरान

नवम्बर,2010 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 292 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदे ा की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं कु ाल वर्ग सहित 3,512 आवेदकों को सम्प्रेशित किया गया। दिनांक 30.11.2010 के अन्त तक प्रदे ा के निजी क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 44 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया।

जिला हमीरपुर मे दिनांक 16.04.2010 से दिनाक 19.04.2010 तक वायु सेना द्वारा भर्ती रैली आयोजित की गई जिसमें लगभग 350 युवाओ को रोजगार मिला।

विकलांगों के लिए वि ोश कक्ष

12.4 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु वि ोश रोजगार कक्ष धर्म ााला में 1983 से कार्यरत है । यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गद िन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिश्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा , उपरी आयु सीमा में 5 वर्श की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रति ात का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रि ाक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई. टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रति ात सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वाईंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30 वां, 73 वां, 101 वां, 130 वां, 173 वां है। वर्श 2010 के दौरान 1.4.2010 से 31.12.2010 तक सक्रिय पंजिका में 1,776 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 16,450 हो गई थी। 192 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। 119 आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित हुई हैं जिसके प्रति 143 अपंग प्रत्याि ायों के नाम सम्प्रेशित किए गए हैं।

न्यूनतम मजदूरी

12.5 हिमाचल प्रदे ा सरकार ने न्यून्तम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड बनाया है जोकि अनुसूचित व्यवसायों के मजदूरों के न्यूनतम दर तय तथा उसके सं ोधन के बारे में प्रदे ा सरकार को पराम ि देता है। सरकार द्वारा दिनांक 1.10.2010 से सभी अनुसूचित/ व्यवसायों के अकु ाल श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दर रूपये 110/– प्रतिदिन व 3,300/– रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 120/– प्रतिदिन व रूपये 3,600/– प्रतिमाह की है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.6 बन्धुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्तर पर एक स्थायी समिति तथा उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी की अध्यक्षता में जिला एवं उपमण्डल स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की हैं । राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्यागिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय ि ामला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला ि ामला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्म ााला में स्थापित किया गया है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इन दोनों श्रम अदालतों में जिला एवं सत्र न्यायधी ा के पद के बराबर, एक–एक

स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविश्य निधि एवं बीमा योजना

12.7 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी, मेहतपुर, गगरेट, बथरी जिला उना, पौंटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, रती जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र भोघी व ि ामला नगरपालिका क्षेत्र जिला ि ामला में लागू हैं। लगभग 2580 संस्थानों में 2,11,869 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत लाए गए। कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 6,542 संस्थानों में कार्यरत 3,07,551 कामगारों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत 31.12.2010 तक 1,177 ट्रेड यूनियनज पंजीयक ट्रेड यूनियन एवं श्रमायुक्ता कार्यालय में पंजीकृत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत दिनांक 31.12. 2010 तक 612 मामले प्राप्त हुए तथा 227 मामले श्रम न्यायालय को भेजे गए।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.8 प्रदे ा में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के गतिविधियों को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदे ा में औद्योगिक झगडों को निपटाने व औद्योगिक भाान्ति को बनाये रखने के लिये एक समाधान म ीनरी कार्यरत है । समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, श्रम अधिकारियों, व श्रम निरीक्षको को सौंपे गये हैं जोकि अपने अपने क्षेत्र अधिकार में यह कार्य देख रहे हैं । ऐसे मामलों में जहां समझौता अधिकारी किसी मान्य समझौते को करवाने में असफल रहते हैं, वहां उच्च अधिकारियों द्धारा निदे ाालय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। कामगारों, श्रमिकों तथा पन–विघुत परियोजनाओं के प्रबन्धकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार ने एक राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड तथा परियोजना स्तर की त्रिपक्षीय समितियां प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिलाधी ा की अध्यक्षता में गठित की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्यौगिक इकाई में जहां सौ व सौ से अधिक श्रमिक कार्यरत है एक समिति गठित की जाती है जिसमें श्रमिकों के तथा नियोजक के प्रतिनिधि सम्मलित होते हैं।

हि0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मगार (नियोजन तथा सेवा ार्तो का विनियम) अधिनियम, 1996 व सैस अधिनियम, 1996

12.9 इस अधिनियम के अर्न्तगत भवन व अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण तथा सुरक्षा का प्रावधान है। दिनाक 31.12.2010 तक कुल 328 औद्योगिक ईकाइयां तथा 1152 लाभान्वित कामगारों को पंजीकृत किया गया तथा रूपये 59.46 करोड की रा ि ा हि0प्र0 भवन व अन्य निर्माण कर्मगार बोर्ड, ि ामला के पास सैस के रूप में जमा किये जा चुके है।

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

12.10 हिमाचल प्रदे ा सरकार दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 तथा उसके अर्न्तगत नियमों में सं ोधन कर अनुज्ञपति के नवीनीकरण का समय एक वर्श से बढ़ाकर पांच वर्श कर दिया जिसके फलस्वरुप संस्थानों एवं वाणिज्य संस्थानों के मालिकों को एक वर्श के बजाऐ पांच वर्श तक नवीनीकरण कर

सकेंगें। इससे दूकानदारों को प्रत्येक वर्श नवीनीकरण नहीं करवाना पड़ेगा।

कामगारों को पहचान पत्र देने बारे

12.11 श्रमिकों के ाोशण को रोकने हेतू व कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा हिमाचलियों को निजि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतू सरकार द्वारा सभी कामगारों को अधिनियमों में सं ाोधन कर पहचान पत्र जारी करना आव यक किया

है। यह पहचान पत्र सम्बन्धित श्रम अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये होगें। दिनाक 31.12.2010 तक 2.44 लाख पहचान पत्र जारी कर दिये गये है, जिसमें से **1.53** लाख हिमाचली तथा 0.91 लाख गैर–हिमाचली हैं तथा यह लगातार प्रक्रिया है।

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवे ा है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

13.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेशणों के अनुसार हिमाचल प्रदे ा के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 6,672 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की जाएगी जिसमें से 467 मैगावाट भी भाामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिशद द्वारा उत्पादित की जाएगी।

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत सम्भाव्य उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे द ााया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

नदी तट	क्षमता(मैगावाट)
यमुना	811
सतलुज	10355
ब्यास	5339
रावी	2952
चिनाब	2973
स्वयं चिन्हित / नये चिन्हित	570
कुल	**23000**

13.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 23,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण नीचे द ााया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

(मैगावाट)

मद्द	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
			5 मैगावाट तक हिमउर्जा द्वारा	5 मैगावाट से ऊपर	कुल
विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है	467	5490	105	610	6672
परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं	1125	2763	413	1685	5986
परियोजनाएं जो आवंटित/कार्यान्वयन स्तर पर हैं	2201	841	721	3972	7735
परियोजनाएं जो आवंटनाधीन/ आवंटित होनी हैं	101	–	60	1756	1917
पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं	–	–	–	690	690
कुल	**3894**	**9094**	**1299**	**8713**	**23000**

जल विद्युत नीति

13.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य वि ोशताएं निम्न हैं:–

- 2 मैगावाट तक की परियोजनाओं को हिमाचलियों के लिए चिन्हित किया जाएगा एवं 2 से 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 5 मैंगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्वतन्त्र रूप से विजली पैदा करने वाले को अर्न्तराश्ट्रीय बोली में प्रतियोगिता के आधार पर दी जाएगी।
- बोलीदाता को परियोजना के लिए 20 लाख रूपये प्रति मैगावाट क्षमता के रूप में पे ागी देनी पड़ेगी। अतिरिक्त मुफत बिजली बिना किसी व्यवधान के हिमाचल प्रदेश को उक्त बोली दाता 12, 18 एवं 30 प्रतिशत बिजली रायल्टी चार्जिज के रूप में तीन समय सीमा जो 12, 18 वर्श तथा बाकि एग्रीमैंट समय 30 वर्शों के लिए जब से उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है देनी होगी।
- मुफत बिजली एवं अतिरिक्त मुफत बिजली तथा बिजली बेचने को रदद करने का पहला अधिकार हिमाचल प्रदे ा सरकार/ हि.प्र.राज्य विद्युत परिशद का होगा। बिजली की दरों का निर्धारण हि.प्र. राज्य विद्युत रेगुलैटरी आयोग का होगा।

- हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त परियोजनाओं में चयनित आधार पर 49 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी रहेगी।
- परियोजनाओं का संचालन समय जब से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होगा तब से 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को देनी पड़ेगी।
- परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।
- परियोजना बनाने वाले को परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत हिस्सा परियोजना के पास की स्थानीय कमेटी को विकास के लिए देना पड़ेगा।
- जल के जीवों की, स्थानीय लोगों के पानी के अधिकार तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल स्त्रोत से 15 प्रतिशत पानी के बहाव को सुनिश्चित करना।
- छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली के उत्पादन की खपत हिमाचल प्रदेश सरकार स्थानीय जगह में करवाने की व्यवस्थता करेगी। परियोजनाएं जिनकी क्षमता 25 मैगावाट तक की है उनके उत्पादन के वितरण की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार को होगी।
- पर्यावरण सन्तुलन को सुनिश्चित बनाने के लिए तथा तटवर्ती मकानों में रहने वालों के अधिकार जैसे पीने के पानी, स्वास्थ्य, जलचर, वन्य जीव, मच्छली, गाद से छुटकारा दूसरे धार्मिक संवेदनशील क्रियाओं के लिए जैसे दाह संस्कार तथा नदी के किनारे दूसरे धार्मिक आयोजनों के लिए परियोजना बनाने वाले को परियोजना स्थल से तुरन्त रूप से 15 प्रतिशत पानी छोड़ना सुनिश्चत करना होगा।
- भारत सरकार की पन विद्युत नीति–2008 जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार ने 30.11.2009 को जारी की थी के अनुसार विद्युत उत्पादन का एक प्रतिशत मुफत रूप से स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि के रूप में देना होगा जो परियोजना के जीवन काल तक मिलता रहेगा। यह राजस्व लगातार मिलता रहेगा जिससे कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य सामुहिक सहुलियतों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार होगा। यह निधि परियोजना के जीवनकाल तक मिलती रहेगी।

पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0)

13.5 11वीं पंचवर्शीय योजना में भारत सरकार ने विद्युत वितरण प्रणाली को सुधारने का निर्णय लिया जिसके लिए भारत सरकार ने आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के प्रस्ताव को संशोधित शर्तों व परिस्थितियों के साथ पारित किया। आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 का मुख्य उद्देश्य शहरी (नगरों) क्षेत्रों के समस्त तकनीकी एवं व्यापारिक कमियों (हानियों) को कम करना हैं। संस्था, जो कि इस

वितिय लाभ को उठाना चाहती है उसे कार्य प्रणाली में सुधार करके उसे साबित करना होगा। इसके लिए संस्था को सही तथ्य (मापदंड) एकत्र करने होंगें और हानियों में जो सुधार या कमी आएगी उसे सही तरह से मापना होगा। तथ्य अखंडता एवं कार्य प्रणाली का आंकलन, राज्य ऊर्जा संस्था के लिए एक चुनौतियों से भरा विशय है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा वित निगम (पी.एफ.सी.) को इस योजना की देखभाल के लिए प्रधान शाखा के रूप में नियुक्त किया है।

आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना में लगभग 30000 (कुछ वर्गो जैसे हिमाचल प्रदेश में 10000) से ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों, कस्बों और नगरों की आती है। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे (नगर) शिमला, सोलन, बद्‌दी, नाहन, पोंटा साहिब, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सुन्दरनगर, धर्मशाला, योल, चम्बा और ऊना आते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी इस योजना में आते है।

आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना को दो भागों में बांटा गया हैं।

भाग –।

इस कार्यक्रम की सीमा पूरे देश में वितरण स्तर पर तथ्य एकत्र करने से लेकर विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृड़ बनाने के लिए कदम उठाना और सूचना प्रौद्योगिकी को इसका आधार बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य परियोजना क्षेत्र में समस्त तकनीकी व व्यापारिक हानियों को कम करके 15% तक लाना है। इस परियोजना में मुख्यतः आधारभूत तथ्य एकत्रित करना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवायें जैसे मीटर तथ्य एकत्र करना, मीटर अध्ययन, बिलिंग, राजस्व एकत्रण, जी0 आई0 एस0, एम0 आई0 एस0 ऊर्जा निरीक्षण, नया कनेक्शन, डिसकनेक्शन, ग्राहक सेवा, वेब सेल्फ सेवाए आदि उपलब्ध कराके, समस्त तकनीकी व व्यापारिक हानियों का मूल्यांकन करना है।

भाग –।।

भाग–।। की डी.पी.आर. में ट्रांसफारमर 11 के.वी. सब स्टे ानों को आधुनिक एवं स ाक्त बनाना, ट्रांसफारमर/ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के.वी. एवं कम की लाइनों का पुनः संचालन, भार को दो भागों में बांटना, प्रदायक को अलग करना, भार सन्तुलन, एच.बी.डी.एस (11के.वी) सघन क्षेत्रों में तारों को एरियल गुच्छित करना, विद्युत चुम्बकत्व प्रभावित मीटरों को हेरा–फेरी रहित इलैक्ट्रोनिक मीटरों में बदलना, वृहद बैंक एवं चलित सेवा केन्द्रों को दोबारा से बनवाना है। अपवादात्मक मामलों में जहां 33 के.बी. या 66 के.वी. सब ट्रांसमि ान सिस्टम इत्यादि कमजोर है को मजबूत करने के लिए ध्यान दिया जाएगा।

अटल बिजली बचत योजना

13.6 **य**ह योजना 23 नवम्बर 2008 को प्रारम्भ की गई । इस योजना के अन्तर्गत प्रदे ा के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 4 सी0 एफ0 एल0 का एक पैकट 4 बल्बों के बदले दिया जाना है । 18 मास की वारंटी अवधि सी0 एफ0एल0 के खराब होने पर नि ुल्क बदलने की पहले ही निर्धारित की गई है तथा आगे नि ुल्क बदलने की योजना /खराब सी0एफ0एल0 का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा निपटारा केन्द्रीय प्रदूशण कन्ट्रोल बोर्ड के मापदण्डों के अनुसार विचाराधीन है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 16 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं । सी0एफ0एल0 द्वारा बदले गऐ बल्बों का निपटारा राज्य प्रदूशण कन्ट्रोल बोर्ड की सहमती के अनुसार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आगे सरकारी कार्यालयों/लोक

उपक्रमों/संस्थानों जोकि सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थय संस्थानों को वरीयता के आधार पर बचे हुए सी0एफ0 एल0 पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निशुल्क दिये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई 2009 तक हि0 प्र0 रा0 वि0 प0 लि0 में पंजीकृत उपभोक्ता सी0 एफ0 एल0 लेने के हकदार थे जोकि अब 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई है। सी0एफ0 एल0 वितरण की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2011 निर्धारित की गई है। जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक 105.455 मि0 यू0 ऊर्जा बचत की गई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें और विभागीय योजनाएँ

13.7 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आरम्भ सब विद्युतरहित गांवों/ वासस्थानो और प्रत्येक घर को विद्युत पहुचाने के उद्देश्य से हुआ जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्रीय उपदान और 10 प्रतिशत ऋण है । हि0प्र0रा0वि0 परिशद लिमिटेड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0जी0जी0वी0वाई) के अन्तर्गत आर0ई0सी0 के दिशानिर्देश अनुसार जिलावार विद्युतीकरण योजना बनाई। इन योजनाओं के लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू और गुणवता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी । इस योजना के अन्तर्गत 44,496 ग्रामीण घरों को विद्युत सुविधा पहुंचाई जाएगी जिसमें 12,483 वी0पी0एल0 घरों को मुफत विद्युत प्रदान की जाएगी । ये योजना आर0ई0सी0 के दिशानिर्देश अनुसार टर्नकी आधार पर कार्यान्वित की जा रही है । इससे कार्य जल्द पूरा होगा। इस योजना से 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता के 2092 नये वितरण उपकेन्द्र और लाईनें स्थापित कर वितरण प्रणाली को सुदृढ करने का प्रावधान है।

राज्य के भात–प्रतिशत घरों को विद्युत प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0जी0वी0वाई) के अर्न्तगत सभी 12 जिलो की योजनाएं मैसर्ज आर0ई0सी0 ने रूपये 341.86 करोड़ की स्वीकृत की और इन योजनाओं के अर्न्तगत अब तक रूपये 220.21 करोड़ की राशि जारी की। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के सभी 12 जिलों का कार्य टर्नकी आधर पर आवार्ड कर दिया है। दिसम्बर 2010 तक रूपये 164.02 करोड़ खर्च हो चुका है । कार्य 2011–12 तक पूरे होगे। 2001 की जनगणना अनुसार प्रदेश में 17,495 गांव है। अब 109 गांव विद्युत रहित चिन्हित हुए है। जिनमें से दिसम्बर 2010 तक 26 गांव विद्युतीकृत हो चुके है जिलाबार विद्युतरहित / विद्युतीकृत गांवों का विवरण निम्नलिखित है :–

जिला वार विद्युत रहित/विद्युतकृत गांव

क0 स0	जिला का नाम	विद्युत–रहित गांव	विद्युतीकृत गांव
1.	चम्बा	16	9
2.	कॉगड़ा	2	–
3.	किन्नौर	40	2
4.	लाहौल–स्पिति	29	5
5.	मण्डी	12	9
6.	शिमला	9	–
7.	सिरमौर	1	1
	कुल	**109**	**26**

I. राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमउर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता का विवरण निम्न है:–

i) राज्य क्षेत्र:

क्. सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	आन्ध्रा	यमुना	16.95
2	गिरी	यमुना	60.00
3	गुम्मा	यमुना	3.00
4	रूक्ती	सतलुज	1.50
5	चावा	सतलुज	1.75
6	रौंगटोंग	सतलुज	2.00
7	नोगली	सतलुज	2.50
8	भावा	सतलुज	120.00
9	घानवी	सतलुज	22.50
10	विनवा	ब्यास	6.00
11	गज	ब्यास	10.50
12	वनेर	ब्यास	12.00
13	बस्सी(उहल–11)	ब्यास	60.00
14	लारजी	ब्यास	126.00
15	खौली	ब्यास	12.00
16	साल–।।	रावी	2.00
17	होली	रावी	3.00
18	भूरी सिंह पावर हाउस	रावी	0.45
19	किलाड	चिनाव	0.30
20	थिरोट	चिनाव	4.50
	उप–योग–।		**466.95**

ii) केंद्रीय/ संयुक्त क्षेत्र:

क.सं.	परियोजना	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	यमुना परियोजनाएं (हि.प्र.का भाग)	यमुना	132
2	भाखड़ा	सतलुज	1325
3	नाथपा झाखड़ी	सतलुज	1500
4	वैरा स्यूल	रावी	198
5	चमेरा–।	रावी	540
6	चमेरा–।।	रावी	300
7	उहल–। (ाानन)	व्यास	110
8	पौंग डैम	व्यास	396
9	वी.एस.एल.	व्यास	990
	उप–योग–।।		**5491**

iii) निजी क्षेत्र :

क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	नदी तट	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1.	बास्पा–II	सतलुज	300
2.	मलाना–I	ब्यास	86
3.	पतिकरी	ब्यास	16
4.	टॉस	ब्यास	10
5.	सरबरी–II	ब्यास	5.4
6.	एलायन दुहांगन	ब्यास	192
	उपयोग–(क)		**609.4**

ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3
1.	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	105
	उपयोग–(ख)	**105**
	योग–।।। (क+ख) 609.40+105	**714.4**

कुल प्रचलनाधीन (जनवरी,2010 तक)

1+2+3 = 467+5491+714 = 6672 मैगावाट

अ) निजी क्षेत्र में निश्पादित परियोजनाएं:

1. वासपा जल विद्युत परियोजना–।। (300 मैगावाट)

वासपा–।। जल विद्युत परियोजना का निश्पादन करने के लिए मै0 जै प्रका ा इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम ओ यू एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया गया है। एक दो एवं तीन इकाई में क्रम ाः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन भाुरू हो गया है।

2. मलाना जल विद्युत परियोजना

(86 मैगावाट)

इस परियोजना के निशपादन के लिए प्रदे ा सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदे ा सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदे ा सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य भुारू कर दिया। वित्तीय रा ी के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियामक ने 332.711 करोड़ की रा ी स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.7.2001 से विद्युत उत्पादन भुारू हो गया है।

3. पतिकारी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्धारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदे ा राज्य विद्युत परिश्द् द्धारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 126 करोड़ रूपए है। हिमाचल प्रदे ा राज्य विद्युत परिशद के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी 2008 को चालू हो गई है।

4. एलियन दुंहागन हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राभि 922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28अगस्त,1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.वी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

5. सरवरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ **15.03.01** को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता **28.2.09** को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त,2010 को चालू हो गई है।

6. टौस हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडे ान, नया ि ामला के साथ एम. ओ. यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

ब) परियोजनाएं जो निशपादनाधीन हैः

i) राज्य क्षेत्रः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	भावा आगुमैन्टै ान	सतलुज	4.5
2	खौली–।।	ब्यास	6.6
3	गानवी–।।	सतलुज	10
4	उहल–।।।	ब्यास	100
5	क ांग–।	सतलुज	130
6	क ांग–।।	सतलुज	65
7	क ांग–।।।	सतलुज	48
8	सावड़ा कुडू	यमुना	111
9	भ्ाोंगटोंग कड़छम	सतलुज	450
10	सैंज	ब्यास	100
11	चिढ़गांव मझगांव	यमुना	60
12	रेणुका	यमुना	40
	कुल (i)		**1125**

ii) केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्रः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	पार्वती–।।	ब्यास	800
2	पार्वती–।।।	ब्यास	520
3	चमैरा–।।।	रावी	231
4	कोलडैम	सतलुज	800
5	रामपुर	सतलुज	412
	कुल (ii)		**2763**

iii) निजी क्षेत्रः

क) 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मै0वा0)
1	2	3	4
1	नियोगल	ब्यास	15
2	धमबाड़ी–सुण्डा	यमुना	70
3	कड़छम वांगतू	सतलुज	1000
4	मलाणा–।।	ब्यास	100
5	फोजल	ब्यास	9
6	तांगनू रोमोई–।	यमुना	44
7	तांगनू रोमोई–।।	यमुना	6
8	पौडीताल लासा	यमुना	24
9	लम्बाडूहग	ब्यास	25
10	बड़ागांव	ब्यास	24
11	बनैर–।।	ब्यास	6
12	रौड़ा	सतलुज	8
13	बुधील	रावी	70
14	सोरंग	सतलुज	100
15	तिदोंग–।	सतलुज	100
16	साई कोठी	रावी	15
17	चांजु–।	रावी	36
18	व्यास कुण्ड	व्यास	9
19	कूट	सतलुज	24
	कुल (क)		**1685**

ख) 5 मैगावाट तक की परियोजनाएंः

1.	सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमऊर्जा द्वारा प्रचलन में	400 मैगावाट
	कुल (ख)	**400मैगावाट**
	कुल (III) (क+ख) 1685+400	**2085 मैगावाट**

कुल परियोजनाएं जो निश्पादनाधीन हैं

i+ii+iii = 1,125+2,763+2,085 = 5,973 मैगावाट

हि0 प्र0 रा0 वि0 प0 लि0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाएंः

कम सं0	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मै0 वा0)	सम्भावित उत्पादन (मि0 यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1.	ऊहल चरण–3	100.00	391.19	अक्तूबर 2012
2.	घानवी चरण–2	10.00	56.30	दिसम्बर 2011
3.	भावा संवर्धन पावर हाउस	4.50	26.63	मार्च 2011
	कुल	**114.50**		

1. उहल तृतीय चरण(100 मै0वा0) जल विद्युत परियोजना

सभी पैकैज जैसे कि मुख्य सिविल, मकैनिकल तथा इलैक्ट्रीकल कार्य अवार्ड किए जा चूके है तथा दिसम्बर 2010 तक 70 प्रति ात कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना की सं ाोधित अनुमानित लागत 940.84 करोड़ रूपये है। यह परियोजना काफी बडे भौगोलिक क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें मुख्य सुंरग का कार्य रेतीले एवं कच्चे स्टैटा जिसमें सुंरग के कार्य का अनुबन्ध कम्पनी/ठेकेदार की कार्य प्रगति न होने के कारण रद् किया गया तथा अगस्त 2010 में नई निविदांए आमन्त्रित की गई है।

2. भावा सम्बर्धन विद्युत गृह (4. 50मै0वा0)

सूरचु नाला का पानी भावा परियोजना के उपयोग आपूर्ति सम्बर्घन हेतु बदला गया तथा इसका प्रयोग करते हुए विद्युत दोहन के लिए विद्यूत गृह बनाना प्रस्तावित किया गया। पहले यह 3 मै0वा0 क्षमता का प्रस्तावित किया गया था जो कि बाद में 4.5 मै0वा0 क्षमता तक बढाया गया। परियोजना के सभी पैकैज जैसे कि सिविल, मकैनिकल तथा इलैक्ट्रीकल कार्य अवार्ड किए जा चूके है यह परियाजना मार्च 2011 तक चालू होनी अपेक्षित है।

3. घानवी द्वितीय चरण(10मै0वा0)

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह अधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित है। बदला गया पानी 1.8 मी0 ब्यास की डी आकार 1440 मीटर लम्बी सुरगं तथा एक पैन स्टाक 165 मी0 उंचा, दो टरवाइनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए लाया जाएगा। वार्शिक विद्युत उत्पादन 75 प्रति ात वि वसनीय वर्श में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। सभी घटकों जैसे कि सिविल, मकैनिकल तथा इलैक्ट्रीकल कार्य पूरे जोरो पर है। यह परियाजना दिसम्बर 2011 तक पूर्ण होनी अपेक्षित है।

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
क) निश्पादित परियोजनाएं		
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	एकीकृत क ाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I, II, III)	195
3.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.	भाौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
5.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना	40
	जोड(क)	**896**
ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं		
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत क ाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	520
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	141
7.	बेरी निचली जल विद्युत परियोजना	78
	जोड़(ख)	**1195**
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	104
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	43
5.	देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	38
6.	चान्जू जल विद्युत परियोजना	42
7.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	जोड(ग)	**934**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**3,025**

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/निश्पादनाधीन परियोजनाएं:

1 साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) रोहडू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। सनेल गांव के समीप पब्बर नदी के बाएं तरफ भूमिगत विद्युतगृह स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 213.50 मी0 कुल उंचाई से प्रति वर्श 385.78 लाख यूनिट मु0 4.44 रूपये प्रति यूनिट की दर से उर्जा उत्पन्न करेगी। यह परियोजना दिसम्बर,2012 में पूर्ण हो जाएगी। सभी संवैधानिक कार्य वि ोश एजेंसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके कार्य को चार पैकेज में बांटा गया है और इसका निर्माण कार्य भाुरू हो चुका है।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों (जोकि सतलुज नदी की उपनदियां) पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:–

- **चरण–I (65 मैगावाट):** प्रथम चरण में क ।ांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 उंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्श 245. 80 लाख यूनिटस 2.85 रूपये प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना जनवरी,2013 तक चालू हो जाएगी।

- **चरण–।। एवम् ।।। (130 मैगावाट):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्श 245.8 लाख यूनिटस 2.02 रूपये प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना की समाप्ति की तिथि दिसम्बर,2013 रखी गई है।

- **चरण–।V (48 मैगावाट):** यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस

योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर उर्जा उत्पादन किया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्श 322.23 लाख यूनिटस 3.74 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई. पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यह परियोजना अप्रैल,2014 में पूर्ण हो जाएगी।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना(450 मैगावाट)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 146 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्श 1653 लाख यूनिटस 3.78 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही है और इसके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यह परियोजना मार्च,2015 में पूर्ण हो जाएगी।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):

रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर भुारू की जा रही है। राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जला ाय में 45,640 हैक्टर पानी का संग्रह सुनि चत किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्श 221.22 लाख यूनिटस 2.38 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। विद्यमान 60 मैगावाट गिरी जल विद्युत परियोजना के द्वारा बांध पर अतिरिक्त 93.83 लाख यूनिटस बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मार्च,2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत 3,572.19 करोड़ रूपये आएगी जिसका भार भारत सरकार/ दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें। बिजली अवव्यय के मूल्य हि0 प्र0 पावर कार्पोरे ान लिमिटिड के द्वारा उठाए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने का समय मार्च,2015 है।

II. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :– भारत तथा प्रदे ा की बढ़ती ऊर्जा की मांगो को पूरा करने के लिये हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 जल ऊर्जा विकास के अलावा अन्य ऊर्जा क्षेत्रों जैसे उश्मीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, सौर तथा वायु ऊर्जा में कार्य करना चाहता है। रानीगंज, पि चम बंगाल में 500 मै0 वा0 का संयुक्त उपक्रम द्वारा उश्मीय ऊर्जा संयत्र स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए बिलासपुर जिला के नयनादेवी जी क्षेत्र में दो लघु परियोजनाओं बैरा–डोल–I (2 मै0 वा0) एवं बैरा–डोल–II (1 मै0 वा0) का चयन किया गया है तथा इसके अतिरिक्त हि० प्र० पा० का० लि०, आई.पी.पीज साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम द्वारा पवन ऊर्जा के दोहन के लिए योजना बना रहा है

क्षमता बढ़ौतरी/राज्य क्षेत्र के अधीन परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.	देवी कोठी–II	16.5
2.	साई कोठी–II	15
3.	चौबिया–I	15
4.	रौला फेर	20
5.	हैल चन्दरू	18
6.	हरूइन	15
7.	चासग	18
8.	ढेला	20
9.	यूर धरेठ	17
10.	चोटी सैचु	26
11.	सैचु सच खास	104
12.	उज्जई	45
13.	सैचु	43
14.	सुरगानी सुंदला	42
15.	दियोठल छांजु	38
16.	छांजु–III	42
17.	सुंद्राली	11
	कुल	**505.5**

निजी क्षेत्र में निश्पादनाधीन परियोजनाएंः

1. नियोगल हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की कास नदी की सहयोगी नदी है बनाया जाना है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोर ान लि0 नई दिल्ली को दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 61.74 करोड़ रूपए होगी। इस परियोजना से वार्शिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निश्पादन के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरे ान लि0 नई दिल्ली के साथ एम. ओ.यू. 28.8.93 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्धारा समय पर परियोजना का कार्य भाुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकताांए पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। हिमाचल प्रदे ा सरकार ने चौथा अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता 27.10..2006 को कम्पनी के साथ किया। उर्जा खरीदने के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार के साथ मै0 पतिकारी पावर प्रा0 लि0 ने पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना 2010–11 में बन कर चालू हो जाएगी।

2. कडछम वांगटू हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (1000 मैगावाट)

सरकार ने मैसर्ज जय प्रका ा इंण्डस्ट्रीज लि0 के साथ 28.8.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 18.11.1999 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के प्रौद्योगिक आर्थिक अनुमोदन 31.3.2003 को सी ई ए के साथ कर दिया है जिस पर 5910 करोड़ रूपये खर्च करने की सम्भावना है। इस परियोजना से 4,560 मैगा युनिट वार्शिक उर्जा का उत्पादन होगा। इसका त्रिपक्षीय समझौता हिमाचल प्रदे ा सरकार, मै0 जय प्रका ा इंडस्ट्रीज लि0 तथा मै0 कड़छम हाइड्रो कार्पोरे ान लि0 के साथ 30.12. 2002 को हुआ। नवम्बर,2009 की प्रगति प्रतिवेदना के अुनसार परियोजना के बड़े घटकों पर काम प्रगति पर है। इस परियोजना का कार्य 2011–12 में पूर्ण हाने की संभावना है।

3. मलाना हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट–।। (100 मैगावाट)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत 633.47 करोड़ रूपए है। इस परियोजना से 428 मैगा युनिट वार्शिक उर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.5. 2002 को, तथा 14.1.2003 को एम ओ यू तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2011–12 तक चालू हो जाएगी।

4. तागंनू रोवांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (44 मैगावाट)

तांगनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट ि ामला जिला के तांगनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरे ान प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित रा ि 239. 73 करोड़ रूपये है। इस परियोजना से विद्युत का वार्शिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. मै0 पी.सी.पी. इन्वेस्टमैंट लि0 और सरकार के बीच 5.7. 2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार , मै0 तांगनू रोवाई पावर जनरे ान लि0 के साथ कियाान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। परियोजना के मुख्य घटकों पर अभी कार्य भाुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2013–14 में चालू हो जाएगी।

5. तागंनू–।। रोवांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (6मैगावाट)

सरकार तथा मै0 पी.सी.पी. इन्वेस्टमैंट के बीच 5.7.2002 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। सरकार तथा मै0 तांगनू रोवाई पावर जनरे ान लि0 के साथ कियाान्वयन समझौता नई उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। परियोजना के मुख्य घटकों पर अभी कार्य भाुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2013–14 में चालू हो जाएगी।

6. लम्बाडुग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (25 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ सरकार द्वारा 14.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना की लागत 149.81 करोड़ रूपए है। कार्यान्वयन समझौता 28.1.2006 को हस्ताक्षरित किया गा। कम्पनी भू–अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी की प्रक्रिया में है। इस परियोजना का कार्य 2012–13 में पूर्ण होने की संभावना है।

7. बुधील हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (70 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना की लागत 418.80 करोड़ रूपए होगी। इस परियोजना का कार्य मार्च,2011 में पूर्ण होने की संभावना है।

8. सोरंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

मै0 हिमाचल सोरंग पावर (प्राईवेट) तथा सरकार के बीच एम.ओ.यू पर 23.9. 2004 को हस्ताक्षर हुए। सरकार ने कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौते पर 28.1.2006 को हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 586.00 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना 2011–12 तक चालू हो जाएगी।

9. तिदोंग–। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

सरकार ने मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 के साथ 23.9.2004 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कार्यान्वयन समझौते पर 28.7.2006 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की लागत 500.11 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना 2012–13 तक चालू हो जाएगी।

10. फोजल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (9 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पावर प्राईवेट लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत 49.17 करोड़ रूपए हैं। इसके एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर 21.6.2000 और 13.4.2006 को क्रम ाः हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 2012–13 तक चालू हो जाएगी।

11. पौडीताल लासा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (24 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 जयलक्ष्मी पावर लि0 और सरकार के साथ 6.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौते पर 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 107.40 करोड़ रूपए हैं। इस परियोजना का वार्शिक उत्पादन 137 लाख यूनिट होगा। यह परियोजना 2013–14 तक चालू हो जाएगी।

12. बड़ागांव हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34 सैक्टर नोयडा यू0पी0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत 168.09 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रम ाः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1. 2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्श 2012–13 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

13. बनेर–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत 30.36 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रम ाः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्श 2012–13 में चालू हो जाएगी।

14. रौड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 मैगावाट)

मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पूना के साथ 4.2.1996 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। तथा 24.3.2008 को कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 42.03 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना वर्श 2012–13 में चालू हो जाएगी।

15. साई कोठी हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

यह परियोजना वैंचर एनर्जी व टैक्नोलॉजीज नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.17 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. कार्यान्वयन समझौता क्रम ाः जून,2002 एवं 16.7.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है। यह परियोजना 2013–14 में बनकर चालू हो जाएगी।

16. कूट परियोजना (24 मैगावाट)

कूट जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार एवं मै0 कूट एनर्जी प्राइवेट लिमिटिड, नोयडा के साथ एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन समझौता क्रम ाः 28.4.2007 तथा 25.5.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना की अनुमानित लागत 196.5 करोड़ रूपए है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्श 2011–12 के दौरान निश्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

17. हरसर परियोजना(60 मैगावाट)

परियोजना निर्माण के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार ने मै0 सौफीमत एस.ए.फ्रांस, मै0 सोवरा पावर प्राइवेट लिमिटिड, चण्डीगढ़ के साथ दिनांक 21.6.2000 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कम्पनी सरकार के साथ कार्यन्वयन समझौता करने की प्रक्रिया में है। परियोजना वर्श 2013–14 में चालू हो जाएगी।

18. भरमौर परियोजना (45 मैगावाट)

मै0 सौफीमत एस.ए.फ्रांस, मै0 सोवरा पावर प्राइवेट लिमिटिड, चण्डीगढ़ ने हिमाचल प्रदे ा सरकार के साथ परियोजना निर्माण के लिए एम.ओ.यू. 21.6.2000 को हस्ताक्षरित किया है। कम्पनी राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता करने की प्रक्रिया में है। परियोजना वर्श 2013–14 में बनकर चालू हो जाने की संभावना है।

19. ब्यास कुण्ड परियोजना (9 मैगावाट)

ब्यास कुण्ड जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एवं मै0 कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट हाइड्रो पावर प्रा0 लि0 चण्डीगढ़ के साथ एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन समझौता क्रमशः **23.3.2001** तथा **1.10.2009** को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना अनुमानतः वर्ष 2013–14 के दौरान बनकर चालू होने की सम्भावना है।

हिम उर्जा

उर्जा के नए एवम् नवीकरण साधनों का विकास

13.8 हिमउर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदे ा में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उजा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। उर्जा कार्यकु ाल तथा अपारम्परिक उर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर प्रकाभावोल्टिय रोभानियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्श 2010–11 के दौरान उपलब्धियां (दिसम्बर, 2010 तक तथा मार्च,2011 तक प्रत्याि ात) तथा वर्श 2011–12 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

(क) सौर उष्णता संबन्धी कार्यकम

(i) सौर जल तापीय संयत्रः दिसम्बर, 2010 तक 7,400 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र प्रदेभा के विभिन्न स्थानों में स्थापित/बुक किए गए। मार्च, 2011 तक प्रत्याभित उपलब्धि 25,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्श 2011–12 के लिए 6,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य भारत सरकार के जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय सौर मि ान के अन्तर्गत रखा गया है।

(ii) सौर कुकरः जन–जातीय उप योजना के अन्तर्गत स्पिति घाटी के लिए 450 सौर कुकर की खरीद इस वर्श की जानी अपेक्षित है। वर्श 2011–12 के लिए 2,500 सौर कुकर का लक्ष्य रखा गया हैं।

(ख) सौर प्रकाभावोल्टिय कार्यक्रम

(i) सौर प्रकाभावोल्टिय घरेलू रोशनियाः जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत स्पिति घाटी के लिए 400 सौर घरेलू रो ानियों की खरीद इस वर्श की जानी अपेक्षित है। वर्श 2011–12 के लिए 5,500 सौर प्रका ावोल्टिय घरेलू रो ानियों का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) सौर प्रकाभावोल्टिय गली रोशनियाः चालू वित्त वर्श में 525 सौर प्रका ावोल्टिय गली रो ानियां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर, 2010 तक स्थापित की जा चुकी है, मार्च, 2011 तक की प्रत्याि ात उपलब्धि 1,550 होगी। वर्श 2011–12 के लिए 6,000 सौर प्रका ावोल्टिय गली रो ानियो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) निजि क्षेत्र की सहभागिता से निश्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

इस अवधि के दौरान 16 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 51.65 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझोतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 8 परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 33.00 मैगावाट है स्थापित की गई है। 16 परियोजनाएं आंवटन के लिए स्वीकृत की गई हैं जिनकी संकलित क्षमता 19.96 मैगावाट हैं। वर्श 2011–12 के लिए 21 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 66.25 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) हिमउर्जा द्वारा निश्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं

(i) लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः हिम उर्जा द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएंः नामतः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। यह सभी परियोजनाएं ग्रिड से जुड़ी हैं। सुराल, पुरथी, लिंगटी तथा साच परियोजनाओं से केवल जनजातीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों को ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। साच परियोजना 30 अक्तूबर,2010 को चालू हो गई है। वर्तमान वर्श के दौरान दिसम्बर,2010 तक इन परियोजनाओं से 25,88,654 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमउर्जा द्धारा निश्पादित की गई है जिनमें उत्पादन हो रहा है तथा उत्पादित बिजली की आपूर्ति भी स्थानीय जनता को बहुत ही कम स्थिर मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। बिल्लिग (400 किलोवाट) परियोजना निर्माणाधीन है तथा इस पर सिविल तथा ई.एण्ड एम. कार्य प्रगति पर है इस परियोजना को अगस्त,2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य हैं। 19 नई परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 76.10 मैगावाट हे, हिमउर्जा को सरकार द्धारा आवंटित की गई हैं। इनमें से 15 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) लघु पन विद्युत जनरेटर सेटसः हिमउर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में तथा शिमला जिला के डोडरा क्वार में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय जनता/ नजदीकी क्षेत्र को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

(ड़) राज्य स्तरीय उर्जा पार्क

हिमउर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की स्कीम के अनुसार दो राज्य स्तरीय उर्जा पार्कों की स्थापना की जानी है जिनकी नवीनतम प्रगति निम्न प्रकार से हैः

(i) उद्यान एवं वानिकी वि वविद्यालय, नौणी, सोलन में राज्य स्तरीय उर्जा पार्क की स्थापना का कार्य (विभिन्न संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना) मै0 जैन इरीगे ान लिमिटिड जलगांव, महाराश्ट्र को 21.08.2010 को दिया गया है। चिन्हित स्थल को विकसित करने हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(ii) एन.आई.टी. हमीरपुर में अन्य राज्य स्तरीय उर्जा पार्क स्थापित करने हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय से 95.00 लाख रूपये की स्वीकृति

प्राप्त हो चुकी है। उर्जा पार्क की स्थापना के कार्य (विभिन्न संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना) हेतु निविदाएं 19.2.2011 को खोली जानी प्रस्तावित है।

(च) सौर शहरों का विकास

ि ामला तथा हमीरपुर भाहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम अनुसार इन्हें सौर भाहरों के रूप में विकसित करने हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसके तहत ि ामला भाहर के लिए 42,95,000 रूपये तथा हमीरपुर भाहर के लिए 42,80,000 रूपये भारत सरकार ने विभिन्न चिन्हित गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रथम चरण में भारत सरकार से ि ामला तथा हमीरपरु भाहर की मास्टर प्लान बनाने के लिए कुल 2,87,500 रूपये (1,47,500 रूपये ि ामला तथा 1,40,000 रूपये हमीरपुर के लिए) प्राप्त हुए हैं जो कि मास्टर प्लान बनाने के लिए कुल स्वीकृत रा ि ा 5,75,000 रूपये का 50 प्रति ात भाग है। दोनों भाहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने का कार्य पराम ि ादाताओं को दे दिया गया है। जिसके लिए दोनों से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

(छ) क्षेत्र विशेष प्रदर्शन परियोजना स्कीम

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने सं ाोधित क्षेत्र वि ोश प्रद ि ान परियोजना स्कीम आरम्भ की है ताकि अक्षय उर्जा के और अधिक सयंत्रों को राश्ट्रीय तथा अन्तराश्ट्रीय महत्व के स्थानों पर प्रद ि ात किया जा सके। पराम ि ादाताओं से राजभवन, राज्य सचिवालय, विधान सभा तथा कुछेक प्रसिद्व मन्दिरों बारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गई है जिनकी जांच की जा रही है।

(ज) अक्षय उर्जा विकास हेतु राज्य नीतियां

हिमउर्जा द्वारा निम्न उर्जा नीतियां बना दी हैं जिनके अनुमोदन की प्रक्रिया प्रगति पर है:–

- लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (100 किलोवाट तक) बारे नीति
- सौर उर्जा नीति
- पवन उर्जा नीति
- वायोमास नीति

(झ) बजट प्रावधानः

वर्श 2010–11 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार 479.10 लाख रूपये आई. आर.ई.पी. तथा एन.आर.एस.ई. मुख्य– ाीर्शों के तहत राज्य मे अक्षय उर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवं संचार

सड़के तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए आवभयक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विभोश व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेभा जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेभा में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेभा सरकार ने दिसम्बर,2010 तक 33,484 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया हैं। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्श 2010–11 के लिए इस हेतु 501.56 करोड़ रूपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्श 2010–11 का लक्ष्य एवं दिसम्बर,2010 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 14.1

टिप्पणीः लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना

मद	इकाई	लक्ष्य 2010–11	उपलब्धियां दिसम्बर 2010 तक	2010–11 सम्भावित
1.	2	3	5	6
1. वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	750	413	750
2.जल निकास	कि0मी0	1,650	612	1,000
3.पककी तथा विरालित सडकें	कि0मी0	1,000	582	1,000
4.जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	7	14	0
5. पुल	संख्यां	60	34	60
6. गांव जुड़े	संख्या	210	38	150

14.2 हिमाचल प्रदे ा 31.12. 2010 तक 9,579 गांव सड़कों से जोड़े गए जिनका ब्यौरा सारणी 14.2 में दिया जा रहा है।

सारणी 14.2

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या				31.12.10 तक
	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	199	200	202	205	206
1000–1500 की जनसंख्या वाले	239	248	262	266	266
500–1000 की जनसंख्या वाले	977	1050	1151	1208	1212
200–500 की जनसंख्या वाले	2848	2970	3092	3191	3214
200से कम की जनसंख्या वाले	4268	4371	4536	4671	4681
कुल	**8531**	**8839**	**9243**	**9541**	**9579**

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेभा में 1,457 किलोमीटर लम्बे राश्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें भाहरी लिंक रोड्ज तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्श भी जारी रहे। अभी तक 74.07 करोड़ रूपये दिसम्बर,2010 तक खर्च किए गए।

रेलवे

14.4 प्रदे ा में केवल दो छोटी लाईने ि ामला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, आटो रिक ाा इत्यादि नगण्य के बराबर है इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदे ा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रदे ा में अन्य परिवहन सुविधाएं नगण्य होने के कारण निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदे ा के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम द्वारा वर्श 2010–11 में अनुमानित राजस्व में 67 करोड़ रूपये की वृद्वि हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदे ा के जनमानस को राज्य में तथा राज्य से बाहर लोगों को 1,989 बसों और 19 संबंधित बसें (अक्तूम्बर,2010 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। कुल 2,146 प्रचालन मार्गों से 1,28,700 हजार कि0मी0 क्षेत्र तह किया गया।

14.6 लोक हित के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्श भी कार्यान्वित रहीं।

(i) यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजनाः विभाग ने यात्रियों को आकर्शित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना अंकित की गई है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

(ii) वाल्वो लगजरी वातानुकुल बसेः–निगम ने प्रतिश्ठाग्राही मार्गों पर 11 वाल्वो लगजरी वातानुकुलित बसें ि ामला–मनाली तथा धर्म ााला–दिल्ली के लिए चलाई हैं।

(iii) वातानुकुलित बसेंः– निगम ने 21 टाटा/ लैलैण्ड की वातानुकुलित बसें सुखद श्रेणी में प्रतिश्ठाग्राही मार्गों पर चलाई हैं जो दिल्ली, चण्डीगढ़, हरिद्वार, गुढ़गांव तथा धर्मशाला, जोगिन्द्रनगर, मनाली–दिल्ली हैं।

(iv) निगम द्वारा पंजाब, जम्मू–क मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदे ा, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली राज्यों को भी अपनी बसें चलाई हैं।

(v) निगम ने ए ाया के सबसे उंचाई वाले “किबर” गांव को भी अलग से बस सेवा प्रदान की है जिसकी समुद्र तल से उंचाई 15,300 फुट है।

(vi) निगम द्वारा भैया दूज व रक्षा बन्धन पर महिलाओं को मुफत यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुसलिम महिला के लिए भी “बकरीद” पर भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।

(vii) ि ामला शहर में टैक्सी सेवाएंः

निगम द्वारा आम जनता को आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्दे य से ि ामला भाहर की टैक्सी सेवाओं को और अधिक स ाक्त किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके।

(viii) **जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीनीकरण मि ानः** जनता को बेहतर एवं दक्ष यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए ि ामला भाहर में 75 बसें चलाई जा रही हैं जिसके लिए भाहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ix) **आधुनिक बस ठहराव** :– सात आधुनिक बस ठहराव हमीरपुर, उना, बद्द्वी, परवाणु, ढली (ि ामला), मनाली तथा चामुण्डा निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। संभाव्यता अध्ययन के लिए पराम र्दाता को नियुक्त किया गया है।

(x) **नई कार्यशालाः**– हिमाचल प्रदे ा नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से चालू वित्तीय वर्श में उना, सुन्दरनगर तथा चम्बा में नई कार्य ााला निर्माण के लिए प्रस्तावित है।

(xi) **डी.पी.आर.**:– सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परिवहन को स ाक्त करने के लिए 274 करोड़ रूपये तथा 45 करोड़ रूपये वि ोशकर जन–जातीय क्षेत्रों को सहायता के लिए स्वीकृति के लिए प्रेशित की गई है जबकि 6.90 करोड़ रूपये आई.टी.एस. प्रणाली को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है।

(xii) **पुरस्कार** :– निगम को दे ा के पहाड़ी राज्य होने के कारण भी निम्नतम प्रचलन खर्चा ईनाम से सम्मानित किया गया है।

परिवहन विभाग

विभाग परिवहन सेवाओं को केन्द्रीकरण और यातायात सुविधाओं को सुचारू तौर से चलाने के लिए विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत बचनबद्व है। जैसे गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, ड्राईविंग लाईसैंस, प्रदूशण मानक नियंत्रक अनुदे ाों का सख्ती से केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1988 के अन्तर्गत अनुसरण आदि करना है।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार के टैक्स/ फीस जैसेः टोकन टैक्स, एस.आर.टी. आर.पी.एफ. तथा लाईसैंस फीस आदि वर्श 2010–11 के दौरान 10,330.63 लाख रूपये की राजस्व प्राप्तियां दिसम्बर,2010 तक प्राप्त की गई जबकि विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन अपराध के माध्यम से गाड़ियों के चालान द्वारा 326.86 लाख रूपये (दिसम्बर,2010तक) की रावि ा एकत्र की गई। विभाग ने इस वर्श के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गयेः–

i) **हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना**

परिवहन विभाग ने नई योजना "हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना" चलाई है। इस योजना के तहत नए रूट परमिट, वि ोशकर नई खोली गई "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री पथ योजना" (22 यात्रियों की क्षमता से अधिक नहीं) के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं एवं चालक/ परिचालक सहकारी सभाओं तथा विधवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुदृढ़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस

योजना के तहत कुल 69 मार्गों का आंवटन किया गया है।

ii) दुर्घटना को कम करने के उपाय
ड्राईवर द्वारा चलती गाड़ी में मोबाईल सुनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ड्राईविंग स्कूल में 30 दिन के स्थान पर 60 दिन का प्रि ाक्षण अनिवार्य किया गया है। ड्राईविंग स्कूल का नियमित निरीक्षण, दुर्घटना स्थल की पहचान, काले धब्बे तथा लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि नियमों का सख्ती से पालन करना ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

iii) राश्ट्रीय उच्च मार्ग दुर्घटना आपदा सेवा योजना
सड़क सुरक्षा नियम के तहत भारत सरकार द्वारा 8 क्रैने प्रदे ा को प्रदान की है। विभाग द्वारा 20 क्रैनों, 18 रोगी वाहन, 10 स्टीमुलेटर, 15 गति अवरोधक, 20 धुम्रपान मीटर तथा 20 गैस मापयंत्रों के लिए एन.एच.ए.आर.–55 के अन्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र को प्रेशित किया गया।

iv) उत्तराखण्ड राज्य से अनुबंध दोनों राज्यों के परिवहन साधनों को सुचारू तौर से चलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुबंध किया गया।

v) धर्मकांटा की स्थापना सामान वाहनों पर अधिक भार को चैक करने के लिए धर्मकांटा लगाने का प्रस्ताव प्रवे ा पुल के चिन्ह / अन्दर राज्य सीमाओं पर लगाए गए हैं।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदे ा में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए आर्थिकी के निर्वाह की अपार सम्भावनाएं हैं। हिमाचल प्रदे ा में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार तन्त्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्य कलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व संसाधन प्रदे ा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसेः– भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, भाांत व सुन्दर नदियां व झरनें, पवित्र स्थल, एतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोग।

15.2 हिमाचल प्रदेभा सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अंतर्गत जनउपयोगी सेवाएं जैसे सड़कें, संचार, हवाई अडडे, परिवहन सुविधाएं, जलआपूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित है। प्रदे ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाहरों की तरह गांव में भी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास मे सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवे ा किया जा रहा है। वर्श 2010–11 के लिए पर्यटन के अंतर्गत 1,023.57 लाख रूपये एवं नागरिक उड्डयन के अंतर्गत 89.28 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अभी दिसम्बर,2010 तक 55,928 बिस्तरों की क्षमता के 2,169 होटल विभाग में पंजीकृत हैं।

15.3 वर्श 2010–11 के दौरान भारत सरकार ने निम्न योजनाएं स्वीकृत की हैं :–

(लाख रूपये)

क0 सं0	पर्यटन सर्किट / गन्तव्य का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	2	3	4
1.	धौलाधार (कांगड़ा–नगरोटा–बैजनाथ–पौंग) गन्तव्य का एकीकृत विकास	423.00	338.40
2.	स्वारघाट–घाघस–घुमारवीं–सरकाघाट गन्तव्य का एकीकृत विकास	495.00	396.00
3.	पौंटा साहिब–नाहन–रेणुका मैगा सर्किट	592.00	296.00
4.	लघु हरिद्वार–कण्डापतन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में पर्यटन गन्तव्य का विकास	302.44	241.95
5.	भीतला माता परिसर धर्मपुर, तहसील सरकाधाट जिला मण्डी में पर्यटन गन्तव्य का विकास	151.70	121.36
6.	जुब्बड़हट्टी–अर्की–नालागढ़ गन्तव्य का एकीकृत विकास	800.00	640.00
7.	ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यटन गन्तव्य का विकास	693.64	554.91
8.	सूचना प्रौद्योगिक योजना के अन्तर्गत हि0प्र0 पर्यटन बेवसाईट का नवीनीकरण	15.00	13.50
9.	ग्रीश्मोत्सव, शिमला	5.00	5.00
10.	कुल्लू दशहरा	5.00	5.00
11.	पैरागलाडिंग विश्व कप से पूर्व गतिविधि हेतू	10.00	10.00
12.	पर्वत मोटर साईकिल गतिविधि हेतू	5.00	5.00

15.4 विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर 6 रज्जू मार्ग निजि क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव है जो इन्हें बनाएं, चलाएं तथा स्थानान्तरित करें, जिनकी अध्ययन स्थिति इस प्रकार से है। विभाग ने भून्तर से बिजली महादेव तथा पलचान से रोहतांग तक रज्जू मार्ग लगाने के लिए निविदाएं आंमत्रित की है। भोश रज्जू मार्गों के लिए निविदाएं निकट भविश्य में आमन्त्रित करने की योजना है :–

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी से निम्न

छः परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने हेतु प्रयास किए गए हैंः–

क्रम संख्या	स्थल का नाम
1	2
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	15 मील बड़ागांव, जिला कुल्लू
3.	झंटीगरी, जिला मण्डी
4.	ोजा बन्जार, जिला कुल्लू
5.	बिलासपुर
6.	सुकैती, जिला सिरमौर

विभाग द्वारा इन स्थानों का विकसित करने का प्रस्ताव सरकार को अनुमोदन हेतू भेजा गया है।

15.5 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा निजी होटल मालिकों के साथ विभाग तथा पर्यटन निगम प्रदे ा एवं प्रदे ा से बाहर तथा अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले पर्यटन मेलों व उत्सवों में भाग लेता है।

15.6 विभाग द्वारा वर्श 2010–11 के दौरान "हर घर कुछ कहता" नामक टेबल पुस्तक तथा "हिमाचल द र्न", चर्च, कब्रिस्तान पुस्तिका तथा ई–सूचीपत्र का प्रका ान किया। समय–समय पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार–पत्रों, दूरद र्न एवं इलैक्ट्रोनिकी माध्यम की सहायता ली गई। इसके साथ विभाग ने वि व पर्यटन मेला मकाउ एवं दुबई में भी प्रतिनिधित्व किया गया।

15.7 विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए विभिन्न साहसिक व सामान्य प्रि ाक्षण का अयोजन किया गया जैसे ट्रेकिंग, जल क्रीड़ा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर रॉफटिंग व वर्ड वॉचिंग इत्यादि। विभाग प्रदे ा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इस वर्ष विभाग द्वारा पर्यटन से संबंधित निम्न कार्यकमों का आयोजन किया गयाः–

1. वि व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर, 2010)
2. दिल्ली में सड़क प्रद र्न दिनांक 23 तथा 24 अक्तूबर 2010
3. ि ामला से मनाली तक मांउटेन वाईकिंग–2010
4. पैरागलाडिंग खुली प्रतियोगिता–2010

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में प्रदे ा में ि ामला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अडडे है। जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से हैः–

क) शिमला हवाई अडडा : ि ामला हवाई अडडे के रनवे का आकार 4100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। रनवे छोटा होने के कारण केवल ए.टी.आर स्तर के विमान के लिए सेवा ही उपलब्ध है।

ख) कुल्लु हवाई पट्टी :– इस हवाई अडडे के रनवे का आकार 3800 x 100 फुट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचित किया है कि इस हवाई अडडे के रनवे को 550 मी0 से 1678 मी0 तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे ATR–72 टाईप

का एयरक्राफट इस हवाई अडडे पर उड़ान भर सके।

ग) **कांगड़ा हवाई पटटी** :–इस हवाई पटटी के रनवे का आकार 3900 X 100 फुट था जिसे 4500 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72 टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने ुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा रनवे को 418 X 250 मी0 तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आव यकता है।

घ) **प्रदे ा में नए अड्डे**:– विभाग द्वारा प्रदे ा में अन्य उपयुक्त स्थानों पर हवाई अड्डे निजि क्षेत्र की भागीदारी से बनाने की सम्भावनाएं तला ा रहा है। ि ामला के नजदीक बड़े हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि की तला ा की जा रही है।

15.9 हैलीपैड : प्रदे ा में 57 हैलीपैड है तथा 12 नये हैलीपैडों के निर्माण का मामला विचाराधीन है।

15.10 हैली–टैक्सी सेवाएं : सरकार द्वारा राज्य के दुगर्म एवं जन–जातीय क्षेत्र में यातायात को और सुगम बनाने हेतु हैली–टैक्सी सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निजि कम्पनियों से ई.ओ.आई. मांगे गए हैं जिन पर कार्यवाही चल रही है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 ि ाक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को ि ाक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के वि ोश प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदे ा में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 76. 5 प्रति ात है। राज्य में पुरूशों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूशों की 85.3 प्रति ात साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 67.4 प्रति ात है। इस अंतर को पूरा करने के वि ोश प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक ि ाक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक ि ाक्षा का सार्वभौमिकरण सुनि चत करने हेतु प्राथमिक ि ाक्षा निदे ालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक ि ाक्षा निदे ालय" कर दिया है जिसका उद्धे यः–

- प्रारम्भिक ि ाक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक ि ाक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक ि ाक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक ि ाक्षा में 10,764 अधिसूचित प्राथमिक पाठ ाालाएं हैं जिनमें से 10,757 किया ील हैं तथा भोश 7

पाठ ाालाओं को किया ील बनाने के लिए सकिय प्रयास किये जा रहे हैं। वर्श 2010–11 के दौरान (31.12.2010 तक) राज्य में 2,309 माध्यमिक पाठ ाालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,300 कार्यरत हैं। प्रि ाक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक ि ाक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति, लाहौल व स्पिति प्रणाली पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदे ा में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व ि ाक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की

लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफत किताबें भी दी जा रही है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ा का पालन करते हुए प्रदे ा के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदे ा के अति दुर्गम क्षेत्रों में 320 माध्यमिक पाठ ाालाओं में कम्पयूटर ि ाक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित पाठ ाालाओं में पंजाबी एवं उर्दु भाशाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है जिसके लिए अध्यपाकों की भर्ती की प्रकिया लगभग पूर्ण कर दी गई है।

उपरी प्राथमिक ि ाक्षा स्तर

16.4 वर्श 2010–11 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) माध्यमिक पाठ ाला स्तर पर मिडल मैरिट छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को क्रम ाः 400 व 800 रूपये वार्शिक छात्रवृति दी जा रही है।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) 150 रूपये प्रति विद्यार्थी को तथा (छठी से आठवीं कक्षा तक) 250 रूपये प्रति छात्र, 500 रूपये प्रति छात्रा वार्शिक छात्रवृति दी जा रही है।

iii) अनुसूचित जाति परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) 150 रूपये (छठी से आठवीं कक्षा तक) 250 रू0 वार्शिक छात्रवृति दी जा रही है।

iv) सैनिकों के बच्चों को 150 रूपये छात्रवृति प्रति विद्यार्थी पहली से पांचवीं तथा छठी से आठवीं तक 250 को प्रतिवर्श दी जा रही है।

iv) अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) 750 रूपये (छठी से आठवीं कक्षा तक) 900 रू0 वार्शिक छात्रवृति दी जा रही है।

16.5 भारत सरकार द्वारा दे ा में प्रारम्भिक ि ाक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व ि ाक्षा अभियान भाुरू किया, जो प्रदे ा सरकार द्वारा भी अपनाया गया है यह वर्श 2012 तक चलेगा तथा इसका मुख्य उद्दे य वर्श 2010 तक 6–14 वर्श के आयु वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक ि ाक्षा प्रदान करना है और सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग अंतर को दूर करने के साथ–साथ स्कूल प्रबन्धन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनि चत करना है।

16.6 सर्व ि ाक्षा अभियान के अंतर्गत ि ाक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- क्षमताः–इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य मि ान प्राधिकरण द्वारा राज्य, जिला, खण्ड तथा स्कूल स्तर तक आश्रय समूह का गठन करना।
- भाक्तिः–मां तथा लड़की पर वि ोश ध्यान देना।
- ि ाक्षा विम ाः– ि ाक्षक तथा अभिभावक में हर दो माह में एक बार ि ाक्षा पर खुली चर्चा करना। सर्व ि ाक्षा अभियान की बैबसाईट के द्वारा भी अध्यापकों को विचार विम ा करने हेतु व्यवस्था प्रदान की गई है।

- पढ़ना तथा प्रकट करना:– सम्बन्धित विशयों पर ि ाक्षकों द्वारा पढा़ना तथा उस विशय पर विस्तृत चर्चा करना।
- अकड़–बकड़:–बच्चों के लिए एक ज्ञानवर्धक मासिक पत्रिका है।
- बाला:– स्कूल भवनों का ऐसा निर्माण करना जिससे पढ़ने में सहायता मिले।
- किताब:–पाठ ाालाओं में पुस्तकालय बनाना जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए पूरक सामग्री मिल सके।
- आधार–2010:–प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सीखने की कला को बढ़ावा देना।
- सर्व ि ाक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाएं भी क्रियान्वयन की जा रही है :–

1. प्रदे ा में नई माध्यमिक पाठशालाएं खोलना।
2. अप्रवासी ब्रिज पाठयक्रम केन्द्र खोलना।
3. सामान्य वर्ग जाति की आठवीं तक की लड़कियों को मुफत पाठयक्रम पुस्तकें प्रदान करना ।
4. विकलांग बच्चों को शिक्षा का प्रावधान।
5 पाठशाला के उपकरण बदलने के लिए अनुदान।
6. पठन पाठन सामग्री खरीदने हेतु के लिए अनुदान ।
7 रख–रखाव हेतु अनुदान।
8 बी.आर.सी., सी.आर.सी., कक्षा के कमरे, शौचालय और चार दीवारी का निर्माण करना तथा पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना।
9 हर ि ाक्षक को 15 दिन का हर वर्श प्रशिक्षण का प्रावधान।
10. शिक्षकों को शिक्षा के लिए उपकरण प्रदान करना।
11 अनुसंधान तथा आंकलन व ई.एम.आई.एस. का विकास का प्रावधान।
12 अभिनव प्रोजेक्टों का प्रावधान इत्यादि।

खेल–कूद किया–कलाप

16.7 वर्श 2010–11 में, प्राथमिक पाठ ााला केंद्र, खण्ड़, जिला एवं राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 95.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। विभाग इन गतिविधियों के लिए सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता तथा युवा खेल सेवाएं विभाग के सहयोग द्वारा प्रायोजित करता है।

योग शिक्षा

16.8 विभाग ने योग शिक्षा व संस्कृति, इतिहास व युद्व वीरों के लिए छठी से आठवीं कक्षा तक विशेश पुस्तकें विकसित की हैं। ये शिक्षा सत्र 2011–12 से सभी पाठशालाओं में आरम्भ कर दी जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों निर्माण

16.9 सरकार ने वर्श 2010–11 के लिए 2347.57 लाख़ रूपए का बजट प्रावधान किया है ताकि भौतिक आव यकताओं को पूरा किया जा सके। जिसमें प्राथमिक स्कूलों के भवन/ कमरे जिला तथा ब्लॉक कार्यालयों का निर्माण कार्य इस वर्श 2010–11 तक पूरा किया जा सके।

उच्च /उच्चतर ि ाक्षा

16.10 राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला

व्यय हर वर्श बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। दिसम्बर,2010 तक कुल 2166 भौक्षणिक संस्थान अधिसूचित हैं जिसमें 848 उच्च पाठ ाालाएं, 1246 वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाएं तथा जिसमें से 844 उच्च पाठ ाालाएं व 1244 वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाएं कार्यमूलक कर दी गई हैं। 67 महाविद्यालय व 5 संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत हैं (जिसमें सी.ई.आर.टी. सोलन भी सम्मिलित है)

छात्रवृति योजनाएं

16.11 समाज के वंचित वर्ग के ि ाक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **स्वामी विवेकानंद उत्कृश्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अधिकतम 4,000 विद्यार्थियों को (+1 व + 2 के 2000 छात्रों को कम ाः) उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 77 प्रति ात या अधिक अंक अर्जित किये हो, को 10,000/– रूपये की रा ि वार्शिक प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदे ा ि ाक्षा बोर्ड द्वारा संचालित वर्श 2009–10 में 3,015 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(ii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृश्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 200 छात्र तथा 200 छात्राओं को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 72 प्रति ात या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों को 11,000 रूपये की रा ि ा प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्श छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्श 2009–10 में 201 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iii) **महर्शि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक (स्वच्छता से संबंधित) अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से वि वविद्यालय स्तर तक तथा 9,000/– रूपये प्रति छात्रा प्रति वर्श छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं। वर्श 2009–2010 में 89 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

(iv) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 2,000 छात्रों तथा 2,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिन्होंने दसवीं एवं +1 की परीक्षा में 72 प्रति ात व उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों को 10,000 रूपये वार्शिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्श 2009–10 में 1,385 अनुसूचित जाति और 1,363 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(v) **उच्च विद्यालय मेधावी छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति 300 उन नवीं व दसवीं कक्षा के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने माध्यमिक ि ाक्षा में मैरिट प्राप्त की हो। डे स्कोलर को 1000 रूपये तथा छात्रवास में रहने वालों को 1500 रूपये प्रति वर्श प्रदान किए जाते हैं। वर्श 2009–20 में 349 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(vi) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए 250 रूपये प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए 300 रूपये प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विशय के साथ 60 प्रति ात या इससे अधिक अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(vii) **इन्दिरा गांधी उत्कृश्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक ि ाक्षा ग्रहण करने पर 10,000 रूपये वार्शिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्श 2009–10 में 118 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदे ा में इस प्रकार हैः–

1. **आई. आर. डी. पी. छात्रावृति योजनाः** इस योजना के अतर्गत 300 रूपये प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को तथा 800 रूपये मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा रू0 1200 रूपये मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में ि ाक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको 2,400 रूपये मासिक प्रदान किये जाते हैं। वर्श 2009–10 में 77,717 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः** इस योजना के अतर्गत 300 रूपये प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को तथा 800 रूपये मासिक +1 व +2 छात्रों तथा 1200 रूपये मासिक महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों तथा 2,400 रूपये मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं / युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए स ाक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। अपंगता 50 प्रति ात से नीचे होने की स्थिति में बच्चों को आधी छात्रवृति मिलेगी।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्शिक आय 1,00,000/– रूपये से कम हो व अनुसूचित जन–जाति के छात्र/ छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्शिक आय 1,08,000/– रूपए से कम हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्शिक आय 44,500/– रूपये से कम हो। वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो

पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्श 2009–10 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–9,221, अनुसूचित जन–जाति –2,368 अन्य पिछड़ा वर्ग–2,848 है।

4. **सैनिक स्कूल छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति उन विद्यार्थियों को देय है जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे हों तथा हिमाचल प्रदे ा के स्थाई निवासी हो। वर्श 2009–10 में कुल 530 विधार्थी लाभान्वित किए गये।

5. **अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता ऐसे कार्य में कार्यरत हों जिसे अस्वच्छ व्यवसाय की संज्ञा दी गई। जैसे मैला ढोने वाले या चर्म भाोधक आदि। छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की प्राप्ति हेतु उनके माता–पिता को जिस विभाग में ऐसे कार्य में कार्यरत हों से प्रमाण–पत्र लेना होगा। पात्र छात्र/छात्राओं को सरकारी /मान्यता प्राप्त ि ाक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत होना अनिवार्य होगा (दसवीं और उनके समकक्ष)। इस छात्रवृति की प्राप्ति के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है। वर्श 2009–10 में इस योजना के अंतर्गत 62 विद्यार्थियों को लाभ मिला।

6. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्शिक आय 44,500/–रूपये से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगी। वर्श 2009–10 में इस योजना के अंतर्गत 1,026 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

7. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिश्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदानः** इस योजना के अंतर्गत अनुदान राभिा हिमाचल प्रदेभा के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने उसी वर्श नवीं कक्षा में प्रवेभा लिया हो और उस वर्श की 31 मार्च को 16 वर्श से कम आयु हो और अविवैवाहित हो, अनुदान राभिा रूपये 3,000 है। यह अनुदान रा ि ा उन सभी छात्राओं के लिए भी देय है जिन्होंने आठवीं कक्षा कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालय से की हो चाहे वह किसी भी जाति/ धर्म से संबंधित हों। वर्श 2009–10 में 6,233 लड़कियों के नाम नामांकित किया गया तथा 1,87 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया।

संस्कृत ि ाक्षा का प्रसार

16.12 संस्कृत ि ाक्षा के प्रसार हेतु प्रदे ा सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न हैः–

(क) विख्यात संस्कृत पण्डितों को बदहाली से उपर उठाने हेतु वित्तीय सहायता।

(ख) उच्च/वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ग) वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(घ) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(ड.) प्रदे ा सरकार को संस्कृत उत्थान तथा भाौध/ ाौध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रि ाक्षण कार्यक्रम

16.13 प्रदे ा में सेवारत अध्यापकों को ि ाक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्दे य से इनटेल तकनीक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड बैंगलूर द्वारा कम्पयूटर की शिक्षा पूरे प्रदे ा में दी जा रही है और इन कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ करने के उद्दे य से एस.सी.ई.आर.टी. , सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मभााला, फेयरलॉन, ि ामला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी/ एन.सी.ई.आर.टी./ आर. आई.ई. अजमेर आदि संस्थानों में विभिन्न संगोश्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

य ावन्त गुरूकुल आवास योजना

16.14 प्रदे ा के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदे ा सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठ ाालाएं चिन्हित की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 9 कमरे सांझी बाथरूम, रसोई तथा डाईनिंग हाल का प्रावधान है।

निः ाुल्क पाठय पुस्तकें

16.15 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफत दी जा रही हैं। वर्श 2010–11 में नवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 8.39 करोड़ रूपये व्यय किए गए जिससे 1,16,654 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

16.16 व्यवसायिक ि ाक्षा कार्यक्रम वर्तमान में 25 वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाओं में चलाया जा रहा है जिसमें 6 पाठयक्रम पढ़ाये जा रहे हैं।

(i) इलैक्ट्रोनिक टैकनोलोजी।
(ii) कम्पयूटर तकनीक।
(iii) लेखा परीक्षा।
(iv) इलैक्ट्रिकल।
(v) उद्यान।
(vi) फूड प्रीजर्वे ान

व्यावसायिक भिक्षा को 5 नए विशयों के साथ चलाए जाने बारे प्रत्येक खण्ड में 63 नए वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। 5 विशय निम्न प्रकार से हैंः–

1. औटोमोवाईल इंजीनियरिंग
2. बिल्डिंग मैन्टेनैन्स
3. कर्मि ायल भाीथल गारमैन्ट ट्रेनिंग एवं डिजाईनिंग
4. हैल्प केयर एवं ब्यूटी कल्चर
5. ट्रैबल एवं टूरिज्म

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

16.17 40 प्रतिभात से अधिक विकलांग छात्रों को विभवविद्यालय स्तर तक वर्श 2001–02 से निःभाुल्क भिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निः ाुल्क ि ाक्षा

16.18 प्रदे ा में वि वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निः ाुल्क ि ाक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफै ानल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

16.19 प्रदे ा के सभी वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाालाओं में जिनमें 50 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की ि ाक्षा दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 968 वरिश्ठ माध्यमिक पाठभाालाएं लाई गई तथा लगभग 3,522 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्श 2009–10 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी ि ाक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को 50 प्रति ात अनुदान प्रदान करेगा।

राश्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

16.20 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माध्यमिक ि ाक्षा के स्तर का सार्वजनीकरण और ि ाक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राश्ट्रीय माध्यमिक ि ाक्षा अभियान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना का 11वीं पंचवर्शीय योजना में अनुमोदन किया है। इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार 90 प्रति ात तथा राज्य सरकार 10 प्रति ात व्यय करेगी। इसका उद्दे य 14 से 16 वर्श की आयु के समस्त बच्चों को माध्यमिक

स्तर पर ि ाक्षा में गुणवता प्रदान करना है। भारत सरकार ने 45 माध्यमिक पाठ ाालाओं को उच्च पाठ ााला में स्तरोन्नत करने के लिए 156.84 करोड़ रू0 की रा ि स्वीकृत की है।

आदर्श विद्यालयः

16.21 माध्यमिक ि ाक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आद र्ा विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्दे य ि ाक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए ि ाक्षा खण्डों के अंतर्गत जहां ग्रामीण महिला शिक्षा दर 46.13 प्रति ात से कम है और जैण्डर गेप 21:59 से अधिक है। 2009–10 से समस्त विद्यार्थियों को वि ोशकर ि ाक्षा में अक्षम छात्राओं को जोकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबन्धित हैं को पूर्ण रूप से ि ाक्षित किया जाना है ताकि विद्यार्थियों को वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धात्मक गुण में वृद्वि के साथ–साथ रोजगारनोमुख अवसर प्राप्त हो सके। इसमें केन्द्र सरकार ने चम्बा जिले के पांगी, तीसा, सलूनी एवं मैहला खण्ड तथा सिरमौर जिला के ि ालाई खण्ड को चुना है। पांच आद र्ा पाठ ाालाएं नामतः राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ााला कन्दरारी (ि ालाई), डान्ड (सलूनी), कु ानगरी (तीसा), भराईकोठी (मैहला) और हिलोर (पांगी) कार्यमूलक कर दी गई हैं और कर्मचारी की सैकन्डमैंट आधार पर व्यवस्था कर दी गई है। केन्द्र सरकार 90 प्रति ात भाग जोकि 6.78 करोड़ है की पहली कि त पांच आद र्ा विद्यालयों के स्थापना हेतु जारी कर दी है तथा राज्य सरकार 10 प्रति ात 0.75 करोड़ भी मुहैया करा दिया गया है।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.22 केन्द्रीय प्रायोजित यह योजना ि ाक्षा के पिछड़े खण्डों की

माध्यमिक एवं वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ालाओं की छात्राओं के लिए छात्रावास बनने एवं छात्रावास सुविधा को स क्त करने के लिए भुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं लाभान्वित होगी। यह योजना ि क्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों की ि क्षा को बढ़ावा देने एवं लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगी। केन्द्र सरकार का 90 प्रति त भाग जोकि 95.63 लाख रूपये की पहली कि त के स्वरूप में जारी कर दी है तथा राज्य सरकार की 10 प्रति त, 9.56 लाख की पहली कि त प्रस्तावित है। जिला उपायुक्त सिरमौर व चम्बा के पक्ष में ि ालाई और सांच के लिए क्रम ः 19.12 लाख और 6.37 लाख रूपये राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रोद्यौगिकी

16.23 यह योजना मानव विकास संसाधन मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 628 वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ालाओं में 9वीं से 12वीं कक्षाओं में ि क्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को LCD टेलिविजन और LCD Projector के माध्यम से ि क्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वरिश्ठ माध्यमिक पाठ ाला में एक Computer lab और 2 smart classrooms बनवाए जाएंगे। वर्श 2010–11 में इस योजना के लिए मानव विकास संसाधन मंत्रालय एवं भारत सरकार का 75:25 हिस्सा स्वीकृत किया जिसमें 618 GSSS व 5 Smart स्कूलों की स्वीकृत की गई है। इस योजना को चलाने के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा 1,256.09 लाख रूपये और राज्य सरकार का हिस्सा 418.70 लाख रूपये अपेक्षित है।

तकनीकी शिक्षा

16.24 प्रदे ा मे इस समय 1 राश्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेह्ररू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 राश्ट्रीय फैं ान टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 16 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 9 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 20 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 71 सरकारी सह ि क्षा औद्योगिक प्रि क्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है, 8 महिला प्रि क्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रि क्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 95 औद्योगिक प्रि क्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 1 डी–फार्मेसी प्रदे ा में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की ि क्षा दी जाती है। बहुतकनीकी संस्थानों 2 एवं 3 वर्शीय पाठ्यक्रमों द्वारा 11 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग भााखाओं में डिप्लोमा स्तर की ि क्षा एवं प्रि क्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. में 1,2 और 3 वर्शीय पाठयक्रमों द्वारा 24 विभिन्न इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग भााखाओं में प्रि क्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदे ा में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी ि क्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार हैः–

1.	डिग्री स्तर	–	5,580
2.	बी फार्मेसी	–	820
3.	डिप्लोमा स्तर	–	7,610

4. आई.टी.आई. / आई.टी.सी. — 23,092

इसके अतिरिक्त हमीरपुर में सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी वि ववविद्यालय स्थापित किया गया है। विभाग द्वारा तकनीकी ि ाक्षा गुणता सुधार कार्यक्रम के अधीन (द्वितीय चरण) राज्य योग्यता प्रस्ताव का राश्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई / वि व बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को भाग लेने की अनुमति हेतु संस्थान योग्यता प्रस्ताव, संस्थान द्वारा राश्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई भारत सरकार को भेज दिया गया है।

वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु मु0 1.00 करोड़ रूपये प्रत्येक संस्थान की दर से तथा मु0 2.00 करोड़ रूपये प्रति संस्थान की दर से सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

विभाग में 14 औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थान, सोलन, उना, रामपुर, भाम ाी, मण्डी, चम्बा, भााहपुर, नादौन, नाहन, ि ामला, रिकॉग–पिओ, आईटीआई (महिला) मण्डी, आईटीआई (महिला) ि ामला तथा आईटीआइ रोंगटोंग (काजा) श्रेश्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में पदोन्नत किए गए हैं तथा कुल 2,375.19 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह रा ि ा इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रि ाक्षण प्रदान करना तथा भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रि ाक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर वि ोश बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 32 औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदे ा में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी पराम ार्ा उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा मु0 80.00 करोड़ रूपये की धनरा ि ा संबंधित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है।

17 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदे ा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवाएं, आरोग्य देने वाली, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं 52 चिकित्सालयों, 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 453 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 23 नागरिक / ई.एस.आई. औशधालयों और 2,067 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, वि ोश सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्श 2009–10 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) **राश्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 56 ज्वर चिकित्सा डिपो, 1,330 औशधि वितरण केंद्र, 230 मलेरिया क्लिनिकस कार्य कर रहे हैं। वर्श के दौरान (नवम्बर,2010) तक इस कार्य के अंतर्गत 3,70,344 रक्त पटिकाओं को एकत्रित करके 3,62,367 परीक्षण किए गए जिनमें से 197 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रका ा में नही आया ।

(ii) **राश्ट्रीय कुश्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राश्ट्रीय कुश्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्श 1955 में 26 प्रति हजार थी, 30.11.2010 में घटकर 0.30 प्रति दस हजार रह गई। राश्ट्रीय कुश्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुश्ठ रोग लोप कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और वि व बैंक की सहायता से जिलों में कुश्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2010–11 के दौरान नवम्बर,2010 तक 163 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 99 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 214 कुश्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफत में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) **राश्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदे ा में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र / क्लीनिक,41 क्षयरोग युनिट और 168 माईक्रोस्कोपिक केंद्र जिनमें 463 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्श 2010–11 के दौरान तृतीय तिमाही तक 11,354 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 54,286 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदे ा एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

(iv) राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः– वर्श 2010–11 में निर्धारित लक्ष्य 30,000 के अन्तर्गत नवम्बर,2010 तक 11,769 मोतिया विन्द आप्रे ान किये गये, एवम् 11,519 मोतिया विन्द आप्रे ान में आई.ओ.एल लगाए गये। वर्श 2010–11 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रो ानी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत नवम्बर,2010 तक 89,599 विद्यार्थियों की जांच की गई।

(v) राश्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आव यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण कियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्दे य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्श 2010–11 के दौरान दिसम्बर,2010 तक कम ाः 8,839 बन्धयाकरण, 15,694 लूप निवे ा, ओ. पी. प्रयोगकर्ता 25,357 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 81,508 किए गए।

(vi) व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः– हिमाचल प्रदे ा में यह कार्यक्रम आर.सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्दे य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुश्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत 10 वर्शों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्श 2010–11 के लक्ष्य तथा दिसम्बर,2010 तक की उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई हैः–

सारणी संख्या 17.1

क. सं.	मद	लक्ष्य	उपलब्धियां 2010–11 (दिसम्बर 2010 तक)
1	डी0 पी0 टी0	112000	88981
2	पोलियो	112000	88916
3	बी0 सी0 जी0	112000	97961
4.	हैपाटाइटस–बी	112000	79700
5	मीजल	112000	89592
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	112000	88778
7	पोलियो (बुस्टर)	116000	77603
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	116000	77660
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	0	114939
10	डी0 टी0 (5–6 वर्श)	138000	97842
11	टी0 टी0 (10 वर्श)	168000	106102
12	टी0 टी0 (16 वर्श)	144000	99659
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	130000	88783
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	130000	74380

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्श की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। इस अभियान का प्रथम चरण 23.01.2011 व दूसरा चरण 27.02.2011 के लिए निर्धारति किया गया है।

(vii) **राश्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः–** यह कार्यक्रम प्रदे ा में वर्श 1992 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया है। वर्श 2010–11 में नवम्बर,2010 तक 76,115 जांच किए व्यक्तियों में से 586 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 18 रक्त बैंक कार्यरत हैं।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रम** :–हिमाचल प्रदे ा में कुल 49 एकीकृत पराम र्ा एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं पराम र्ा सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्श 2010–11 (अप्रैल से दिसम्बर) 81,807 लोगों ने अपनी एच.आई.वी. जांच करवाई जिसमें से 632 लोग एच.आई.वी. से ग्रसित पाए गए। कुल जांच किए गए लोगों में 26455 गर्भवती महिलाएं थीं जिनमें से 16 एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। वर्श 2010 हिमाचल प्रदे ा में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन चलाई जा रही है जिसमें 5,909 लोगों ने अपनी जांच करवाई।
- **यौन रोग नियंत्रणः–** हिमाचल प्रदे ा में कुल 16 आर.टी.आई./ एस.टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है जिसमें से 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 3 जिला अस्पताल, 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 2 नए क्लीनिक कमला नेहरू अस्पताल और ई.एस. आई. परमाणु में चलाए जा रहे हैं। 2010–11 में 28,905 लोगों ने आर. टी.आई./ एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः–**राज्य में 19 रक्त कोशों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 2 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन युनिट आई.जी. एम.सी. ि ामला में कार्यरत है और 2 भाीघ्र ही जिला अस्पताल मण्डी और डा0 आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में कार्यरत होगें। वर्श 2010–11 में 238 स्वैच्छिक रक्तदान ि ाविरों का आयोजन किया गया। प्रदे ा में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रति ातता 2010–11 में 84.83 प्रति ात पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस 4 डोनर कोचों के साथ 1.38 करोड़ की लागत से संचालित है।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः–** प्रदे ा में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई.जी.एम.सी. ि ामला, जिला अस्पताल हमीरपुर और डा0 आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 8 लिंक ए.आर.टी.केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदे ा में कुल 3510 लोग एच.आई.वी. के उपचार हेतु पंजीकृत हैं जिसमें 1,279 लोग एच.आई.वी. उपचार ले रहे हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाए :–** हिमाचल प्रदे ा में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 19 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गत वर्श में 4,287 लोगों को यौन रोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं जिसमे से 11,946 लोगों को एकीकृत पराम र्ा एवं जांच केन्द्र में इलाज करवाने हेतु भेजा गया। प्रदे ा में गैर सरकारी संगठन द्वारा 82 जागरूकता ि ाविरों तथा 136 स्वास्थ्य ि ाविरों का आयोजन किया गया।
- **टोल–फ्री हेल्पलाईनः–**टोल फ्री नम्बर 1299 के द्वारा लोगों को एच.

आई.वी./ एड्स यौन रोग और रक्तदान के विशय में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्श 19,571 लोगों ने टोल–फ्री हेल्पलाईन–1299 द्वारा जानकारी प्राप्त की।

- **ड्रोप–इन–सैंटरः**–प्रदे ा में 2 ड्रोप–इन–सैंटरः पांवटा साहिब सिरमौर तथा बरमाणा बिलासपुर में संचालित हैं जिसमें 771 एच.आई.वी/एड्स से ग्रसित लोग पंजीकृत हैं।
- **सामुदायिक सहायता केन्द्रः**–प्रदे ा में सामुदायिक सहायता केन्द्र टांडा में सीापित है जोकि एच.आई.वी./ एड्स से ग्रसित लोगों को आवासीय एवम् चिकित्सकीय संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(viii) राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ानः–इस योजना के अन्तर्गत 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 572 रोगी कल्याण समितियां जिला तथा तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। एफ.आर.यू. के विकास के लिए 31.12.2010 तक 35.31 करोड़ रूपये की रा ि ा सभी जिलों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य ि ाक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य ि ाक्षा, पैरा मैडिकल और नार्सिग को बेहतर प्रि ाक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य ि ाक्षा प्रि ाक्षण तथा अनुसंधान निदे ाालय की स्थापना वर्श 1996–97 में की गई।

17.4 इस समय प्रदे ा के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ि ामला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ि ामला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब तथा तीन (i)स्वास्थ्य, (ii)नर्सिंग तथा (iii)पैरा मैडिकल परिशदें कार्यरत हैं। सरकार ने सार्वजनिक निजि क्षेत्र में दो चिकित्सा महाविद्यालय क्रम ाः काला अम्ब जिला सिरमौर एव जिला हमीरपुर में स्थापित करने के लिए अनाप्पति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त जिला मण्डी में ई0एस0आई0 स्कीम के अन्तर्गत 50 एम0बी0बी0एस0 सीटों की क्षमता वाले मैडिकल कॉलेज का निर्माण काय्र प्रगति पर है जिसमें भौक्षणिक सत्र 2012–13 से एम0बी0बी0एस0 कोर्स हेतू प्रि ाक्षण प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है। विभाग की (संस्थान अनुसार) निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयःयह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। वर्श 2010–11 के दौरान 31.12.2010 तक 65 सीटें थीं। इस महाविद्यालय ने निम्न क्षेत्रों में वि ाश्ठ और अति वि ाश्ठ सेवाएं प्रदान करवाने की प्रतिश्ठा प्राप्त कर ली है। सरकार ने इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ि ामला ने भौक्षणिक सत्र 2010–11 के लिए एम.बी.बी.एस. सीटों को 65 से बढ़ाकर 100 करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ि ामला में स्नात्कोत्तर सीटों की संख्या अधिकतर विशयों में 39 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। कर्डियोलोजी विभाग में डी.एन.बी. कोर्स भुारू किए गए है। भारतीय

चिकित्सा परिशद् ने कार्डियोलोजी विशय में डी0एम0 एवं मनोविज्ञानिक विशय एम0डी0 भुारू करने के लिए अभिरूचि पत्र जारी कर दिया जबकि भवास रोग विशय में एम0डी0 तथा सी0टी0वी0एस0 विशय में एम0सी0एच0 भुारू करने हेतू अभिरूचि पत्र अपेक्षित है । भारत सरकार ने वर्तमान वर्श में 520.50 लाख रूपये जी0एन0एम0 स्कूल, आई0जी0एम0सी0 ि ामला को बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्न्त करने हेतू प्राप्त हुए है। जिसके फलस्वरूप सरकार ने आई0जी0एम0सी0 ि ामला में बी0एस0सी0नर्सिंग कॉलेज खोला गया है जिसमें 60 विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र से बी0एस0सी0 नर्सिंग डिग्री के लिए प्रि ाक्षण प्रारम्भ किया गया है। इस महाविद्यालय में 64 स्लाईस सी.टी. स्कैन म ाीन रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतू स्थापित कर दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्श में एक नई टेलीकोबलेट यूनिट की स्थापना की गई है।इस संस्थान में राज्य का प्रथम आंख कोश खोला गया है जिसे आधुनिक म ाीनों एवं उपकरणों से सुस्जित किया गया है जिसमें हॉल ही में कोर्निया को सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया है। भवास रोग विभाग में विडियों ब्रॉन्कोस्कोप प्रणाली स्थापित की गई है जोकि फेफडों के कैंसर के निदान में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त भाल्य चिकित्सा विभाग में टी0यू0आर0 सैट और विडियों एंडोस्कोपी प्रणाली स्थापित की गई है जोकि अण्डकोशीय एवं मूत्र रोगों के निदान में सहायक होगी। पुरानी कैथ लैब को अतिआधुनिक लैब के नवीनतम/आधुनिक तकनीक के साथ बदलने की योजना है । संस्थान अन्य विभागों जैसे सर्जरी विभाग के लिए अग्रिम लैपरोस्कोपिक यूनिट, भवास रोग विभाग के लिए डिफयूजन प्रणाली, रेडियोलोजी विभाग के लिए डैक्सा–स्केन तथा मनोविज्ञान विभाग के लिए ई0सी0टी0 म ाीन इत्यादि को भी अत्याधुनिक सुविधाओं/उपकरणों से सुस्जित करने हेतू दृढसंकल्प है ।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तिय वर्श 2010–2011 के लिए मु0 6354.34 लाख रूप्ये की राि ा राजस्व भीर्श (गैर योजना), मु0 100.00 लाख रूप्ये राजस्व भीर्श (योजना) में म ाीनरी एवं उपकरणों के रख–रखाव, मु0 700.00 लाख पूंजीगत भीर्श (योजना), मु0 152.00 लाख सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए और 11.50 लाख रूप्ये आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए उपलब्ध करवायें गए हैं। इसके अतिरिक्त मु0 12616.37 लाख रूप्ये राजस्व भीर्श (गैर योजना), मु0 4,723.20 लाख पूंजीगत भीर्श (योजना), मु0 300.00 लाख कार्यालय भवन के रखरखाव के लिए एवं 11.50 लाख आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए आगामी वर्श 2011–2012 के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

(ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडाः–

डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है। प्रदे ा सरकार ने इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 की सीटें 50 से बढाकर 100 करने के लिए अनुमति प्रदान की दी है तथा भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा परिशद् न्यू दिल्ली से अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतू मामला उठाया गया है । स्नात्कोत्त्र की विभिन्न 13 विशयों में 51 सीटें प्रतिवर्श भुारू करने की योजना है

जिसके लिए भारतीय चिकित्सा परिशद् एवं भारत सरकार से अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतू मामला उठाया गया है। भौक्षणिक सत्र 2010–2013 के लिए रेडियोलोजी, ऐनिस्थिजिया एवं भाल्य विभागों में डी.एन.बी. प्रि ाक्षण भुारू कर दिया गया है । इस संस्थान में बी.एस.सी. पैरा मैडिकल कोर्स का पांचवा बेच प्रि ाक्षण प्राप्त कर रहा है जबकि अन्य पैरा–मैडिकल कोर्सिज जैसे ऑफथलमिक सहायक इत्यादि भुारू करने हेतू सरकार दृढसंकल्प है । इस संस्थान को परिचारिका ि ाक्षा हेतू उत्कृश्ट केन्द्र बनाने के लिए जी0एन0एम0 प्रि ाक्षण स्कूल धर्म ााला को डा0आर0पी0जी0एम0सी0 टाण्डा स्थान्नतरित कर दिया गया है ।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तिय वर्श 2010–2011 के लिए मु0 4049.45 लाख रूप्ये की राि ा राजस्व भीर्श (गैर योजना), मु0 50.00 लाख रूप्ये राजस्व भीर्श (योजना) में म ाीनरी एवं उपकरणों के रख–रखाव, मु0 1150.00 लाख पूंजीगत भीर्श (योजना) कार्य ाील निर्माण कार्यो, मु0 20.00 लाख सरकारी भवनों के रखरखाव (गैर योजना) के लिए रखे गए है। इसके अतिरिक्त मु08924.02 लाख रूपये राजस्व भीर्श (गैर योजना), 200.00 लाख रूपये सरकारी भवन के रख–रखाव मु0 1,056.00 लाख पूंजीगत भीर्श (योजना) के लिए आगामी वर्श 2011–2012 के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–

i) हिमाचल प्रदे ा राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदे ा में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्श 1994–95 में की गई जिसमें 20 प्रवे ाार्थियों की क्षमता है। भारत सरकार ने महाविद्यालय को 16.3.2001 से मान्यता प्रदान की और वर्श 2003–04 मौजूदा सत्र में 60 नए प्रि ाक्षणार्थियों को बी.डी.एस. को प्रि ाक्षण दिया जा रहा है और इसके अलावा 280 प्रि ाक्षणार्थी को निजी महाविद्यालयों में प्रि ाक्षण दिया जा रहा है। प्रवे ा की अनुमति प्रदान की। इस संस्थान की प्रयोग ाालाएं एवं पुस्तकालय समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

ii) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्दे य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दन्त चिकित्सों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ की मांग को देखते हुए किया गया।

iii) वर्तमान भौक्षणिक सत्र में हिमाचल प्रदे ा सरकारी दन्त महाविद्यालय और तीन गैरसरकारी महाविद्यालयों में डैंटल हाईजिनिस्ट एवं डैंटल मकैनिक के प्रि ाक्षण के लिए 90 प्रि ाक्षणार्थियों का चयन किया गया है ।

वित्तीय उपलब्धियांः

राजकीय दन्त महाविद्यालय ि ामला मे वित्तीय वर्श 2010–2011 के लिए मु0 438.33 लाख रूपये राजस्व, भीर्श गैर–योजना मु0 50.00 लाख रूप्ये राजस्व भीर्श (योजना) में म ाीनरी एवं उपकरणों

के रख–रखाव, व मु0 15.00 लाख रूपये सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए आबंटित किए गए। इसके अतिरिक्त 921.11 लाख रूप्ये राजस्व गैर–योजना, मु0 10.00 आवासीय भवनों के रख–रखाव व मु0 50.00 लाख रूप्ये सरकारी भवनों के रख–रखाव के लिए एवं 5.00 लाख रूपये का प्रावधान योजना वर्श 2011–12 के लिए रखा गया है।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्श 1985 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,105 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिनमें एक कार्य ील है) कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जोकि जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां औशधियों का निर्माण करती हैं जिनसे विभाग की संस्थाओं को दवाईयां प्राप्त होती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्श की क्षमता से बी.ए.एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक ि ाक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, भाल्क्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, रस भाास्त्र एवं भाल्य तंत्र की स्नातकोतर श्रेणियां भी भाुरू कर दी हैं। महाविद्यालय में स्नातकोतर विद्यार्थियों की संख्या 39 कर दी गई है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राश्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्श 2010–11 के लिए 11,087.67 लाख रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम 2 अक्तूबर,2008 को जिला हमीरपुर एवं जिला कांगड़ा में आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.आर.एच.एम.) द्वारा 129.68 लाख रूपये की राि ा आयुर्वेद विभाग को उपलब्ध करवाई गई है। अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8.98 लाख लोगों का उपचार किया जा चुका है। इस कार्यक्रम को प्रदे ा के भोश दस जिलों में चयनित स्वास्थ्य खण्डों में भी आरम्भ कर लिया गया है तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.आर.एच.एम.) द्वारा 209.77 लाख रूपये की राि ा आयुर्वेद विभाग को उपलब्ध करवाई है तथा 1.10 लाख रोगियों का निरीक्षण/ उपचार अभी तक किया जा चुका है

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

17.6 राज्य के विभिन्न कृशि जलवायु क्षेत्रों में औशधिय सम्पदा की खेती करने, विस्तार एवं सुरक्षित रखने के लिए विभाग द्वारा प्रदे ा में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला ि ामला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की

स्थापना की गई है। विभाग के अंतर्गत स्टेट मैडिसिनल प्लांट बोर्ड एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से औशधीय पौधों के विकास हेतू एक एक्सन प्लान 2010–11 बनाया गया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित राश्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता मु0 2.06 करोड़ रूपय नै ानल मैडिसन प्लांट बोर्ड, केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त लिखित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रि ाक्षण एवं क्षमता वर्धन हेतु रू0 59.50 लाख की परियोजना भी स्वीकृत की गई है। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा चयनित औशधीय पौधों के विपणन के लिए पंताजलि योग पीठ हरिद्वार के साथ एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया है जोकि हि0प्र0 राज्य कृशि विपणन बोर्ड की मध्यस्ता से कार्यान्वित होगा। हाल ही में हिमाचल सराकर द्वारा 37 औशधीय पौधों की कृशि उपज का दर्जा दिया गया है।

17.7 तीन विभागीय फार्मेसियों के आधुनिकीकरण /नवीनीकरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आयूश विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्श में तीनों फार्मेसियों को 3.87 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए जिससे इन विभागीय फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण जारी है।

औशधि जांच प्रयोगशाला

17.8 वर्श 2010–11 के दौरान इस प्रयोग ाला द्वारा सरकारी एवं निजि फार्मेसियों के 537 नमूनों का परीक्षण किया गया जिससे 1.14 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया।

17.9 अन्य विकासात्मक गतिविधियां:

i) **पंचकर्म चिकित्सा ि ाविर:** पंचकर्म चिकित्सा को बनाने हेतू विभाग ने समय–समय पर पंचकर्म ि ाविरों का आयोजन करता रहा है। वर्श 2008–09, 2009–10 व 2010–11 में विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर पंचकर्म ि ाविरों का आयोजन किया गया जिसमें 7,211 रोगियों का उपचार किया है।

ii) **आयुर्वेदिक बी.फार्मा एवं आयु0 नर्सिंग कोर्स:** बी.फार्मा कोर्स दिनांक 1.10.2010 से जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी में आरम्भ हो गया है जिसमें 30 छात्रों की क्षमता है। नर्सिंग कोर्स भी केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाया गया है तथा आगामी भौक्षिक सत्र से इसे भी आरम्भ किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन कोर्सों के आरम्भ होने से प्रदे ा के छात्रों को अपने ही प्रदे ा में इसकी ि ाक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। नर्सिंग कोर्स के लिए भारत सरकार ने 2.64 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं

iii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी**

वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफत वितरण हेतु कर रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को क्रियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है।

विभाग की तीनों आयुर्वेदिक फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आयुश विभाग द्वरा 3.87 करोड़ रूपये की सहायता पिछले वित्तीय वर्श में

प्रदान की गई है जिससे कि आधुनिक म ीनें फार्मेसियों में लगाई जा रही हैं। नई म ीनों की स्थापना से औशधियों के उत्पादन तथा गुणवता में सुधार आएगा। कुछ नई म ीनों की स्थापना हो गई है कुछ की हो रही है, प्रक्रिया जारी है।

विभाग की तीनों फार्मेसियों से औशधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है तथा नई म ीनों की स्थापना के उपरान्त औशधियों निमार्ण करने की क्षमता में भी वृद्दि होगी। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औशधियों निर्माण करने हेतु, क्रय कर रहा है।

iv) **राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ानः** भारत सरकार, आयुश विभाग द्वारा इस विभाग के प्रस्ताव पर वर्श 2008–09 में 18.90 करोड़ रूपये की रा ि ा 70 सी.एच.सी एवं 10 क्षेत्रीय/ जोनल अस्पतालों में आयु ा उपचार केन्द्र स्थापित करने हेतु राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान के अंतर्गत स्वीकृत किए है। यह कार्यक्रम विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 22 लाख रूपये की रा ि ा सी. एच.सी एवं 35 लाख रू0 प्रति क्षेत्रीय/ जोनल अस्पातालों/ महाविद्यालय अस्पताल के लिए प्राप्त करवाए गए हैं।

यह रा ि ा को लोके ान के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के सी. एच.सी / जिला अस्पताल में आयुश क्लीनिक पर व्यय किए जाएंगे परन्तु अभी तक व्यय नहीं किए जा सके। सरकार द्वारा 155 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के इस पोलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 66 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद सी.एच.सी. में भरे जा चुके हैं तथा 89 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

इस पोलिसी के अन्तर्गत 2010–11 में मु0 400.07 लाख रू0 राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान फलैक्सीपुल के अन्तर्गत वेतन के लिए 173 आयुर्वेद ईकाइयों को सी. एच.सी. में स्थापना के लिए 14 जिला/जोनल अस्पताल में आयुश वि ोश ईकाईयों की स्थापना के लिए तथा 14 होम्योपैथिक ईकाईयों का ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 100 पी0एच0सी0, 14 होम्योपैथिक डिस्पैंसरियों के लिए मु0 5,163.26 लाख रूपये उपकरण / दवाईयों तथा संरचना के लिए भारत सरकार आयुश विभाग से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

18 समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदे । का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, भाारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नेतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

सामाजिक सुरक्षा पैं ान योजना

18.2

(क)वृद्धावस्था पैंशनः–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है तथा उनकी देख–रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9,000/–रू0 से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत आय के अतिरिक्त 15,000/–रू0 से अधिक न हो। इनको 330/–रू0 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है।

(ख)अपंग राहत भत्ताः–ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्राोतों से 9,000/–रू0 से अधिक न हो। परिवार की वार्शिक आय व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त समस्त स्त्रोतों से 15,000/–रू0 से अधिक न हो इनको 330/–रू0 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। वृद्वावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 1,06,439 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु 5,873.99 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12.2010 तक 4,560.28 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है।

(ग) विधवा/ परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन :–ऐसी महिला जो विधवा,परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9,000/–रू0 से अधिक न हो। ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय 15,000/–रू0 से अधिक न हो। इनको भी 330/–रू0 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 59773 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 2500.88 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12.2010 तक 1928.41 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है ।

(घ) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो। कुष्ठ रोगियों पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुश्ठ रोगियों को रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 1482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 61.73 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12. 2010 तक 45.33 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है ।

(ड़) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना :–इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 91,440

पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 2193.56 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12.2010 तक 1803.32 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है ।

(च) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना:–इस योजना के अंतर्गत 40 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 7,957 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 193.12 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12.2010 तक 125.61 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है ।

(छ)इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना:–इस योजना के अंतर्गत 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रति ात विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2010–11 में 191 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 5.24 लाख रू0 के बजट प्रावधान में से 31.12.2010 तक 3.27 लाख रू0 व्यय किए जा चुके है। केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार से मु0 200/–रू0 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है जबकि शेष मु0 130/–रू0 की राशि तथा मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्वावस्था, विधवा तथा अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है।

बाल कल्याण

"मुख्यमन्त्री बाल उद्वार" योजना:

18.3 अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिस्सा, भरमौर, कल्पा(2), शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) तथा मशोवरा, टुटीकण्डी, मासली (शिमला), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किल्लाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा हैं। इन आश्रमों में बच्चों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करने का प्रावधान हैं। इन आश्रमों में 1,060 बच्चों को रहने की सुविधा है। वित्तीय वर्श 2010–11 के लिए 233. 00 लाख रूपये का प्रावधान है तथा दिसम्बर,2010 तक 76.44 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वरोजगार योजना

18.4 विभाग 4 निगमों द्वारा जोकि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम है को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अंतर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्श 2010–11 के लिए 608.00 लाख,रूपये है, दिसम्बर,2010 तक 421.80 लाख रूपये की राशि निर्गत कर दी गई।

महिला कल्याण

18.5 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैंः–

(क) नारी सेवा सदन मशोवराः– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए 10,000 रूपये तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्श 2010–11 में इस गृह के संचालन के लिए 33.35 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 11.50 लाख रूपये खर्च किए गए।

(ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः–इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों को भाादी के लिए 11,001/– रू0 का अनुदान दिया जाता हैं जिनकी वार्षिक आय 15,000 रूपये से अधिक न हो। वर्श 2010–11 में इस उद्वेश्य के लिए 144.19 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें दिसम्बर, 2010 तक 38.61 लाख रूपये खर्च किये गये जिससे 351 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

(ग) महिला स्वरोजगार योजनाः– इस योजना के अंतर्गत 2,500 रूपये उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतू प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्शिक आय 7,500 रूपये से कम है। वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 13.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

(घ) विधवा पुनर्विवाह योजनाः– इस योजना का उद्वे य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को 25,000 रूपये के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के अंर्तगत 33.35 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 46 दम्पतियों को 11.50 लाख रूपये दिए गए।

(ड़) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्भाल योजनाः– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोशण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय 1,8000 रूपये से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोशण हेतु 2,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्श 2010–11 के लिए 243.72 लाख रूपये का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 191.15 लाख रूपये व्यय किये गए। 12050 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण

18.6 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैंः–

(i) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः–अनुसूचित जाति एवं गैर

अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातिय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए 25,000 रूपये प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2010–11 मे इस योजना के अंतर्गत 38.00 लाख रूपये रखे गए और 124 दम्पतियों को दिसम्बर, 2010 तक 31.00 लाख रूपये खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

(ii) **गृह अनुदानः–** इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय 17,000 रूपये से अधिक न हो, को 48,500 रूपये प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2010–11 में 1544.26 लाख रूपये रखे गए और 2975 व्यक्तियों को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2010 तक 1069.19 लाख रूपये खर्च करके लाभान्वित किया गया।

(iii) **हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओं में सुधारः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन बस्तियों में रास्तों/ जल निकास नालियों/ छोटी पेयजल योजना के अंतर्गत कुंआ/बावड़ी के निर्माण के लिए एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जाती है। वर्श 2010–11 में इस योजना के अंतर्गत 417.46 लाख रूपये रखे गये और 256 हरिजन बस्तियों को लाभान्वित किया गया। इस पर दिसम्बर,2010 तक 180.08 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

(iv) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः–** इस योजना के अन्तर्गत अनु0जाति जनजाति अन्य पिछडा वर्ग, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से निचे रह रहे हो या जिनकी वार्षिक आय 60,000/– रू0 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा 1,200 रूपये प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर 1200/– रू0 से अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को 1,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को 1,500 रूपये प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2010–11 के लिए 310.77 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2010 तक 73.47 लाख रूपये व्यय किए गए तथा 538 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(v) **अनुवर्ती कार्यक्रमः–** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्शिक आय 11,000 रू वार्षिक से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए 1,300 रूपये प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्श 2010–11 में इस योजना के अंतर्गत 79.70 लाख रूपये का

प्रावधान रखा गया जिसमें से 39.14 लाख रूपये की राशि दिसम्बर,2010 तक व्यय की गई जिससे 3069 लोग लाभान्वित हुए।

(vi) अनु0 जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को वितीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। वर्श 2010–11 के लिए 8.19 लाख रूपये का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से 2.50 लाख रूपये की राशि दिसम्बर,2010 तक व्यय करके 29 परिवारों को सहायता दी गई।

समेकित बाल विकास सेवाएं

18.7 समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) जो 100 प्रति ात केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है के तहत छः वर्श तक के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के समग्र विकास के लिए पूरक पोशाहार, पाठ ाला पूर्व ि ाक्षा तथा स्वास्थ्य जांच आदि सुविधाएं प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदे ा में 78 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं, इन परियोजनाओं में 18,386 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2010–11 के लिए 98. 73 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 62.53 करोड़रूपये दिसम्बर,2010 तक व्यय किए गए। 1.4.2009 से समेकित बाल विकास सेवाएं 90:10 (केन्द्र : राज्य) सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार आंगनबाड़ी व सहायकों को प्रतिमास कुल मु0 1,800/–रूपये व मु0 950 रूपये क्रम ाः मानदेय दिया जा रहा है। वित्तीय वर्श 2010–11 के लिए 1,095.00 लाख रूपये का प्रावधान है। वर्श 2000 से हर वर्श 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृश्ट कार्य के लिए राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है।

बेटी है अनमोल योजना

18.8 यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए 05–07–2010 से आरम्भ की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा आय के स्त्रोत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना हैं। जन्म के पश्चात बालिका के नाम बैंक/डाकघर में मु0 5,100/–रू0 जमा कर दिये जाते हैं जोकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा खाते में से आहरित किये जा सकते हैं। स्कूल जाने पर इन लड़कियों को बारहवीं कक्षा तक 300 से 1,500 वार्षिक छात्रावृति भी दी जाती है।

किशोरी शक्ति योजना

18.9 यह योजना भात–प्रति ात केंद्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसे 78 आई. सी.डी.एस. नेटवर्क द्वारा सारे प्रदे ा में चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्दे य कि ाोरियों के स्वास्थ्य एवं पोशण स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक ि ाक्षा के द्वारा कि ाोरियों में साक्षरता बढ़ाना, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौ ाल में सुधार लाना। स्वास्थ्य, पोशाहार स्वच्छता, गृह प्रबंधन एवं बच्चों की देख–रेख संबंधी ज्ञान को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत् वर्श 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक 85,949 कि ाोरियों को पूरक पोशाहार, 398 को कौ ाल विकास

प्रि क्षण, 20,464 को आईरन फोलिक एसिड की गोलियां एवं 50,539 को पोशाहार एवं स्वास्थ्य ि क्षा दी गई। पहले यह योजना पूरे प्रदे । में चलाई जा रही थी। वर्श 2010–11 से 100 प्रतिशत केन्दीय प्रायोजित योजना के रूप में किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 8 जिलों में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, उना तथा लाहौल–स्पिति में चलाई जा रही है। स्कीम के मापदण्डों के अनुसार प्रति परियोजना के लिए 1.10 लाख रू0 का प्रावधान है तथा अधिकतम रू0 50.60 लाख व्यय किये जा सकते हैं, इस आधार पर कि भारत सरकार राशि दे।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम

18.10 कुपोशण 6 वर्श से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/ धात्री माताओं तथा कि ोरियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मूल कारण है। कुपोशण का कुप्रभाव बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर से आंका जा सकता है। इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने पूरक पोशाहार कार्यक्रम भुारू किया है। उपरोक्त वर्णित लक्ष्य समूह को इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोशाहार दिया जाता है। चालू वित्त वर्श में इस कार्यक्रम के अंतर्गत मु0 3,623.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,2010 तक मु0 2,717.15 लाख रूपये खर्च किया जा चुके हैं। भारत सरकार से भी पूरक पोशाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2010 तक मु0 2,466.48 लाख रूपये प्राप्त करके व्यय किए जा चुके है। दिसम्बर,2010 तक 85,949 बी.पी.एल. कि ोरियों तथा 310 अति कुपोशण बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

18.11 किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए वर्ष 2010–11 में सबला नामक योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना को 19.11.2010 को 2 वर्षों के लिए प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किया गया है । योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु 3 लाख 80 हजार रू0 भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाएंगे । इन्हीं किशोरियों को पूरक पोषाहार भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका व्यय 50:50 आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । भारत सरकार से पोषाहार प्रदान करने हेतु मु0 185.58 लाख रू0 भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं ।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

18.12 केन्दीय प्रायोजित योजना के रूप में हमीरपुर जिला हेतु प्रायोगिक तौर पर यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में स्वीकृत की गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से उपर की गर्भवती तथा धात्राी महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु मु0 4,000 रू0 निम्नानुसार दिये जाने का प्रावधान है (राज्य / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर)। अभी तक भारत सरकार से कोई रािा प्राप्त नहीं हुई है।

विकलांग कल्याण

18.13 विभाग विकलांगजन के लिए वर्श 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों को 31.12.2010 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से हैः–

(i) **विकलांग छात्रवृतिः–** इसका मुख्य उद्दे य विकलांग बच्चों को ि ाक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इसके अंतर्गत इन बच्चों को छात्रवृति दी जाती है। वर्श 2010–11 मे 55.03 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है और दिसम्बर,2010 तक 31.41 लाख रूपये व्यय किए गए।

(ii) **विकलांग विवाह अनुदानः–** सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रति ात से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आ ाय से 8,000 रूपये से 15,000 तक विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्श इस योजना के अंतर्गत 25.00 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर,2010 तक 13.17 लाख रूपये व्यय हुए जिससे 152 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(iii) **सर्वेक्षण एवं अनुसधानः–** इस योजना के अन्तर्गत् इस वित्तीय वर्श में मु0 8.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्श सं ाोधित किया जाएगा। विकलांगता के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अनुसधान गैर सरकारी संस्थानों तथा वि वविद्यालयों से प्रस्ताव मंगवाएं हैं।

(iv) **जागरूकता अभियानः–** इस योजना के अंतर्गत् खण्ड एंव जिला स्तर पर जागरूक कैम्पों का आयोजन तथा राज्य स्तर पर अपंगों की सुविधा के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण व प्रि ाक्षकों के लिए कार्य ाालाओं का आयोजन करने हेतु इस वर्श 12.00 लाख रूपये की राि ा का प्रावधान है। दिसम्बर,2010 तक इस योजना के अंतर्गत् 9.45 लाख रूपये की राि ा व्यय की जा चुकी है।

(v) **स्वः रोजगारः–** 40 प्रति ात या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक ईकाईयां जैसे कि चाय, दर्जी इत्यादि की दुकान के लिए अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसपर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मु0 10,000 रूपये या परियोजना लागत का 20 प्रति ात (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। इस वर्श दिसम्बर,2010 तक हि0प्र0 अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम द्वारा 52 पात्र मामलों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए विभाग ने 5.20 लाख रूपये की अनुदान राि ा निगम को उपलब्ध करवाई है।

(vi) **कौ ाल विकासः–** चयनित औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रि ाक्षण निः ाुल्क दिया जाता है और 1,000 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रि ाक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्श 67 विकलांग बच्चों को 8 आई.टी. आई. में 8 व्यवसायों में प्रि ाक्षण

हेतु प्रायोजित किया गया है वित्तीय वर्श 2010–11 में 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(vii) पुरस्कार योजनाः– इस योजना के अंतर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बाबजूद उत्कृश्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृश्ट विकलांगजन को 10,000 रूपये व निजी उद्यमी को 25,000 रूपये के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्श में इसके लिए 0.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

(viii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षाः– प्रदे ा में वि ोश आव यकता वाले बच्चों की ि ाक्षा के लिए दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में स्थापित संस्थान का नाम बदलकर वि ोश योग्यताओं वाले बच्चों के संस्थान का नाम आई.सी.एस.ए. रखा गया है। इस संस्थान में 111 दृश्टिवाधित तथा श्रवणदोश की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए 14.50 लाख रूपये के बजट के प्रावधान से दिसम्बर,2010 तक 8.02 लाख रूपये व्यय हुए हैं इस वर्श ढल्ली स्कूल के लिए हि0प्र0 बाल कल्याण परिशद को 9.34 लाख रूपये की रा ि जारी की गई है। इस स्कूल में 27 दृश्टिवाधित तथा 113 श्रवणवाधित लड़के दाखिल हैं। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम उना में 30 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्श 25.00 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर,2010 तक 3.75 लाख रूपये व्यय हुए हैं

(ix) विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः– प्रदे ा में हमीरपुर व धर्म ाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जोकि क्रम ाः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्म ाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्श 2010–11 में 20.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उप–योजना

18.14 अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्श 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। इससे पूर्व यह कार्य जन–जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

18.15 प्रदे ा में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदे ा में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृश्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, ि ामला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रति ात है।

18.16 अनुसूचित जाति उपयोजना को आव यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्र ासनिक प्रणाली भुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधी ा इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के पराम र्ा से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.17 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए वि ोश लाभकारी कार्याक्रम भुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 24.72 प्रति ात अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके वि ोश प्रयास कर रही है।

18.18 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप– ीर्श "789" बनाया है। वित्तीय वर्श 2010–11 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए भीर्श में किया गया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रति ात बजट प्रयोग करना सुनि चित बनाया जा सकेगा।

18.19 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधी ा होता है। जिला परिशद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निशपादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जोकि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम (10क):

18.20 वर्श 2010–11 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदे ा में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्श 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) 58,000 लक्ष्य के मुकाबले 45,525 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए है।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्दे य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

19.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रदे ा मे ंवर्श 1999–2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्वंय सहायता ग्रुपों मे गरीबों का संगठन, प्रि क्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को भाामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लाभ–भोगी परिवारों को स्वरोजगारी कहा जाता है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अंतर्गत उपदान सहायता समान रूप से परियोजना कीमत का 30 प्रति ात होगी जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रूपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति एवं विकलांग व्यक्ति के परिवारों को 50 प्रति ात तथा अधिकतम 10,000 रूपये उपदान के रूप में रखे गये है। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत 50 प्रति ात तथा प्रति व्यक्ति 10,000 रूपये या 1.25 लाख रूपये जो भी कम हो उपदान के रूप में दिए जाते है। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदन ील परिवारों पर केंद्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत 50 प्रति ात लाभार्थी अनुसूचित जाति/ जन–जाति, 40 प्रति ात महिलाएं तथा 3 प्रति ात विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

19.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्श 2010–11 (दिसम्बर तक) 731 स्वयं सहायता समूहो का गठन किया गया है जिसमें से 611 समूहों के 5,691 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों ने आयवर्धक गतिविधियां अपना ली है। इन समूहों को अब तक रूपये 480.04 लाख अनुदान के रूप में तथा रूपये 1,957.76 लाख ऋण के रूप में प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 1,674 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी रूपये 112.59 लाख अनुदान तथा 651.58 लाख रुपये ऋण के रुप में प्रदान किये गए हैं।

किन्नौर व लाहौल–स्पिति जिलों को छोड़कर प्रदे ा के समस्त जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रि क्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इन केन्द्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण युवाओं को जिला के अग्रणी बैंकों के सहयोग से प्रि क्षण प्रदान किया जा रहा है तथा अब तक 1,804 प्रि क्षुओं को प्रि क्षण प्रदान किया जा चुका है।

कुशलता विकास परियोजना (समस्त प्रदेश के लिए)

19.4 भारत सरकार द्वारा यह परियोजना रुपये 117.00 लाख की कुल लागत से दिनांक 08.12.2009 से समस्त प्रदे ा के लिए अनुमोदित की गई है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात से उपदान की रा‍ि ा वहन की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 1,700 ग्रामीण परिवारों के युवाओं को हिमकोन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत् अब तक 147 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं तथा 10.70 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

कुशलता विकास परियोजना (जिला हमीरपुर के लिए)

19.5 भारत सरकार द्वारा यह परियोजना रूपये 226.68 लाख की कुल लागत के साथ जिला हमीरपुर के लिए अनुमोदित की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा कार्यान्वयन संस्था द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जा रही है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत 2,000 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों के युवाओं को आई0 टी0 एफ0 टी0, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक 400 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं तथा 372 युवकों को रोजगार स्थापना कर दी गई है तथा 42.50 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं

वाटर ौड

19.6 इस परियोजना के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रम ाः एकीकृत बंजर भूमि वाटर ौड विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ से नवम्बर,2010 तक एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (873 माइक्रो वाटर ौड.) जिनकी कुल लागत मु0 254.12 करोड़ रूपये है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सुक्ष्म जलागम स्वीकृत है जिनकी कुल लागत मु0 116.50 करोड़ रूपये तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सुक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत मु0 159.20 करोड़ रूपये है तथा 2,36,770 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के आरम्भ से नवम्बर,2010 तक आई. डब्लयू.डी.पी. पर 195.35 करोड़ रूपये, डी.पी.ए.पी. पर 74.91 करोड़ रूपये, डी. डी.पी. पर 84.78 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटर ौड प्रबन्धन योजना (आई.डब्लयू.एम..पी.) के अन्तर्गत प्रदे ा के सभी जिलों के लिए 36 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत मु0 305.75 करोड़ रूपये प्रस्तावित है तथा 2,03,832 हैक्टेयर

भूमि का विकास 4 से 7 सालों में किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए मु0 52.90 करोड़ रूपये की प्रथम कि त स्वीकृत की गई है ताकि उक्त परियोजनाओं का कियान्वयन किया जा सके।

इन्दिरा आवास योजना

19.7 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को 48,500 रूपये प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात से इस योजना पर व्यय करती है। वर्श 2010—11 में 5,793 नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य है तथा दिसम्बर,2010 तक 4,140 नए मकान बनाये गये तथा शेष मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अधीन दिसम्बर,2010 तक 1,594.18 लाख रूपये खर्च किए गए।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

19.8 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के रोजी कमाने वाले व्यक्ति जिसकी आय 18 से 64 वर्श के मध्य की हो की यदि मृत्यु हो जाए तो भाोक संतप्त परिवार को 10,000 रूपये प्रति परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्श 2010—11 में जिलों को मु0 59.00 लाख रूपये दिसम्बर,2010 तक जिलों को आंवटित कर दिए गए हैं। अतः 590 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जा चुका है।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.9 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्श से 75 वर्श तक की महिलाएं जोकि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। यह परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो राहत प्रदान करती है। दुर्घटना से किसी भी प्रकार की भाल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, गर्भा य, वक्षस्थल निकालने, प्रजनन के समय, किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू—स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु में लागू है। योजना के अन्तर्गत बीमा रा ि ा को निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता हैः—

(i) मृत्यु पर 1,00,000 रूपये
(ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर 1,00,000 रू0
(iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर 1,00,000 रूपये
(iv) एक आंख या एक अंग की क्षति पर 50,000 रूपये
(v) पति की मृत्यु पर 1,00,000 रूपये

वित्तीय वर्श 2010—11 मे जिलों को मु0 240.00 लाख रूपये दिसम्बर,2010 तक जिलों के समस्त डी.आर.डी.ए. को आंवटित कर दिए गए हैं।

अटल आवास योजना

19.10 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस प्रकार अटल आवास

योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित वर्श के लिए 3,996 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 1,112 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा रू0 1,076.276 लाख व्यय किये जा चुके है।

गुरु रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना

19.11 गुरू रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010.11 के लिए 2,240.00 लाख रू0 का आबंटन किया जाएगा। पूर्व में एक विधान सभा क्षेत्र में केवल पांच वार्ड रू0 3.00 लाख प्रति वार्ड इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे थे, अब वार्ड की संख्या बढाकर सात कर दी है तथा प्रति वार्ड रा ा को बढाकर 5. 00 लाख रू0 कर दिया है। यह प्रस्तावित किया है कि अनुसूचित जाति बहुल वार्ड के उन लोगों को, जिनको अन्य योजनाओं के अन्तर्गत न लिया गया हो, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं

19.12 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हिमाचल प्रदे ा के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्दे य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक योजना के माध्यम से समुदाय आधारित अभियान के द्वारा स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण स्वच्छता पर स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेवारी को देखते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदे ा में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को सम्बोधित व्यवरोध जैसेः

- स्वच्छता की आव यकता तथा स्थायित्व के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव
- स्कूलों,आंगनवाड़ियों तथा सामुदायिक स्थानों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार
- कचरा प्रबन्धन पर सुरक्षित एवं व्यावहारिक सामुदायिक कार्यप्रणाली का प्रावधान और
- इस अभियान को स्थाई और जनआंदोलन बनाने तथा संसाधनों के सृजन् में स्थानीय निकायों की भूमिका पर जागरूकता का अभाव

उपरोक्त व्यवरोध को सम्बोधित करने की दृष्टि से प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना ि ाक्षा एवं सम्प्रेशण के माध्यम से स्थाई एवं रचनात्मक सामुदायिक सोच की व्यवस्था का विकास कर रहा है ताकि लोग अपने लिए स्वच्छता से सम्बन्धित आव यकताओं की मांग करें तथा उसके उपरान्त उन्हें पुरा करने के लिए उचित कदम उठाए। वर्तमान में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदे ा के सभी 12 जिलों में चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदे ा स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। इस कार्यक्रम की अभी तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार से है :–

1. वित्तीय प्रगति

(लाख रूपयों में)

कुल परियोजना परिव्यय	15041.47
केन्द्रीय भाग	9998.66
राज्य भाग.	3793.53
लाभार्थी भाग.	1249.28
जारी राि ा	7640.26
केन्द्र द्वारा जारी	5177.88
राज्य द्वारा जारी	1750.50
लाभार्थी द्वारा जारी .	711.88
खर्चा	6213.02
केन्द्रीय भाग से.	4215.54
राज्य भाग से.	1511.91
लाभार्थी भाग से.	485.56

भौतिक प्रगति

घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
व्यक्तिगत पारिवारिक भाौचालय	850737	931998
बीपीएल भाौचालय	218154	237192
एपीएल भाौचालय	632583	694806
स्कूल भाौचालय	17863	11992
आंगनवाड़ी भाौचालय	10408	4763
स्वच्छता परिसर	1229	358

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

19.13 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना की नवीनतम दि ाा निर्दे ाों अनुसार उन महिला मण्डलो को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होनें अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाहय भाौच मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्श 2009–10 के दौरान इस योजना में रू0 95.50 लाख विजेता महिला मण्डलों को प्रदे ा में बांटे गए। प्रदे ा सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना में रू0 182.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

19.14 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तुबर,2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए तथा प्रथम पुरस्कार वर्श 2005 में वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यो को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना ि ाक्षा व सम्प्रे ाण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य ि ाक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहो,गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्दे य निम्न है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सामाजिक एवं राजनैतिक बहस का मुद्दा बनाना
2. खुले में भाौच मुक्त वातावरण एवं साफ सुथरे आद ि गांव विकसित करना जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हों
3. खुले में भाौच प्रथा को पूर्णतय: बंद करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों के स्थाईत्व को बनाए

रखने के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान करना

4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में समुदायिक लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा वैश्वीय स्वच्छता के बढ़ावे के लिए संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान प्रदान करना

हिमाचल प्रदे I में पिछले वर्शो के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेताओं का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	**निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या**
2007	22
2008	245
2009	253

वर्ष 2010 के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कारों के लिए प्रदे I की 1,258 ग्राम पंचायतों द्वारा दावा किया गया है

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.15 प्रदे I में सम्पूर्ण स्वव्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदे I सरकार द्वारा वर्श 2007–08 में राज्य प्रोत्साहन योजना महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को राज्य स्तरीय सामारोह में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस को पुरस्कृत किया जाता है ! इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि I का विवरण निम्न प्रकार से है:–

- खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 1.00 लाख
- जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 3.00 लाख ;
  300 से कम ग्राम पंचायतों के जिला में एक
  300 से अधिक के जिला में दो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार
- मण्डल स्तरीय विजता ग्राम पंचायत– 5.00 लाख
- राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 10.00 लाख
  - ❖ इस योजना के अर्न्तगत वर्श 2009 के दौरान रू0 144 लाख की पुरस्कार राशि I विभिन्न खण्ड, जिला, मण्डल, राज्य स्तरीय विजेताओं को प्रदान किए गए
  - ❖ वर्श 2010 के लिए 1035 ग्राम पंचायतों द्वारा इस योजना की प्रतियोगिता में आवेदन किया है व प्रतियोगिता उपरान्त वर्श 2010 के विजेता ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया गया व विजेताओं को राज्य/ जिला स्तर पर आयोजित स्वतत्रंता दिवस सामारोह के अवसर पर रू0 147 लाख पुरस्कार राशि I 15 अगस्त,2010 को वितरित की गई।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना(प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों के लिए)

19.16 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत एक नई प्रोत्साहन योजना 3 दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत् खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना 31 दिसम्बर से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होती है। जब विजेता स्कूलों को हिमाचल प्रदे ा के अवसर पर जिला स्तर पर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत् जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000/– रूपये के साथ–साथ प्रं ासा प्रमाण पत्र दिया जाता है। खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 20,000/– रूपये के साथ–साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है। खण्ड स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10,000/– रूपये दिया जाता है। वर्श 2010–11 के लिए इस योजना के लिए मु0 82.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.17 संसद द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह अधिनियम–2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू माना जाएगा जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया है। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण मे लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। 1.4.2008 से शेष 8 जिलों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। वर्श 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक भारत सरकार द्वारा 440.21 करोड़ रूपये तथा प्रदेश सरकार के राज्य भाग के रूप मे 55.00 करोड़ रूपये रोजगार गांरटी फण्ड में जमा किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत् जिलों के पास मु0 550.38 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं जिसमें मु0 47.52 करोड़ रूपये आरम्भिक भोश के रूप में सम्मिलित हैं। 31 दिसम्बर,2010 तक जिलों को केन्द्रीय भाग मु0 440.21 करोड रूपये व राज्य भाग मु0 55.00 करोड रूपये जिलों को निर्मुक्त किए गए। दिसम्बर,2010 तक मु0 330.94 करोड रूपये व्यय किए जा चुके हैं तथा 120.05 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए एवं 3,29,215 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

20. आवास एवं शहरी विकास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फलैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। दिसम्बर, 2010 तक प्राधिकरण द्वारा 14,237 मकान/ फलैटों का निर्माण तथा 4,083 प्लाटों का विकास विभिन्न आवासीयों योजनाओं के अर्न्तगत किया गया है।

20.2 इस वर्ष में 13,343.00 लाख़ रूपये बजट के अर्न्तगत 25 मकानों 395 फलैटों का निर्माण करने, 431 प्लाटों को विकसित करने के लिए तथा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों को करने का प्रावधान रखा गया है। नवम्बर, 2010 तक 6,062.46 लाख रुपये का खर्चा किया जा चुका है।

20.3 आर्थिक आधार मुख्यतः हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंको से ऋण लेकर, स्वतः वित्त योजना के आंवटियों से तथा विभिन्न सरकारी विभागों के डिपोजिट कार्यो से प्राप्त होता है।

20.4 25अप्रैल, 1997 और 25 अप्रैल,1998 को माननीय यूनियन मन्त्री ने भारत के सभी आवास बोर्ड मे से हिमुड़ा को श्रेष्ठ भूमिका के लिए पुरस्कार दिया था।

20.5 वर्ष 2009–10 के दौरान हिमुड़ा ने हिमाचल प्रदे ा में विभिन्न स्थानों पर 9 मकान तथा 305 फलैटों का निर्माण किया है । इस अवधि के दौरान हिमुड़ा ने 482 प्लाटों को भी विकसित किया है।

20.6 ठियोग, छबगरोटी, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला और परवाणु में आवासीय कालोनी का निर्माण प्रगति पर है। भूमि अर्जित का कार्य मोहली सेर (जिला कुल्लू) नारी झिक्कली, परागपुर (जिला कांगडा), कोहल बेला, सवहार (जिला हमीरपुर), रामपुर (टुटू), कॅवारा, गरोथ, पोनटी (जिला ि ामला) बेजनी, नागचला (जिला मण्डी), मोहालू खुरद, सपरून, भील बेरठी और राहो (सोलन), और मोगीनन्द और त्रिलोकपुर (जिला सिरमौर), में आवासीय कलौनी स्थापित करने के लिए और भूमि अर्जन कार्य प्रगति पर है।

20.7 हिमुड़ा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे की सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवाये, प ा–पालन, ि ाक्षा, मछली पालन, तकनीकी ि ाक्षा, औद्यिगिक प्रि ाक्षण संस्थान, भाहरी विकास निकाय, पंचायती राज, दुग्ध फेडरेशन, आर्युर्वेद, नागरिक आपूर्ति, उद्यान, जन–सूचना एवं सम्पर्क, पर्वतारोहण और अलाईड स्पोर्टस मनाली, गृह रक्षक और सिविल डिफेन्स तथा सूचना तकनीकी विभागों का निर्माण कर रहा है।

20.8 बददी, फेज–3 में (दुकाने), नालागढ में (बुथों) और रोहडू व बद्दी फेज–1 में वाणिज्य परिसर का निर्माण किया जा रहा है। अटल नगर (कालूझण्डा) में ि ाक्षा हव के विकास हेतु 11 प्लाट बेचे गये है । इस के अतिरिक्त हिमुडा ने हाल ही में मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन मांगे है और इसके लिए अत्यधिक मांग है।

20.9 हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमुडा को भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मि ान के अर्न्तगत नोडल ऐजेन्सी घोषित किया है। शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की योजना (वी.एस.यू.पी.) के अन्तर्गत 176 फलैटों (आि ायाना–2) का निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अर्न्तगत हमीरपुर में 152 फलैटों का और परवाणु में 192 फलैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यु0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 के अर्न्तगत हिमुडा मण्डी नगर में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजे ान का कार्य कर रहा है।

भाहरी विकास

20.10 संविधान के 74वें सं ाोधन के फलस्रूप भाहरी स्थानीय निकायों के अधिकार भाक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदे ा में नगर निगम, ि ामला समेत कुल 49 भाहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्श इन भाहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान रा ि ा प्रदान कर रही है। भाहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने की बजह से सरकार द्वारा वर्श 2010–11 में इन निकायों को 7,606.00 लाख रूपये की सहायता अनुदान रा ि ा प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

20.11 उपरोक्त रा ि ा के अतिरिक्त तृतीय राज्य वित्तायोग की सिफारि ाों के अनुरूप वर्श 2010–11 में सभी भाहरी स्थानीय निकायों को 4,612.00 लाख रूपये की रा ि ा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से दिसम्बर,2010 तक 3,234.00 लाख रूपये प्रदान किये जा चुके हैं। इस रा ि ा में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान रा ि ा भी भाामिल है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

20.12 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीकरण योजना की घोशणा की है। इस योजना का लक्ष्य भाहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कु ाल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार भाहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न भाहरी संस्थाओं को स ाक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु भाहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदे ा मे केवल ि ामला भाहर को राजधानी होने के नाते भाामिल किया गया है।

20.13 हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा आवास तथा भाहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है । वर्श 2010–11 में 1,500.00 लाख रूपये का प्रावधान प्रदे ा सरकार द्वारा राज्य भाग के रूप मे किया

गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना मे निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. ि ामला नगर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बेहतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, ि ामला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. ि ामला नगर के गरीबों को आि ायाना–। और ।।, घर योजना।
4. ि ामला भाहर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का पुर्नवास।
5. ि ामला भाहर के लिए भाहरी परिवहन में 75 बसों को खरीदना।
6. ि ामला के विभिन्न कटिबन्धों में मल व्यवस्था नैटबर्क को खोदी हुई लाईनों तथा छूटे हुए क्षेत्रों / घिसी पिटी मल व्यवस्था की कायाकल्प करना।

एकीकृत गृह एवं मलिन बस्ती विकास योजना

20.14 इस योजना के अंतर्गत भाहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी ईकाई (दो कमरे, एक रसोई तथा भौचालय) के निर्माण का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई मु0 1,00,000.00 रूपये की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मु0 5,533.94 लाख रूपये की छः योजनाओं (हमीरपुर मु0 443.32 लाख, धर्मशाला मु0 942.31 लाख, सोलन मु0 958.35 लाख, परवाणु मु0 1,167.98 लाख, बद्दी मु0 1,475.39 लाख तथा नालागढ़ मु0 546.59 लाख) क्रम ाः को अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा मु0 1,853.73 लाख रूपये केन्द्रीय सहायता (हमीरपुर 170.60 लाख रूपये, धर्मशाला 308.14 लाख रूपये, सोलन 330.77 लाख रूपये, परवाणु 411.11 लाख रूपये, बद्दी 445.42 लाख रूपये तथा नालागढ़ 187.69 लाख रूपये) के रूप में आंवटित कर दी है जिसके अंतर्गत 328 धर्मशाला, 336 सोलन, 152 हमीरपुर, 192 परमाणु, 480 बद्दी तथा 128 रिहाय ाी ईकाईयां नालागढ़ में वर्श 2012 तक बनाए जाने हैं। हिमुडा को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नांमाकित किया गया है। चालू वित वर्श में मु0 500.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जोकि केन्द्रीय सहायता के अनुरूप व्यय पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

20.15 49 भाहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कों, रास्ते, गलियों तथा 1139 किलोमीटर नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। भाहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें मु0 600.00 लाख रूपये इस वित्तीय वर्श 2010–11 में प्रदान किए जाने हैं जिसमें से मु0 337.68 लाख रूपये भाहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए जा चुके हैं।

शहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

20.16 शहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार एवं राश्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास योजना के अंतर्गत इस वर्श

मु0 294.00 लाख रूपये सभी भाहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं जिसमें 3,300 परिवार लाभान्वित होंगें। इस योजना के अन्तर्गत भाहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार, भौचालय, गली के लिए लाईटें तथा रेहन बसेरा इत्यादि बनाने के लिए अनुदान राि ा प्रदान की जा रही है ताकि भाहरों के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। 31.12.2010 तक मु0 220.50 लाख रूपये की रा ाी प्रदान की जा चुकी है व 1,716 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 31.3.2011 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 20.17

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्र्तगत मुख्य उद्दे य भाहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस योजना में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्श 2010–11 में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी के रूप में 2.00 लाख रूपये प्रदान किए जा रहे हैं।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

20.18 भारत सरकार द्वारा वर्श 2006–07 में छोटे व मध्यम भाहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) को पुनः संरचित कर इस का नाम छोटे तथा मध्यम भाहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदे ा द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत तीन भाहरों हमीरपुर, धर्म ाला तथा मण्डी को लाया जा चुका है तथा अन्य 7 भाहरों की योजनाएं अनुमोदनार्थ, भारत सरकार को भेजी गई है इसके कार्यान्वयन हेतु वर्श 2010–11 में 27.00 लाख रूपये (राज्य भाग) का प्रावधान किया गया है।

राजीव गांधी भाहरी नवीकरण सुविधा

20.19 माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदे ा ने ि ामला भाहर को छोड़ कर दूसरी भाहरी स्थानीय निकायों में सफाई एवं ढांचागत सुधार हेतु राजीव गांधी भाहरी नवीकरण सुविधा योजना की घोशणा वर्श 2006–07 में की थी। इस योजना में कार पार्किंग, पार्क निर्माण कूड़ा संयंत्र की स्थापना तथा सामुदायिक भौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के कार्यन्वयन हेतु इस वित्तीय वर्श में मु0 671.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें से मु0 80.00 लाख रूपये नगर पालिकाओं को पार्किंग क निर्माण हेतु प्रदान किए गए हैं तथा शेश राशि 31.3.2011 तक खर्च कर दी जाएगी।

मल व्यवस्था योजना

20.20 मल व्यवस्था स्कीम में वर्श 2010–11 में मु0 2,500.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान भाहरी विकास के नाम कर दिया है। यह स्कीम सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है तथा मु0 2,168.62 लाख रूपये उन्हें वितरित कर दिए गए हैं। इस विभाग द्वारा बजट में प्रदान राि ा आहरण करने के उपरान्त सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को प्रदान की गई है। उपरोक्त योजनाओं/ कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यन्वित करने के लिए सभी भाहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। सभी भाहरों के समुचित विकास हेतु भाहरी विकास योजना बनाने की कोि ा ा की जा रही है।

भाहरी एवं ग्रामीण योजना

20.21 प्रदे ा के भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध एवं क्रमबद्व, भौतिक विकास, पहाड़ी वास्तुकला धरोहर एवं पर्यावरण संरक्षण तथा अतिसीमित भू–सं ाधनों के उचित उपयोग को सुनिचित करने हेतु। विभिन्न नगरों एंव बढ़ते केन्द्रो में योजना बद्ध विकास को सुनि चत करने के लिए विभाग ने नगर एवं योजना एक्ट 1977 को 21 योजना क्षेत्रों और 34 वि ोश क्षेत्रों में लागू किया गया।

31.12.2010 तक की भौतिक उपलब्धियां

20.22 जाहू योजना क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। रेणुका जी, अलसिंडी, करसोग, खटवां, चाम्वी, सुंदरनगर, गगरेट तथा अम्ब योजना क्षेत्रों के गठन का प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार किया जा रहा है। रोहड़ु योजना क्षेत्र की योजना तैयार की गई है और इसे क्षेत्रीय कार्यालय को अपडे ान हेतु भेजा जा रहा है। बड़ोग, त्रिलोकपुर, नग्गर, मनीकरण, बाबा बालक नाथ, भरमौर, जावली तथा सराहन वि ोश क्षेत्रों तथा धर्म ााला और ठियोग योजना क्षेत्रों की विकास योजना बनाने का कार्य चल रहा है तथा 31.3.2011 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाएंगें।

अन्य उपलब्धियां

20.23 हिमाचल प्रदे ा के नगर एवं ग्राम योजना प्रारूप विधेयक,2010 को अंतिम रूप देने हेतु माननीय लोक निर्माण मन्त्री की अध्ययक्षता में एक मन्त्री मंडलीय उप–समिति दिनांक 13.1.2010 को गठन किया गया है। मन्त्री मंडलीय उप–समिति की बैठक 5.4.2010 को हुई जिसमें कुछ सुक्ष्म सं ोधन एवं विधेयक को उपयोगी बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। तदानुसार विधेयक पर कार्य किया जा रहा है। वाकनाघाट, धर्म ााला, चिन्तपूर्णी, मनीकरण, नग्गर, और नैरचौक सहित वृहत 1:5000 पैमाने पर 6 नगरों में भौगोलिक मानचित्र बनाने हेतु राश्ट्रीय सूदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद के साथ दिनांक 3.4.2010 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ है। यह मानचित्र स्थलीय मानचित्रों को बनाने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने जिला किन्नौर के कल्पा एवं सांगला गांव तथा चम्बा के भरमौर निर्मित धरोहर चित्रण एवं पुर्नविकास क्षेत्रों के डिजाईन दि ाा निर्दे ा बनाने हेतु योजना एवं वास्तुकला स्कूल (एस.पी.ए.) दिल्ली के साथ दिनांक 8.4.2010 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया है। एस.पी.ए. की टीम ने इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया है तथा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2011–12 हेतू लक्ष्य

20.24 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के शेष बचे प्रोजेक्टों को आगामी वित्त वर्ष 2011–12 के लिए लक्षित करना प्रस्तावित है जिसमें योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्र, आंचलो का गठन, वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र, विकास योजनाएं, क्षेत्रीय योजनाएं तथा सैक्टर योजनाएं निम्न प्रकार से बनाना हैः–

1. 10 योजना क्षेत्र का गठन रेणुका जी, जोगेन्द्रनगर, चौपाल, नादौन, भोटा, सुजानपुर, बडसर, घुमारवीं, सुन्दरनगर और कांगड़ा।
2. एक विशेष क्षेत्र का गठन जैसे कि सांगला कामरू।
3. 7 आंचलों का गठन जैस कि बल्ह घाटी क्षेत्र, कुल्लू घाटी क्षेत्र, कांगडा घाटी क्षेत्र, कैपिटल शहरी क्षेत्र, दक्षिणी हिमाचल कांउटर मैगनेट क्षेत्र, उत्तरी हिमाचल कांउटर

मैगनेट क्षेत्र और मध्य हिमाचल काउंटर मैगनेट क्षेत्र।

4. रेणुका जी में एक वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र बनाना।
5. 12 विकास योजनाएं बनाना 8 विशेष क्षेत्र कण्डाघाट, चायल, उदयपुर, रोहतांग, हाटकोटी, चमेरा, चिन्तपूर्णी और रिकांगपिओ। 4 योजना क्षेत्र जैसे कि वाकनाघाट, सुन्दरनगर, कांगडा और घुमारवीं।
6. 7 आंचल योजनाओं को बनाना जैस कि बल्ह घाटी क्षेत्र, कुल्लू घाटी क्षेत्र, कांगडा घाटी क्षेत्र, कैपिटल शहरी क्षेत्र, दक्षिणी हिमाचल कांउटर मैगनेट क्षेत्र, उत्तरी हिमाचल कांउटर मैगनेट क्षेत्र और मध्य हिमाचल कांउटर मैगनेट क्षेत्र ।
7. परवाणु योजना क्षेत्र के लिए एक सैक्टर योजना बनाना।

21 पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदे ा में 12 जिला परिशदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें सं ाोधन के कारण भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हिमाचल प्रदे ा पंचायती राज एक्ट में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्दे ाों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न भाक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की भाक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठ ाालाओं में अं ाकालिक जलवाहक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अनुबंध के आधार पर पंचायत सहायक, कनिश्ठ अभियंता एवं लेखापाल, लिपिक व आशुटंकक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता तथा निजि सहायक की नियुक्ति का अधिकार जिला परिशद को दिया गया है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को समस्त प्राथमिक पाठ ााला भवनों का स्वामित्व सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की भाक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित रा ि

के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा भाुल्क अधिरोपित करने तथा आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं भाुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन गुजारा भत्ता के लिए तथा 500 रूपये प्रतिमाह तक गुजारा भत्ता प्रदान करने हेतु आदे ा देने की भाक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायते क्षेत्र में एक रूपये प्रति बोतल की दर से भाराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषिk] पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर में कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक

अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतू वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ii) महिलाओं को सभाक्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ को 50 प्रति ात आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला भाक्ति अभियान को भी भाुरू कर दिया गया है जिससे उनकी क्षमता वृद्वि होगी।

(iii) ग्राम पंचायत के उप–प्रधान के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया है।

(iv) सरकार ने पंचायतों को प्रोत्साहन रा ि ा प्रदान करने हेतु योजना भाुरू की है तथा इस योजना के अर्न्तगत पंचायतों द्वारा भाुद्व अतिरिक्त स्त्रोतों को सृजित करने से प्राप्त रा ि ा के बराबर रा ि ा प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा स्वच्छता, तरल/ठोस कुडा प्रबधन तथा स्ट्रीट लाईट के अर्न्तगत सृजित की गई रा ि ा के बदले में दोगुनी रा ि ा प्रदान की जायेगी। इस वर्श इस हेतु 10.00 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(v) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय की दरों में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से बढ़ौतरी की है। मानदेय की संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिशद को 3,500/– रूपये तथा 2,500/– प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 1800/– रूपये तथा 1,500/– रूपये प्रति मास तथा प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत को 1,200/– एवं 1,000/–रूपये प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिशद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः 1,500/–रूपये तथा 1,200/–रूपये प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतू बैठक फीस की दर को 150/– रूपये प्रति बैठक कर दिया गया है।

(vi) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थााओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतू भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(vii) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिशद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है।

(viii) सरकार ने पंचायत चौकीदारों वर्दी उपलब्ध करवाने हेतु मु0 840 रू0 प्रति वर्श का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ix) पंचायत घर के निर्माण की लागत के मापदण्ड को मु0 2.00 लाख रूपये से वढाकर 3.40 लाख रूपये कर दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्शों के दौरान 366 नए पंचायत घर निर्मित करने व 730 पंचायत घरों की मुरम्मत एवं अपवर्धन के लिए मु0 3.40 लाख व 1.00 लाख रूपये प्रति पंचायत की दर से राि ा प्रदान की गई है।

(x) पंचायत सहायकों का मासिक पारिश्रमिक मु0 3,120 रूपये से बढाकर 5,910 रूपये कर दिया गया है। पंचायत सहायकों को सचिव पंचायत के कार्यो के निश्पादन हेतु भी अधिकृत किया गया है तथा उन्हें ग्राम पंचायत निधि के संचालन हेतु वितीय भाक्तियों भी प्रदान की गई है। पंचायत क्षेत्र के लोंगों को प्रति दिन सेंवाऐं प्रदान करने के उदेश्य से पंचायत सहायक या पंचायत सचिव की प्रत्येक पंचायत में उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु 225 पंचायत सहायकों के नये पद सृजित किये गये तथा नियुक्ति की गई है।

(xi) पंचायत सहायकों को पदोन्निति प्रदान करने के दृश्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि 8 वर्शों की संतोशजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले वरिश्ठ पंचायत सहायकों को अनुबन्ध के आधार पर पंचायत सचिव पदोन्नत किया जाएगा उन्हें मु0 7,810 रूपये मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। गत तीन वर्शों में 1,132 पंचायत सहायकों को अनुबंध आधार पर सचिव बनाया गया। सिलाई अध्यापिकाओं का मासिक मानदेय 900 रूपये से बढ़ाकर 1,100 रूपये कर दिया है।

(xii) राज्य सरकार ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों बैजनाथ और मशोबरा, जोकि पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्कताओं को पूर्ण करते हैं, के पुर्ननिर्माण का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के अपवर्धन हेतु मु0 5.16 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है और प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में प्रशासनिक परिसर एवं आवासीय गृह के निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रूपयेका बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 2.64 करोड रूपये की राशी प्रदान की जा चुकी है.।

(xiii) पंचायत समिति में अनुबन्ध के आधार पर कनिश्ठ अभियन्ताओं के 187 नए पदों का सृजन किया गया है।

(xiv) पंचायत समिति द्वारा अनुबन्ध पर नियुक्त 38 कनिश्ठ अभियन्ताओं को जिन्होने 8 वर्श का कार्यकाल दिनांक 31.3.2010 तक पूर्ण किया है की सेवाओं को जिला परिशद कैडर के अर्न्तगत नियमित किया गया है।

(xv) पंचायतों को तकनीकी सुविधा प्रदान करने के दृश्टिगत 1,069 तकनीकी सहायक नियुक्त किये गए हैं तथा 2 से 5 पंचायतों हेतू एक तकनीकी सहायक का सर्कल तैयार किया है

इन्हें मु0 50,000 रूपये से 1.50 लाख रूपये तक के मूल्यांकन करने की भाक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले मूल कार्यों/रख–रखाव की तकनीकी स्वीकृति हेतु तकनीकी सहायकों की भाक्तियां वर्तमान मु0 25,000 रूपये से बढ़ाकर मु0 50,000 रूपये कर दी हैं तथा कनिश्ठ अभियंता की भाक्तियां वर्तमान मु0 50,000 रूपये से बढ़ाकर मु0 1,00,000 रूपये कर दी हैं तथा सहायक अभियन्ता की भाक्ति मु0 3,00,000 रूपये कर दी गई है। अधि ाशी अभियन्ता को उक्त कार्यों के लिए पूर्ण भाक्ति दी गई है।

(xvi) भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अर्न्तगत सिरमौर व चम्बा जिला को वर्ष 2007–08 से पांच वर्षों के लिए क्रमशः 15.53 करोड़ रूपये तथा 12.97 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाने की प्रस्तावना है जिसमें से इस स्कीम के अर्न्तगत, इन जिलों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार की गई योजना के आधार पर अब तक कुल 90.96 करोड़ रूपये की राशी जारी की जा चुकी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अर्न्तगत पंचायती राज पदाधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए मु0 3.50 करोड़ रूपये की प्रस्तावना भारत सरकार को भेजी गई थी जिसमें से मु0 2.12 करोड़ रूपये की राशि प्रशिक्षण हेतू जारी की जा चुकी है तथा अब तक 16,016 पदाधिकारियों को न्यायिक प्रणाली तथा अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की इस निधि से पंचायती राज पदाधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए रिफरैशर कोर्स आयोजित करने की प्रस्तावना है।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

हिमस्वान

22.1 हिमस्वान परियोजना भारत सरकार की सहायता से वर्श 2005 में हिमाचल प्रदे ा के मुख्यालय को सभी जिला मुख्यालयों को ब्लाक /तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिये भुारू की गई। इस परियोजना पर 98.55 करोड़ रूपये की लागत आयेगी जिसमें केन्द्र सरकार 96.55 करोड़ रूपये की रा ि उपलब्ध करवायेगी तथा 2 करोड़ रूपये की रा ि राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। इस रा ि में से 45.67 करोड़ रूपये ए.सी.ए. के रूप में सरकार को प्राप्त होगा और 56.21 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अनुदान के रूप में प्राप्त होगें। इस परियोजना में अब तक 53.99 करोड़ की रा ि प्राप्त हो चुकी है और बाकि रा ि 2011 तक प्राप्त होगी। अब तक हिमस्वान परियोजना में 34.62 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। हिमस्वान, ई–गवर्नैंस के तीन मुख्य स्तम्भों में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसका मुख्य उद्धे य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं को प्रदे ा के लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ–साथ विभिन्न विभाग अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित कम्पयूटर प्रोग्राम को हिमस्वान के माध्यम से राज्य स्तर पर चला सकेगें। हिमाचल प्रदे ा को दे ा के पहले ऐसे राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ जिसने हिमस्वान परियोजना को सबसे पहले 5 फरवरी, 2008 को स्थापित किया है। यह प्रदे ा के सभी राज्यों में सबसे अधिक कार्यालयों को स्वान से जोड़ चुका है और अभी तक लगभग 1,198 कार्यालयों को हिमस्वान से जोड़ा जा चुका है। हिमाचल प्रदे ा को हिमस्वान के सफल क्रियान्वयन के लिये वर्श 2008 में राश्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

सामुदायिक सेवा केन्द्र

22.2 केन्द्र सरकार ने भारत के 6 लाख से अधिक गॉवों में 1 लाख से अधिक सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकारी, निजी एवं सामाजिक क्षेत्रों की विभिन्न सेवायें प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कम्पनियों के माध्यम से कम्पयूटर केन्द्र खोलें जायेंगे। अब तक इस परियोजना के लिए 19.98 करोड़ रूपये फण्ड के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसमें से 75.00 लाख रूपये खर्च हुए हैं। हिमाचल में 3,243 पंचायतो में कुल 3,366 सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना का उद्धे य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं को जनता के कल्याण के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इस परियोजना का संचालन दो निजी कम्पनियों जूम डेवेलपरस द्वारा जिला कांगड़ा में तथा जी.एन.जी. कम्पनी द्वारा मण्डी/ ि ामला डिवीजन में किया जा रहा है। इन्हें निविदा के आधार पर चयनित किया गया हे तथा इन दोनों कम्पनियों के साथ करार भी किया जा चुका है। हिमाचल प्रदे ा पूरे भारत वर्श में कुछ राज्यों में सम्मिलित है जहां इस परियोजना का कार्यान्वयन भुारू हो चुका है। राज्य में लगभग 90

प्रति ात नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह परियोजना प्रदे ा में मौजूद लोकमित्र परियोजना का विस्तारीकरण है।

सामुदायिक सेवा केन्द्र ग्रामीण स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे ताकि भाहर व ग्राम का अंकिय विभाजन का अंतर मिटाया जा सके। आम नागरिक इन सेवाओं के प्रयोग से अपना समय और पैसा बचा सकेंगे। सामुदायिक सेवा केन्द्रो से निम्नलिखित सरकारी सेवायें प्रदान की जायेगीः

- वोटर कार्ड के लिए नया पंजीकरण,
- एच.आर.टी.सी. बसों की टिकटों की बुकिंग,
- बिजली के बिलों का भुगतान,
- पुलिस ि ाकायत,
- रिक्त पदों की सूची,
- पासपोर्ट इन्क्वायरी,
- स्कूल बोर्ड परिणाम,
- रैफनिक,
- उच्च न्यायालय कॉज लिस्ट,
- विभिन्न सरकारी वेबसाइटों द्धारा सरकारी सूचना एवं फार्म,

अतिरिक्त सेवाएं विभागों से पराम र्ा द्वारा द ार्ाई जाएगी। अभी तक प्रदे ा में लगभग 2,664 लोक मित्र केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

सुगम

22.3 सुगम परियोजना के लिए यू.एन.डी.पी. द्वारा रा ि ा उपलब्ध करवाई गई है व इसका क्रियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एन.आई. एस.जी. संस्था के सहयोग से किया गया है। यह केन्द्र नागरिकों से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाते हैं व सरकारी विभागों से संबंधित सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इटंरफेस का कार्य करते हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न काउंटरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिससे नागरिकों को विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों से अपने कार्यव ा मिलने की आव यकता खत्म हो जाती है। इस परियोजना के लिए यू.एन.डी.पी. ने 1.50 करोड़ रूपये की रा ि ा स्वीकृत की है जिसमें से 1.37 करोड़ रूपये व्यय हुए हैं। अभी तक डी.सी. कार्यालय ि ामला, एस.डी.एम. कार्यालय रामपुर, रोहडू, चौपाल, ठियोग, डोडरा क्वार, जुब्बल, तहसील कार्यालय कोटखाई, कुमारसैन, सुन्नी, चिड़गांव तथा उप–तहसील कार्यालय कुपवी, ननखड़ी, नेरवा, टिक्कर एवं जुन्गा में सुगम केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 11 ट्रांजेक ान आधारित सेवाएं डी.सी. कार्यालय ि ामला में उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनकी सूची इस प्रकार से हैः–

1. हिमरीस–सम्पति पंजीकरण
2. नकल जमाबन्दी
3. इ–प्रमाण–पत्र
4. सारथी ड्राईविंग लाईसैंस
5. वाहन पंजीकरण
6. भास्त्र लाईसैंस
7. अक्षमता कार्ड

8. वरिश्ठ नागरिक पहचान पत्र
9. बस बुकिंग
10. बिजली का बिल
11. टेलीफोन एवं मोबाइल बिल भुगतान

उप–मण्डलीय स्तर पर पांच ट्रांजेक ान आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनकी सूची इस प्रकार से हैः–

1. हिमरीस–सम्पति पंजीकरण
2. नकल जमाबन्दी
3. इ–प्रमाण–पत्र
4. सारथी ड्राईविंग लाईसैंस
5. वाहन पंजीकरण

तहसील/ उप तहसील स्तर पर तीन ट्रांजेक ान आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनकी सूची इस प्रकार से हैः–

1. हिमरीस–सम्पति पंजीकरण
2. नकल जमाबन्दी
3. इ–प्रमाण–पत्र

स्टेट डाटा सेंटर

22.4 राश्ट्रीय ई–गवर्नैस योजना के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर की पहचान सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक तथा सरकार से व्यापार तक विभिन्न प्रभावी सेवाओं को एकत्रित करने वाले एक प्रमुख अंग के रूप में की गई हैं। इस परियोजना पर 43.64 करोड़ रूपये की लागत आयेगी जिसे केन्द्र सरकार उपलब्ध करवायेगी। इस रा ि ा में से 27.32 करोड़ रूपये के ए.सी.ए. के रूप में भारत सरकार से से प्राप्त होगी। भोश रा ि ा 16.32 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। इस परियोजना में अब तक 8.55 करोड़ की रा ि ा प्राप्त हो चुकी है और भोश रा ि ा अगामी 5 वर्शो मे प्राप्त होगी। इस परियोजना पर अब तक 18.00 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

कृशि संसाधन सूचना तंत्र व नेटवर्किंग (एग्रिसनेट)

22.5 एग्रिसनेट भारत सरकार से प्रस्तावित परियोजना है जिसका कियावन नागरिकों वि ोशकर किसानों तथा बागवानों तक कृशि, बागवानी, प ाुपालन तथा मत्स्य विभाग सम्बन्धित सेवाओं एवं सूचनाओं को पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रथम चरण में 67.03 करोड़ रूपये जारी किये। इसमें से 3.56 करोड़ रूपये की रा ि ा व्यय की जा चुकी है तथा भोश रा ि ा सॉफटवेयर के लिए देय है। परियोजना के द्धितीय चरण में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालय में कम्प्युटर की सुविघा उप्लब्ध कराई जानी है, जिसके लिए भारत सरकार ने लगभग 5.70 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धन रा ि ा स्वीकृत की है, जो अभी आहरित की जानी है जिसमें से 2.95 करोड़ रूपये की रा ि ा एच.पी.एस.ई.डी.सी. को कम्पयूटर हार्डवेयर/ सॉफटवेयर खरीदने के लिए दी गई। मैसर्ज सैमटेक कम्पनी को एग्रिसनेट का सेवा प्रदाता चयनित किया गया है तथा इस कम्पनी के साथ 31.10.08 को करार पर हस्ताक्षर किये गये है। साफटवेयर पर जल्दी ही कार्य भाुरू हो जायेगा। परियोजना के अधीन सभी कार्यालयों का हिमस्वान के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाएगा।

कॉलेजों में कम्पयूटर लैव

22.6 इस विभाग द्वारा अब तक 50 कॉलजों में कम्पयूटर लैबों का प्रावधान किया गया है (प्रथम चरण में 26, दूसरे चरण में 13 तथा तीसरे चरण में 11)। सभी कॉलेजों में इंटरनेट सुविधा हिमस्वान द्वारा प्रदान की जा रही है। इस परियोजना का उद्दे य विभिन्न राजकीय स्नातक तक स्नातकोतर महाविद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी की आपेक्षित कु लता प्रदान करना है। यह कम्पयूटर लैब विद्यार्थियों को कम्पयूटर का आधारभूत ज्ञान तथा कम्पयूटर आधारित विज्ञान संबंधी विशयों में असाइन्मेन्ट का कार्य करने के लिए है। यह कम्पयूटर लैब बी.पी.ओ. (बिजनैस प्रौसेस आउटसोरसिंग) तथा आई.टी.ई.एस (इफोरमे ान टेक्नोलॉजी ऐनेबेल्ड सर्विसेस) के प्रि ाक्षण के लिए भी उपयोग होगे। यह वि ोश प्रि ाक्षण, कॉलेजों के नियमित ि ाक्षण समय के बाद प्रदान किए जाएगें। प्रथम तथा द्वितीय चरण में कॉलेजों में कम्पयूटर लैब के लिए 7.74 करोड़ रूपये का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया गया है।

राश्ट्रीय पोर्टल में

22.7 इस परियोजना के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा राश्ट्रीय पोर्टल को संचालित किया जा रहा है जिसका उद्दे य विभिन्न राज्यों व केन्द्र भाासित नागरिकों से संबंधित सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 6 नवम्बर,2008 को सैमटेक कम्पनी के साथ एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अवधि 2 वर्श है जिसके दौरान CSP प्रदे ा संबंधित विशयवस्तु (कन्टेन्ट्स) को एकत्र कर NPI पर उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना के लिए 20.00 लाख रूपये का प्रावधान है जिसमें से 2.24 लाख रूपये खर्च हुए। इस परियोजना में विभिन्न सरकारी विभागों की 17 बेबसाइट बनाई गई है

इलैक्ट्रानिक सरकारी अधिप्राप्ति

22.8 इस लक्ष्यवर्धी परियोजना की खरीद–फरोख्त को सरलीकृत, पारदर्शी और परिणाम अभविनियसत (Result Oriented) करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। यह राज्य की एक पहल है जो पाइलट आधार पर आई.पी.एच., पी.डब्लयू.डी और स्टोर के नियंत्रक में कार्यान्वित की जा रही है। यह एपलिके ान NIC., ि ामला द्वारा डेवलप की जा रही है। परियोजना पर प्रि ाक्षण भी दिया जा रहा है। इस परियोजना के लिए प्रदे ा सरकार ने 199 लाख रूपये की रा ि ा स्वीकृत की है। यह परियोजना मार्च,2011 तक कार्यान्वित होगी।

सूचना प्रौद्योकिी पार्क

22.9 वाकनाघाट में 64.73 एकड़ भूमि पर सामुदायिक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क निजी पार्टी द्वारा तैयार किया जाएगा। जिसमें इस पार्क के निर्माण में निजी पार्टी लगभग 500 करोड़ रूपये व्यय करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क 25,227 लोगों को रोजगार तथा विभिन्न, पदों पर

कार्यरत संव्यवसायिकों के लिए रिहाय ी यूनिट 2505 उपलब्ध करवाएगा।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.10 सेवा वितरण प्रणाली ई. गवर्नेस आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण अंग है जिससे मानक संदे ों द्वारा समेकित अंतर सक्रियता व विभिन्न विभागों के डाटा का आदान प्रदान सरल हो जाएगा। इसके लिए एक पराम दाता द्वारा निविदा तैयार की जा चुकी है व भारत सरकार द्वारा एम्पैनलड एजैंसी मैसर्ज इंफोसिस का चयन निविदा के आमंत्रण द्वारा किया गया है। आ य पत्र (LOI) कम्पनी द्वारा स्वीकृत हो चुका है। करार पर भीघ्र ही हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और क्रियान्वयन भारू हो जाएगा।

ई–गवर्नैंस रोड़मैप और केपेसिटी बिल्डिंग रोड़मैप का रूपांकन तथा परिपालन

22.11 इस परियोजना का उद्धे य विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक सम्बन्धी सेवाओं को कम्प्युट्रीकृत करने का रूपांकन तैयार करना हे जिससे आम जनता को सरकारी सेवायें बेहतर ढंग से मुहैया करवाई जा सके। इस कम्प्युट्रीकरण के रूपांकन को अमल मे लाने के लिये विभिन्न विभागों में उचित क्षमताओं की कमी है। यह कमी प्रायः तकनीकी तौर पर उचित कार्यकु ाल कर्मचारियों के न होने की वजह से पाई गयी है। इस परियोजना का एक उद्धे य तकनीकी तौर पर कार्यकु ाल कर्मचारियों की भर्ती करना तथा सरकारी कर्मचारियों को प्रि ाक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण करना है। इस कमी को पूरा करने के लिये क्षमता निर्माण रोड़मैप का रूपांकन किया गया है जिसमे निजी क्षेत्र से तकनीकी तौर पर कार्यकु ाल कर्मचारियों की भर्ती तथा वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को प्रि ाक्षण का प्रस्ताव है।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- ई–गवर्नैस रोडमैप जोकि मैसर्ज विप्रो द्वारा तैयार किया गया, को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 जुलाई,2009 को NeGP की कार्य ााला में लॉन्च किया।
- सरकारी कर्मचारियों को सामान्य कम्पयूटर ज्ञान का प्रि ाक्षण देने के लिए दो प्रि ाक्षण केन्द्र (पूर्णरूप से 20 कम्पयूटर और ि ाक्षण सामग्री से सुसज्जित) धर्म ााला और मण्डी में स्थापित किए गए हैं। अब तक लगभग 3,000 कर्मचारी प्रि ाक्षण प्राप्त कर चुके हैं
- SeMT को इसी परियोजना के अन्तर्गत 2009 में स्थापित किया गया जिसमं मैसर्ज विप्रो ने 5 पराम दाताओं को विभाग में विभिन्न ई–गवर्नैस परियोजना में कार्य करने हेतु परिनियोजित (डिप्लॉड) किया।

समाजिक न्याय और अधिकारिता के अधीन कल्याणकारी निगमों का कम्पयूटरीकरण

22.12 इस परियोजना का उद्धे य सभी 5 निगमों एस.सी.एस.टी.

पिछड़ा वर्ग, महिला विकास, अल्पसंख्यक और अक्षमता वित्तीय और विकास निगमों के क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करना है। इस परियोजना के लिए निविदा आंमत्रित की गई और उसका मूल्याकंन किया गया है।

हिमाचल प्रदे ा ि ाक्षा विद्यालय धर्म ााला का कम्पयूटरीकरण

22.13 इस परियोजना का एकमु त (Turnkey) आधार पर मैसर्ज वयम टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आंवटित किया गया है। निश्णात सेवा करार (Master Service Agreement) तैयार किया गया और उसे बोर्ड को स्टेंडिंग परिशद द्वारा जाचने के लिए भेजा गया है। यह परियोजना ि ाक्षा बोर्ड की भााखाओं/ अनुभागों जैसेः–ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम, लेखा और भाुल्क प्रबंधन सिस्टम, एस्टेब्लि मेंट, गोपनीयता, जारी डुप्लिकेट अंक सूची, आर.टी.आई., डिस्पेच प्रबंधन इत्यादि को समाविश्ट करेगी।

ई–मार्ग द र्ान (स्कीम पोर्टल)

22.14 हिमाचल प्रदे ा सरकार नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास क लिए अवसर प्रदान करने में बचनबद्व है। यह सब पाने के लिए समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाएं समाज के कई वर्गो के उत्थान के लिए भाुरू की जाती हैं। इस पोर्टल में प्रयत्न किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों और दूसरे हिस्सेदारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसान और एक ही जगह से प्रदान की जा सके। इस पोर्टल के जरिये लिंग या उम्र या जाति या आय के अनुसार या व्यवसाय या सालाना आय के आधार पर कोई भी नागरिक ये जान सकता है कि वो कौन सी योजना के लिए योग्य है। कोई भी नागरिक जिसे आंि ाक रूप से किसी योजना के नाम के बारे में पता हो वह अग्रिम खोज कर सकता है और योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकताा है। यह पोर्टल योजना की विस्तृत जानकारी, उससे मिलने वाले लाभ एवं योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों के बारे में सूचना प्रदान करता है। दूसरे विभागों के पोर्टल/ वेबसाईट को भी इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है।

हिपा के लिए विडियो कान्फैंसिंग आधारित लर्निंग परियोजना

22.15 इस परियोजना का उद्दे य विडियो कान्फ्रैसिंग द्वारा प्रदे ा के पंचायत सहायकों व प्रतिनिधियों को ब्लॉक स्तर पर प्रि ाक्षण देना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्ज एयरटैल सर्विसिज लिमिटिड का चयन निविदा द्वारा किया गया है।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली

22.16 इस सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों के राजस्व न्यायालयों जैसेः–मण्डलायुक्त, डी.सी. ऑफिस, एस.डी.एम. ऑफिस, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के उपयोग के लिए किया गया है। इस प्रणाली द्वारा नागरिक अपने राजस्व

मुकदमों से संबंधित जानकारी व निर्णय ऑन लाइन देख सकते हैं।

अभियोग निगरानी प्रणाली

22.17 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक कठिनतम कार्य है। सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर "अभियोग निगरानी प्रणाली" तैयार किया गया है जिसके द्वारा सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से की जा सकती है और विचाराधीन मुकदमों, निर्धारित समय में उनका उत्तर तैयार करना, मुकदमों की वर्तमान स्थिति और निजी उपस्थिति का कार्य सचेत रूप से किया जा सकता है। ADG विभाग का अलग से मॉडयुक्त तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का सचिवालय की ि ाक्षा, गृह, पी. डब्लयू.डी. भााखाओं में, टी.सी.पी., स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन विकास निगम तथा यू.डी. विभागों में क्रियान्वयन किया गया है।

परिवार पंजीकृत कम्पयूटरीकरण

22.18 इस वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के लिए परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया को कम्पयूटरीकृत करने के लिए किया गया है। ई कुटुम्ब का डेटाबेस (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसति वेब आधारित सॉफ्टवेयर) परिवार रजिस्टर का कम्पयूटरीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। ई कुटुम्ब का डेटाबेस आंगनबाड़ी–वाइज उपलब्ध है जिसे रूपांतरित कर उनकी संबंधित पंचायतों में चित्रित किया गया है। समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा पंचायत की प्रत्येक आंगनबाड़ी को चित्रित किया गया है।

परिवार रजिस्टर सभी जिलों में http://hp.gov.in/parivar पर उपलब्ध है। बी.डी.ओ परिचय पत्र के उपयोग से डाउनलोड कर सकते हैं जोकि आंकड़े की सत्यापन (Verification of data) के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा। जन्म, मृत्यु और विवाह एंटेरीज के लिए मापदण्डों (modules) का भी विकास किया गया है।

जन सेवा केन्द्र

22.19 इस परियोजना का उद्दे य ICT आधारित सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को एक पारद र्ी, गति ील, आर्थिक रूप से उपलब्ध करवाना व सरकारी तंत्र को चुस्त दरूस्त करवाना है। इस उद्दे य की पूर्ति के लिए सरकार से नागरिकों को, व्यापार से नागरिकों व सेवाओं को निजी भागीदारों से सुनि ि त किया जाना है। इन सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया करवाना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्र ाासनिक सुधार और लोक ि ाकायत, भारत सरकार द्वारा धनरा ि ा उपलब्ध करवाई जा रही है। परियोजना को कांगड़ा जिला में भाुरू किए जाने के लिए डी.पी.आर. प्रायोगिक कार्यान्वयन के लिए पराम ादाता द्वारा तैयार की गई है। निविदा को भाीघ्र ही प्रचलित कर दिया जाएगा ताकि

क्रियान्वयन के लिए एजेंसी का चयन
हो सके।